राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1] पंचम विधान सभा के प्रथम सत्र का छठा दिवस [संख्या 6

शनिवार,

दिनांक 25 मार्च, 1972

[विधान सभा की बैठक म०पू० 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई]

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखें जाने वाले कागजात।

श्री सचिव (राजस्थान विधान सभा) : महोदय, मैं निम्नांकित प्रतिवेदन जो गत विधान सभा के विघटन से पूर्व राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 205 के अधीन माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किए गए थे, सदन की मेज पर रखता हूं:—

(1) विशेषाधिकार समिति के 13वें पुन: निर्दिष्ट प्रतिवेदन विषयक विशेषाधिकार समिति का 21वां प्रतिवेदन।

(2) साप्ताहिक समाचार पत्र "राजधानी गजट" में एक विधायक के सम्बन्ध में प्रकाशित समाचार विषयक विशेषाधिकार प्रश्न से सम्बन्धित विशेषाधिकार समिति का 22वां प्रतिवेदन।

(3) जन लेखा समिति का 16वां प्रतिवेदन।

(4) जनलेखा समिति का 17वां प्रतिवेदन।

(5) जनलेखा समिति का 18वां प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष : उपाध्यक्ष का निर्वाचन।

श्री सचिव (राजस्थान विधान सभा) : नहीं साहब, और है।

मैं राजस्थान विधान सभा द्वारा ग्यारहवें सत्र में पारित निम्नांकित विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है:—

(1) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1970।

(2) राजस्थान दुकान और वाणिज्य संस्थान (संशोधन) विधेयक, 1971।

उपाध्यक्ष का निर्वाचन

श्री अध्यक्ष : श्री खेतसिंह।

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

Page No 2

(श्री खेतसिंह)

श्री रामसिंह यादव, सदस्य विधान सभा, विभाजन संख्या 136 को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाय।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय खेतसिंहजी ने पेश किया है और राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य श्री प्रद्युम्नसिंह ने जिसका समर्थन किया है, उसको पारित किया जावे।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

श्री रामसिंह यादव, इस विधान सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था।

श्री केदारनाथ (गंगानगर): मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डिप्टी स्पीकर साहब अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री अध्यक्ष : आप आ जावें अपनी जगह पर।

(11.01 म० पू०)

(श्री रामसिंह यादव ने उपाध्यक्ष का स्थान ग्रहण किया)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे सदस्यों को सूचित करना है कि श्री मगराज चौधरी, सदस्य, विधान सभा ने जालोर जिले के कतिपय गांवों में ग्रामीण चारागाह विकास योजना के अन्तर्गत जंगलात महकमे द्वारा तारबन्दी कर हजारों बीघा कृषि योग्य भूमि पर कब्जा कर लेने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

सर्व श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा, केशरीमल, सुरेन्द्रप्रसाद तथा श्री पी० के० चौधरी, सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि राजस्थान नहर के छत्तरगढ वृत्त से सम्बन्धित 33 वर्कचार्ज कर्मचारियों को अकारण ही दिनांक 1-2-1972 से सेवा मुक्त कर दिया गया है और 16 मार्च, 1972 से 4 कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री, सदस्य, विधान सभा ने बारां (कोटा) क्षेत्र के ग्राम रामगढ से कुख्यात डाकू स्वर्णसिंह द्वारा गत 19 मार्च को तीन व्यक्तियों के अपहरण के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

इन तीनों स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

श्री मनोहरलाल, सदस्य, विधान सभा ने राजस्थान विधान सभा भवन के सरकारी सम्पत्ति न होने तथा भूतपूर्व जयपुर महाराजा की सम्पत्ति होने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। चूंकि इस प्रश्न का सम्बन्ध विधान सभा की आन्तरिक कार्य संचालन व्यवस्था से है और श्री मनोहरलालजी इस प्रश्न को सदन में कल राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर हुई बहस के दौरान उठा चुके हैं। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

शासकीय वक्तव्य

श्री ओमप्रकाश राजोरिया की तथा कथित हत्या सम्बन्धी मुख्य मंत्रीजी द्वारा वक्तव्य

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय,......

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, सम्बन्धित मंत्री महोदय को ही वक्तव्य देने को कहा जाय।

श्री अध्यक्ष : सम्बन्धित ही हैं।

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मंत्री) : मेरे विभाग से सम्बन्धित राज्य मंत्री हैं तथा जो पावर डेलीगेट हुई हैं उसके अनुसार इनके अन्दर में ही है।

श्री केदारनाथ : स्पष्टीकरण हो गया।

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, सर्व श्री गुमानमल लोढा, मानुप्रकाश शास्त्री, गिरधारीलाल भार्गव और मनोहरलाल द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है:—

दिनांक 27-2-72 को धौलपुर पुलिस को विश्वसनीय सूचना मिली कि कुख्यात डकैत मोहरसिंह का दल दो हिस्सों में विभक्त होकर वह जीपों में सवार होकर जिला आगरा के इलाके में अपहरण की वारदात करेगा। तदनुसार उसी दिन, सायंकाल 5-20 मिनट पर इस आशय का एक वायरलेस संदेश आगरा के डी०आई० जी०, एन्टी डेकोइटी ऑपरेशन व एस० एस० पी० को भेजा गया। इसके अतिरिक्त अधीक्षक, पुलिस, भरतपुर व अपर-अधीक्षक, पुलिस, धौलपुर ने क्रमशः डी०आई० जी०, एन्टी-डेकोइटी ऑपरेशन व एस० एस० पी०, आगरा को टेलीफोन पर भी बतला दिया। दस्यु दल को रोकने हेतु थर्ड बटालियन आर० ए० सी० ने असिस्टेंट कमाण्डेन्ट, श्री लखूसिंह के नेतृत्व में एक आर० ए० सी० की पार्टी भेजी गई जिसे हिदायत की गई कि दस्यु दल को संभावित जगह और सही स्थान पर जाकर रोका जावे ताकि दस्यु दल अपहरण की वारदात करने में सफल नहीं हो सके। तदनुसार इस पुलिस पार्टी ने मुखबिर को साथ लेकर राजाखेड़ा-धौलपुर सड़क पर बड़ी लाइन के रेलवे क्रोसिंग पर उस रात एम्बुश लगाया।

एम्बुश पार्टी ने रात्रि में करीब 2·30 बजे राजाखेड़ा की तरफ से एक जीप आती हुई देखी और उस जीप में दस्यु दल होने का शक कर उसे रोका। जीप को रोकने के दौरान कन्फ्यूजन हो गया और पुलिस पार्टी की तरफ से एक 12 बोर की गोली अकस्मात चल गई जिसके फलस्वरूप जीप में बैठे दो व्यक्तियों को चोट लगी। गोली लगते ही बंगाली बाबू घायल व्यक्तियों को उसी जीप में धौलपुर के सदर अस्पताल में ले गया। रात के करीब 3·30 बजे अस्पताल से टेलिफोन पर थानेदार, पुलिस कोतवाली, धौलपुर, को गनशाट इन्जूरी के मजरूबों की सूचना डॉक्टर द्वारा दी गई जिस पर थानेदार, धौलपुर रोजनामचे में रपट दर्ज कर फौरन अस्पताल पहुंचा। अस्पताल पहुंचने पर पता लगा कि श्री ओमप्रकाश राजोरिया को अच्छे और शीघ्र इलाज हेतु डॉक्टर ने ग्वालियर भेज दिया है और श्री मनीराज को अस्पताल, धौलपुर में ही वास्ते इलाज दाखिल कर लिया है। थानेदार, धौलपुर ने इस वाके का

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

मु० नं० 33, जेर दफा 338, आई०पी० सी० फौरन दर्ज करवाया। श्री ओम-प्रकाश राजोरिया की मृत्यु की इत्तला दोपहर को आने पर मुकदमें म धारा 304 - ए- आई० पी० सी० जोड़ दिया गया। इसी दौरान आगरा जिले के थाना फतेहपुर सीकरी के थानेदार द्वारा भेजा गया एक वायरलैस सन्देश दोपहर 2.30 बजे प्राप्त हुआ जिसमें सूचना दी गई थी कि 27/28-2-72 की रात डकैतों द्वारा तीन आदमियों का अपहरण किया गया। यह घटना धौलपुर पुलिस को पूर्व में प्राप्त सूचना की सत्यता को सिद्ध करती है।

अपर महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान, फौरन घटना-स्थल पर गये और मुकदमे की तफतीश राज्य अपराध शाखा के एक वरिष्ठ अधिकारी के सुपुर्द की गई। दिनांक 2-3-72 को राज्य सरकार ने मामले की न्यायिक जांच हेतु भरतपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को एक सद-स्यीय आयोग नियुक्त किया। जांच आयोग को दो माह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु कहा है। मृतक के परिवार को 5,000) रु० देने के आदेश 2-3-72 को प्रसारित किए गए।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, स्पष्टीकरण के नाते मैं यह जानना चाहूंगा कि जब यह कहा जाता है कि गोली अकस्मात चल गई और उस अकस्मात गोली चलाने के जघन्य अपराध की छानबीन की जा रही है। आप कहते हैं कि कन्फ्यूजन हुआ। प्रथम तो मैं यह जानना चाहूंगा कि कन्फ्यूजन किस बात का हुआ? वहां पर जो रेल का फाटक है, जहां पर कि रेल्वे का लेवल क्रॉसिंग है, वह उस समय बन्द कर दिया गया था। जीप रोक ली गई थी, जीप रुकी हुई थी, पुलिस के घेरे में थी। उसके ऊपर भारतीय जन संघ के दो झण्डे लगे हुए थे और चार फीट के डिस्टेन्स से एक नहीं, पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कम से कम 8/10 गोलियां चलाई गईं। एक गोली अकस्मात चल सकती है परन्तु सात, आठ गोलियां उनके सीने में से बरामद की गईं। एक के बाद एक गोली चलाई गई। इसके पश्चात भी यह कन्फ्यूजन के कारण अकस्मात चल गई, यह नहीं हो सकता। मैं जानना चाहूंगा कि यह कन्फ्यूजन किस बात का है? राजनैतिक था या वास्तव में वहां पर दस्यु दल के नाम पर राज-नैतिक हत्या करके, आंतक फैलाने के लिये किया गया था?

दूसरा प्रश्न, अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि धारा 304-ए के अन्दर क्या किसी को गिरफ्तार किया गया है? गिरफ्तार को क्या न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है?

तीसरा प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण है उसके लिये मैं निवेदन करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा जो जांच कराई जा रही है, उसके बारे में हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस प्रक्रिया में हमारा किसी प्रकार का विश्वास नहीं है। यह सदन इस बात का साक्षी है कि बेरी आयोग, जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट के उच्च कोटि के न्यायाधीश श्री भगवती प्रसाद बेरी थे,

(श्री गुमानमल लोढा)

ने लगातार एक साल तक अथक परिश्रम करके एक प्रतिवेदन तैयार किया था और सरकार ने उस प्रतिदवेन को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। उसके बारे में आरोप लगाये गये। फिर एक सत्र न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा जो इस प्रकार की जांच की जायेगी, तो क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि उसको स्वीकार किया जायेगा अथवा कमीशन ऑफ इन्क्वायरीज एक्ट का जो प्रावधान है कि यह राज्य सरकार के ऊपर है कि उस प्रतिवेदन को स्वीकार करे अथवा रद्दी की टोकरी में फेंकदे, का सहारा लिया जायगा? श्रीमान्, हम नहीं चाहते हैं कि न्यायाधीश, न्यायाधिकरण और न्याय पद्धति में रहा सहा विश्वास भी टूट जाये। सरकार के विरोध में जो प्रतिवेदन आते हैं उनको फेंक दिया जाता है और जो सरकार के पक्ष में आते हैं उनको सुशोभित किया जाता है और सम्बन्धित व्यक्ति को पुरस्कृत करते हैं। इसलिये मैं यह मांग करता हूं कि इसकी जांच सी० बी० आई० के द्वारा हो। यह सी० बी० आई० भी केन्द्रीय सरकार के आधीन है और केन्द्रीय सरकार भी कांग्रेस की है। केन्द्रीय पुलिस भी केन्द्रीय सरकार के आधीन है तो फिर यह आनाकानी क्यों की जा रही है? मांग यह की जा रही है कि इसकी जांच सी० बी० आई० के द्वारा हो परन्तु इसका कोई उत्तर नहीं दिया जा रहा है। मैं फिर यह मांग करूंगा कि आरोप प्रत्यारोपों को छोड़ दिया जायें और आप शान्ति से विचार करें। मैं मुख्य मंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा विशेष तौर से कि न्याय होना चाहिये Justice must not only be done but it must also seem to be done. यह चिरकाल से न्याय का सिद्धान्त है जो अजर अमर है। मैं उससे प्रार्थना करूंगा कि सी०बी०आई० से जांच कराने की मांग स्वीकार कर लें। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जायगा। न्याय और अन्याय के बीच का विच्छेद हो जायगा। यह पता लग जायगा कि जनसंघ का आरोप गलत था या वास्तव में अकस्मात हत्या थी, या अकस्मात दस्यु दल से जनता की रक्षा की जा रही थी। अकस्मात ही क्यों चार फीट की दूरी से गोली चलायी गई। यह सारी चीजें अकस्मात कैसे हो सकती हैं और ये सारी चीजे क्या अकस्मात सुनियोजित षड्यन्त्र का अंग हो सकती हैं? मैं गृह मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सी० बी० आई० से जांच कराने की मांग को आप स्वीकार करें। राजस्थान की दो करोड़ जनता में जनतन्त्र में आस्था रखने वालों के अन्दर इससे आस्था बढ़ेगी।

श्री अध्यक्ष : क्लेरिफिकेशन के लिए प्रश्न होना चाहिये। भाषण नहीं माननीय सदस्य।

श्री गुमानमल लोढा : स्पष्टीकरण के लिये ही निवेदन कर रहा हूं। क्षमा करेंगे यदि मैं सीमा लांघ गया हूं। यह प्रार्थना एक बार फिर करूंगा कि सी०बी०आई० से जांच कराने में आप क्यों गुरेज कर रहे हैं। सी० बी० आई० से

(श्री गुमानमल लोढा)

जांच कराने पर यह साफ हो जायगा कि यह एक सुनियोजित षड्यन्त्र था या नहीं। मेरा निवेदन है कि इस मांग को स्वीकार किया जाये ताकि यह परिच्छेद समाप्त हो जाये और जिस प्रकार से भी इसका नतीजा आयेगा और जो अधिकारी दोषी होगा उस पर 302 के अन्दर, या 304 के अन्दर या 304-ए के अन्दर मुकदमा किसी न्यायधिकरण के अन्दर चलाया जायेगा और उसके बाद न्यायालय अपना निर्णय देगा सी० बी० आई० की जांच से उसको फांसी पर नहीं लटकाया जा रहा है। यह साफ हो जायगा कि यह अपराध था या जान-बूझ कर किया गया कोई षड्यन्त्र था। अतः मेरा निवेदन है कि सी० बी० आई० के द्वारा जांच की मांग को स्वीकार किया जाये।

श्री केदारनाथ (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय पहले तो यह बतायें कि गन शाट से पहले उन लोगों ने प्रिकोशन्स क्या लीं ? प्री-आइडेन्टिफिकेशन करने, पहचान करने के लिये क्या बेटरी इस्तेमाल की गई ? और दूसरी बात यह है कि कौनसे ऐसे केसेज हैं जिनको आप सी० बी० आई० को रेफर कर सकते हैं और यह जो डिस्क्रिशन आपका है उसका आधार क्या है ? आपका इस एप्रोच को समझना है।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय (बन्दी) : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने अभी जो प्रश्न रखा है उसमें जहां तक मैं समझता हूं डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में उन्होंने ज्यूडिशियरी के ऊपर सरकास्टिग रिमार्कस पास किये हैं। उन्हें हमारी ज्यूडिशियरी पर विश्वास नहीं है। यह लॉ एण्ड ऑर्डर का प्रश्न है। यह सरकार के ऊपर डिपेन्ड करता है कि यह किस प्रकार की इन्क्वायरी करावे यह कोई वकालात का प्रश्न नही है। मैं भी वकील हूं इसलिये निवेदन कर देना चाहता हूं। यह ज्यूडिशियल इन्क्यवारी का सवाल है। इस प्रकार का जवाब देना आवश्यक नहीं। मैं निवेदन करूंगा कि सी० बी० आई० से इन्क्वायरी करायी जाये या डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा करायी जाये या किसी हाई कोर्ट के जज के द्वारा करायी जाये यह गवर्नमेन्ट पर डिपेन्ड करता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली): अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह सत्र न्यायाधीश को रेफर किया गया है इन्क्वायरी के लिये तो इसके पूर्व भी कोई इन्वेस्टीगेशन सम्पन्न हुआ है ? यदि इन्वेस्टीगेशन सम्पन्न हुआ है तो क्या इन्वेस्टीगेशन हुआ तथा किस आधार पर ? ज्यूडिशियल जो इन्क्वायरी हो रही है उसके सम्मुख रखा जाये और कौन प्रोसिक्यूट करेगा, कौन डिफेन्ड करेगा ? यह स्थिति है।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : प्रश्न यह है कि पुलिस ने उनको घेर कर मारा। इससे दो घण्टे पूर्व पहले उम्मीदवार महेन्द्रसिंह, जो पास वाले गांव में थे, पुलिस दल ने किसी जीप में बैठ कर देखा कि वह चले गये या नहीं ? दूसरा सवाल यह है कि क्या उनको यह सूचना दी गई कि आप डाकू हैं या कौन हैं या उनके ऊपर बिना सोचे समझ गोली चलाई गई ? क्या टायर

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

पर फायर किया गया है ? अस्पताल में उनको पहुंचाया गया तो उनको क्या सुविधा दी गई ? उनको को कब ग्वालियर पहुंचाया गया ? इन्क्वायरी कमीशन का जहां तक सम्बन्ध है यह देखने में आता है जहां पर गोली चलती है, जो कातिल है सरकार उनको डिफेन्ड करने के लिये सुविधा देती है और जो मारा गया है, जिसके बाल-बच्चे बेसहारा हो गये हैं तो क्या उनको भी सरकार डिफेन्ड करने के लिये खर्चा करेगी ? इसके अन्दर यह अमेन्डमेन्ट होना चाहिये कि इन्क्वायरी कमीशन जब अपनी प्रक्रिया पूरी कर ले तो सरकार उसके निर्णय को मानने के लिये प्रतिबन्धित हो । इस प्रकार से इन्क्वायरी कमीशन बिठाना, मैं ऐसा समझता हूं कि जन आक्रोश को शान्त करने की बात होगी । मेरा निवेदन है कि मेरे इन मुख्य मुद्दों का मंत्री महोदय उत्तर देंगे ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक मेरा प्रश्न है । आप कहते हैं कि पुलिस ने घेर कर गोली चलाई और यह एक्सीडेंट है । मंत्री महोदय का कहना है कि गन शॉट 12 बोर की है । पुलिस के पास, आर० ए० सी० के पास तो 303 की राइफल होती है । तो वहां पर 12 बोर की बन्दूक कहां से आई ? मैं यह जानकारी चाहता हूं ।

श्री बरकतुल्लाखां (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बात जो मैं समझना चाहता हूं वह यह है कि क्या आप डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज की इन्क्वायारी नहीं चाहते हैं ? जनसंघ के नेता सी० बी० आई० की इन्क्वायारी चाहते हैं तो वह मुझे बतादें, क्योंकि मैं यह मानता हूं कि जो भी इन्क्वायारी कमेटी की रिपोर्ट आयेगी डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज की उसको मैं मानूंगा और उससे अलग नहीं होऊंगा । जो प्रश्न उठाये गये हैं उनके अन्दर एक प्रश्न यह है कि ज्युडिशियल इन्क्वायरी हो या सी० बी० आई० की हो । चूंकि जनसंघ के नेता उसके अन्दर थे इसलिए जनसंघ के नेता जिस तरीके से सेटिस्फाइड होना चाहते हैं उसके लिए मैं तैयार हूं । और आप खुद यह चाहते हैं कि ज्युडिशियल इन्क्वायारी नहीं होकर सी० बी० आई० के द्वारा इन्क्वायारी हो तो मैं सी० बी० आई० को इसको रेफर कर दूंगा ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मुझे प्रसन्नता है कि सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सी० बी० आई० द्वारा इन्क्वायारी की बात मानकर सहृदयता के साथ उसको स्वीकार किया है । हम सी० बी० आई० की इन्क्वायारी चाहते हैं । डिस्ट्रिक्ट जज की इन्क्वायारी और ज्युडिशियल इन्क्वायारी में आपने उसको स्वीकार करने का आश्वासन दिया, लेकिन मुझे क्षमा करेंगे यदि यह मैं कहूं कि आपसे पहले वाले मुख्य मंत्रीजी ने चीफ जस्टिस दवे से यह कहा था कि बेरी आयोग की रिपोर्ट जैसी आयेगी उसको स्वीकार किया जायगा, लेकिन उसके पश्चात् उसको स्वीकार नहीं किया गया । इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि हम सी० बी० आई० से इन्क्वायारी चाहते हैं । आप कृपा करके जो इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही है वह शीघ्र करदें ।

इस घोषणा के साथ मैं जो व्यक्ति उसमें हैं और जिसके बारे में यह कहा

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

जाता है कि उसने निश्चित रूप से फायर किया है, जिसके बारे में सन्देह है और जिसके बारे में आई० जी० पी० साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि यदि फायर किया गया है तो वह अकस्मात हुआ है या जानबूझकर हुआ है। इसकी जांच करेंगे। इसलिए यदि वे व्यक्ति उस क्षेत्र में या उस पद पर रहेंगे तो गवाहान निष्पक्ष रूप से नहीं कहेंगे। इसलिए निष्पक्ष रूप से गवाहियां हो सकें इसलिए उनको आपको वहां से हटाना चाहिए।

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मंत्री) : मैं आज ही होम मिनिस्ट्री को लिख रहा हूं कि यह इन्क्वायारी सी० बी० आई० को दे दी जाय। उसके साथ साथ मैं हाई कोर्ट से भी क्षमा चाहूंगा कि मैंने एक ज्युडिशियल ऑफिसर वहां लगाने के लिए रिक्वेस्ट की थी और उसके लिए बड़ी महरबानी से उन्होंने आज्ञा दे दी, उनको अब नहीं लगायेंगे क्योंकि इसकी इन्क्वायारी सी० बी० आई० को दी जा रही है। मैं उनसे इसके लिए क्षमा मांगूंगा। यह गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया के हाथ में है और गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया से पूरा प्रयत्न करूंगा कि सी० बी० आई० को यह इन्क्वायारी दे दी जाय।

जहां तक आपका दूसरा प्रश्न है तो उन अधिकारियों को वहां से हटा दिया गया है।

शासकीय वक्तव्य

(2) जोधपुर नगर निर्वाचन क्षेत्र में साम्प्रदायिक तनाव संबंधी।

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्यमंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री गफ्फारअली द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर तथ्य इस प्रकार हैं:—

दिनांक 11-3-72 को जोधपुर शहर नगर निर्वाचन क्षेत्र में शान्तिपूर्वक मतदान चल रहा था। इस निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के श्री लियाकतुल्ला खां तथा जनसंघ के श्री गुमानमल लोढ़ा प्रमुख उम्मीदवार थे। सायंकाल 4.05 मिनिट पर खेरादियों के मोहल्ले में स्थित इसहाकिया स्कूल मतदान केन्द्र नं० 47 पर इकबाल अहमद नामक एक मुस्लिम व्यक्ति को जनसंघ पार्टी के पोलिंग एजेन्ट ने चैलेन्ज कर उसपर जाली मतदान कराने के प्रयास का आरोप लगाया। उस व्यक्ति को रोका गया परन्तु मौका पाकर वह बाहर आ गया।

मतदान केन्द्र के बाहर दोनों दलों के समर्थक मौजूद थे जिनमें इस घटना को लेकर झगड़ा हो गया तथा मारपीट हो गई। केन्द्र पर उपस्थित कर्मचारियों ने बीच-बचाव करने का प्रयत्न किया परन्तु आस-पास के मकानों से पथराव प्रारम्भ हो गया और कुछ लोगों के चोटें आईं। सूचना मिलते ही तत्काल अपर अधीक्षक, पुलिस 4-6 पुलिस कर्मचारियों सहित घटनास्थल पर पहुंचे और शान्ति स्थापित के प्रयत्न किये। परन्तु स्थिति को बिगड़ती देखकर तथा हिंसात्मक घटनाएं एवं लूटमार को रोकने के हेतु व भीड़ को तितर-बितर करने के लिए अपर अधीक्षक, पुलिस ने रिवाल्वर से हवा में दो फायर किये जिससे उपद्रवी भीड़ पीछे हटने लगी। इसी बीच यह

Page No 9

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

अफवाह फैल गई कि तीन मेजोरिटी कम्युनिटी के व्यक्तियों को मारकर मस्जिद के कुएं में डाल दिया है इससे उत्तेजित हो कर मौके से भागते हुए असामाजिक तत्वों ने पास ही के मोहल्ले, मोती चौक में मुसलमानों की कटपीस की दो दुकानों को, जो उस समय बन्द थीं, उन के किवाड़ तोड़ कर लूट लिया और पास की बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचाया। एक-दो स्थानों पर आग भी लगा दी।

इत्तिला प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक ने समस्त नगर में तैनात जाप्ते को एलर्ट किया और माकूल गश्त का आदेश देकर जिलाधीश के साथ तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचे। उत्तेजित भीड़ पथराव कर रही थी। चेतावनी देने के पश्चात् भीड़ पर हल्का लाठी प्रहार करवाकर उसे तितर-बितर करवाया गया। नगर में इस हिंसात्मक घटना की खबर तथा झूठी अफवाहों के कारण गांछा बाजार, बम्बा मोहल्ला व कुछ अन्य स्थानों और हाथी-राम का ओडा में तनाव बढ़ गया।

शहर में शान्ति-व्यवस्था कायम करने के लिए धारा 144, जा० फौ० लागू कर लाउड स्पीकर द्वारा ऐलान करवाया गया व प्रत्येक क्षेत्र में पुलिस पार्टियां मय बी० एस० एफ० की टुकड़ियों व मजिस्ट्रेटों की पेट्रोलिंग कराई गई। रात्रि भर पुलिस टुकड़ियों ने गश्त की जिसके फलस्वरूप कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी।

उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में पुलिस में कुल 10 मुकद्दमें दर्ज करवाये गये हैं जिनमें एक मुकद्दमा उक्त मतदान केन्द्र के निर्वाचन अधिकारी द्वारा मुलजिम इकबाल अहमद के विरुद्ध जाली मतदान का प्रयास करने के सम्बन्ध में करवाया गया है और दो मुकद्दमें मेजोरिटी कम्युनिटी की तरफ से माइनोरिटी कम्युनिटी के विरुद्ध मारपीट व बलवे के जुर्म में दर्ज करवाये गये हैं तथा सात मुकद्दमे अल्पसंख्यकों ने मेजोरिटी कम्युनिटी के विरुद्ध मारपीट, सामान लूटमार तथा आगजनी के करवाये हैं। इन मुकद्दमों की तफतीश राज्य अपराध शाखा के एक विशेष दल द्वारा की जा रही है। अब तक की तफतीश में कुल 18 मुलजिमान गिरफ्तार किये गये हैं और काफी तादाद में लूट का माल भी बरामद कर लिया गया है।

उपरोक्त घटनाओं के पश्चात् नगर में शान्ति-व्यवस्था स्थापित करने के लिए जिला प्रशासन ने नगर के प्रमुख नागरिकों की एक मीटिंग कर शान्ति-स्थापन कमेटी का गठन किया। शान्ति-स्थापन कमेटी ने शान्ति बनाये रखने हेतु लगातार अपीलें जारी कीं तथा दंगाग्रस्त क्षेत्रों में जाकर दोनों सम्प्रदायों के लोगों से शान्ति बनाये रखने तथा अफवाहों पर विश्वास न करने का अनुरोध किया। जिसके फलस्वरूप शहर में अब पूर्ण शान्ति है तथा नागरिकों में शान्ति, सुरक्षा एवं विश्वास की भावना पैदा हुई है और दैनिक कार्य सुचारू रूप से चल रहा है।

अतः यह कहना गलत है कि अल्पसंख्यक और शहर की पूरी आबादी भयभीत व आतंकित है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर): माननीय अध्यक्ष, मैं खुद

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

15 मार्च को गया और वहां के तमाम हालात को अपनी आखों से देखा। मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि यह जो फिगर्स गवर्नमेन्ट की तरफ से दिये गये हैं दुकानों के वह गलत हैं और जो बताये हैं उनसे ज्यादा हैं, ज्यादा दुकानें तोड़ी गई हैं और वे 10 से ज्यादा हैं। तीन दुकानों का हवाला देकर अधिकारी गवर्नमेन्ट को मिसरिप्रेजेन्ट करना चाहते हैं। मैं यह कहूंगा कि क्या इस बात को देखा गया है कि वहां पर मौके पर कितनी दुकानें टूटी हुई हैं। जब मैं 15 मार्च को गया था तब तक कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई थीं और एक दुकान जली हुई थी और बहुत सी दुकानें टूटी हुई देखीं। 17 तारीख को चीफ सेक्रेटरी से मिला। साम्प्रदायिक एकता सम्मेलन का डेपूटेशन मिला तो उन्होंने हमें कहा कि 18 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं जबकि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। मैं यह पूछना चाहूंगा कि उन अधिकारियों, जो घटनास्थल पर मौजूद थे, चीफ सेक्रेटरी के साथ में गलत बयानी से काम लिया और उनको धोखा देने की कोशिश की है। मैं यह पूछना पसन्द करूंगा गवर्नमेन्ट से क्या यह किसी षड्यन्त्र का नतीजा था या यह अचानक हुआ? मेरा यह अर्ज करना है कि चुन-चुनकर आबादी के हिस्से की एक एक दुकान जलाई गई है। इसलिए मेरा यह कहना है कि वह एन्टी-सोशल एलीमेन्ट का पहले से तय किया हुआ एक हमला था। तो इस बात पर मैं सेटिस्फेक्शन चाहता हूं।

यह इस तरह की घटना पहली ही नहीं हुई है, बल्कि यह हमारे राजनैतिक हकों का एक बहुत बड़ा दुरुपयोग है। हमारा यह अर्ज करना है कि अगर इस किस्म की घटनाओं की इजाजत देदी गई तो डेमोक्रेसी का फन्क्शन होना बन्द हो जायगा। मेरा यह कहना है कि हमारा जो वोटिंग का अधिकार है उसमें गड़बड़ डालने के लिए यह नाटक रचा गया है, वरना चुनावों में इस किस्म की घटनाएं होने का कोई कारण नहीं था। इसी प्रकार की घटना युनिससलीम के चुनावों में, पार्लियामेन्ट के चुनावों में हुई और हजारों आदमी भयभीत हुए। वहां की हिन्दु आबादी, मुस्लिम आबादी और हरिजन आबादी के सब लोगों से मैं मिला हूं तो उन्होंने यह बतलाया है कि हमारे इतिहास में यह पहली घटना है। उस वक्त तक तो कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई थीं। मेरा अर्ज करना यह है कि इस प्रकार का बलवा सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी नहीं करा सकती है और न उनकी इसमें दिलचस्पी हो सकती है। जो राजनैतिक दल इस किस्म के दंगे करा सकते हैं वह उस किताब को देखें जो बलराज मधोक ने लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस प्रकार के दंगों के बाद हमारी ताकत में इजाफा होता है। यह ताकत में इजाफा करने के लिए ही कराया गया था। यह हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स के अन्दर इन्टरफियरेन्स है। वह वोट जो डालने वाले थे नहीं डाल सके और कांग्रेस का उम्मीदवार हार जाय इसलिए यह षड्यन्त्र रचा गया है। यह कोशिश बराबर की जाती है कि किसी बात पर झगड़ा हो। यह एक घटना नहीं, और इस किस्म की घटना की कड़ी बहुत लम्बी है। हम को तो यह कहा जाता है

Page No 11

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

कि हम गद्दार हैं लेकिन वह लोग जो जनसंघ में बैठे हैं, वह यह भूल जाते हैं कि जब गांधीजी पर गोली चलाई गई थी, उस वक्त कहां थे ? मदनलाल ने जिस वक्त बम फेंका था, उस वक्त कहां थे ? जब गोडसे को फांसी पर लटकाया गया, उस वक्त कहां थे ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय.....

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप चुप रहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य......

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उन्हीं दिनों में गुमानमल लोढा ने एक वक्तव्य दिया कि एस० पी० और दूसरे अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन चीफ मिनिस्टर इन्टरफीयर कर रहे हैं। इस बयान से इन्होंने गवर्नमेन्ट और अधिकारियों के बीच में दरार डालने की कोशिश की है। इन्होंने यह भी वक्तव्य निकाला कि मुकदमें वापिस लिये जायें। जरायमपेशा लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया जाये। सिर्फ दूसरे आदमी को हराने के लिए यह किया गया है। क्या उसका मुआवजा यह है कि उनको रुपया दे दिया जाये। चन्द चांदी के सिक्के दे दिये जायें। मुझे अफसोस है कि गुमानमल लोढा जैसे एडवोकेट ने ऐसा किया है। जनसंघ वाले अगर यह कहते हैं कि माफ कर दो तो हम सदन से कह सकते हैं कि माफ कर दो। लेकिन वह कहते हैं कि सी० बी० आई० से जांच कराई जाये। जो चीज उन्होंने रखी है, मैं कहूंगा कि सी० बी० आई० की इन्वेस्टीगेशन के द्वारा यह तय होना चाहिए कि क्या यह षडयन्त्र के मातहत किया गया है। क्या यह नाटक, हमारे वोटिंग राइट में इन्टरफीयरस नहीं है ? गुमानमल साहब यह बयान देते हैं कि जरायमपेशा लोगों को छोड़ दिया जाये। क्या चंद चांदी के टुकड़े देकर उनका मुंह बंद कर दिया जाये। क्या यह सही है कि 15, 20 दुकानें जलाई गई हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जैसी कि अधिकारियों ने सूचना दी है, 15, 20 आदमी गिरफ्तार हो गये हैं। मुझे यह शक है कि वह सर्विसेज के लोग हैं। उनका पता चलाया जाये। एक एक कम्युनिस्ट को चुन-चुन कर गवर्नमेंट से निकालते हैं। लेकिन पचासों जनसंघी लोग सर्विसेज में घुसे हुए हैं। जो कि साम्प्रदायिक दृष्टिकोण रखते हैं उनकी सी० बी० आई० के जरिये से जांच होनी चाहिए। मैं तो आज भी इस चीज के लिए तैयार हूं कि यह झगड़ा जनसंघियों की वजह से हुआ है। तो मैं सदन से यह निवेदन करूंगा, सदन इस पर सोच सकता है, इनको माफ किया जाये या नहीं।

एक माननीय सदस्य : माफ करने का सवाल नहीं है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सी० बी० आई० को जांच के लिये दिया जाये। सी० बी० आई० को रेफर्स किया जाये। और जो अधिकारी जिम्मेदार हो, जिनकी आंख के नीचे मारपीट हो। उनकी जांच की जाय। कौन जिम्मेदार है, यह पता लगाया जाये ? अगर मुसलमान ने मुसलमान को लूटा हो, या किसी हरिजन

Page No 12

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली) :

ने लूटा हो, तो उसको भी सजा होनी चाहिए। मैं चाहता हूं, इन्सानियत के नाते ऐसे झगड़े खत्म होने चाहिए। मैं चाहता हूं इस मुल्क में गांधी और रविन्द्र-नाथ जैसे लोग पैदा हों। हिटलर और गोडसे पैदा न हों। मैं मुख्यमंत्री महोदय से गुजारिश करूंगा कि वह सी० बी० आई० से इसकी जांच करायें ताकि यह सफाई हो जाये।

कई माननीय सदस्य
श्री भानुकुमार शास्त्री } अध्यक्षमहोदय…
श्री गुमानमल लोढ़ा

(व्यवधान - अश्रव्य)

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजा खेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा………

श्री मोहनलाल छंगानी (फलोदी) : मैं उस दिन घटनास्थल पर मौजूद था।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय…

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल छंगानी : इनके कार्यकर्ता मुसलमानों के घरों पर दौड़ दौड़ कर हमला करने को उकसा रहे थे। इसकी ज्वायरी कराई जाये।

(शोरगुल-व्यवधान-अश्रव्य)

एक माननीय सदस्य : यह झूठ है।

श्री मोहनलाल छंगानी : ये जिम्मेदार हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य……

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय……

श्री मोहनलाल छंगानी : अध्यक्ष महोदय……

(व्यवधान - अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : बाद में टाइम दे देंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय…

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य……

श्री प्रद्युम्नसिंह : सुनने की हिम्मत रखो।

श्री मोहनलाल छंगानी : अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि सरकार ने जो बयान दिया है, वह सही नहीं है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अभी गफ्फार-अलीजी बोल रहे थे और हम पर आरोप लगा रहे थे। हम सुन रहे थे। अब सुनने को तैयार नहीं हैं। मैं केवल उत्तर देना चाहता हूं।

श्री मोहनलाल छंगानी : 6 तारीख को चुनाव हो रहे थे। चुनाव आखरी

(श्री मोहनलाल छंगाणी) :

दौर से गुजर रहे थे। चार पांच बजे के बीच का समय था। जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने एक जगह इकट्ठा होकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमला किया। खासतौर से माइनर्टी को उनको आतंकित करने की साजिश थी। उसके बाद संगठित रूप से मुसलमानों पर हमले किये गये। उस हमले से माइनर्टी को बचाने के लिए वहां कोई नहीं था। मैंने एस० पी० को टेलीफोन किया। परसराम मदेरणा वहीं थे, उनको कहा। कई मुसलमानों के घरों पर हमले हो रहे थे। मुसलमानों की दुकानों को लूटा गया। चार घण्टे तक पुलिस नहीं आई। वहां पर हमको लड़ना पड़ा। क्या हमारी सरकार अल्पसंख्यकों को बचा नहीं सकती है? रात को 12, 1 बजे तक काफी मुसलमान इकट्ठे हो गये थे। उनको बचाने वाला वहां पर कोई नहीं था। बाद में पुलिस ने आकर रोका। इन लोगों की संगठित रूप से फसाद करने की योजना थी। पूरी साजिश थी। इस तरह की घटनाओं की यदि इन्क्वायरी सी० बी० आई० से नहीं होगी और साजिशखोरों को सजा नहीं मिलेगी तो जोधपुर की जैसी घटना घटती रहेंगी।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय हमें भी मौका दें। विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य खड़े हो गये बोलने के लिए। उससे पहले हमें भी मौका दें।

श्री अध्यक्ष : आपके दूसरे सदस्य को मौका दे दिया है। (श्री गुमानमल लोढ़ा से) कहिये, कहिये?

श्री खेतसिंह : एक एक प्रश्न पूछना है, अध्यक्ष महोदय।

श्री प्रद्युम्नसिंह : एक प्रश्न ही पूछना है।

श्री अध्यक्ष : पूछिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, जिस किस्म का बयान दिया गया है और जिस किस्म की बातें गफ्फार अली और फलोदी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहीं—इन बातों को सुन कर सदन के सदस्यों को बड़ा भारी दु:ख हुआ है यह बड़ी भारी घटना है। मेरा आरोप है, जनसंघ के उकसाने पर जनसंघ के इन्स्टीगेशन पर मुसलमानों की दुकानें लूटी गई, उनके घरों में आग लगाई गई और उनके साथ मार-पीट की गई। मैं यह निवेदन करते हुए मांग करना चाहूंगा कि इस मामले की जांच सी० बी० आई० से कराई जाय और जो दोषी पाये जायें वह कितने ही बड़े व्यक्ति हों—उनको सजा दी जाय।

श्री अध्यक्ष : मि० गुमानमल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : लोढ़ाजी बाद में बोलें तो उचित रहेगा।

श्री खेतसिंह (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं गुमानमलजी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहले आप सुनलें, उसके बाद बोले तो उसका भी जवाब दे दें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अवश्य पूछिये।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, जिस रोज चुनाव हो रहे थ उस रोज में जोधपुर में मौजूद था। चार बजे जनसंघ के हारने की हालत बन रही थी। शहर में जगह जगह, हिन्दु पोपूलेशन में घूम घूम कर आपने अपने कार्यकर्ताओं से प्रचार कराया उनको घुमाया और प्रचार कराया कि हिन्दु हार रहे हैं। यह आखिरी मौका है, क्योंकि पहले ही श्री गुमानमल लोढ़ा पिछले तीन चुनाव हार चुके हैं, यह आखिरी चुनाव है। आपने खुदने कार्यकर्ताओं से कहा कि इस बार हार गया तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। इस प्रकार का कार्यकर्ताओं से प्रचार करवा कर साढे चार बजे इनके इन्स्टीगेशन से कार्यकर्ताओंने जानबूझ कर रोला किया है? यह सही बात नहीं है? उस व्यक्ति को पकड़ कर बैठ गये थे, उसको वोट नहीं देने दिया था। जब बाहर निकला तो कार्यकर्ताओं ने पीटा। उसके बाद जगह जगह अफवाह फैला दी, हिन्दुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। मुसलमान हिन्दुओं को मार रहे हैं। इस प्रकार आतंक फैला कर, जो वोट देने के लिए मुसलमान भाई आ रहे थे, उनको रोका गया और जानबूझकर षड्यंत्र किया गया क्योंकि यह मालूम था कि चुनाव में हार जायेंगे। मैं नम्र निवेदन करता हूं, गुमानमलजी, एक मामूली कार्यकर्ता मारा गया उसके लिए आपने इतना बड़ा विवाद खड़ा कर सी० बी० आई० की जांच की मांग की है। दूसरी तरफ मुसलमान भाई अल्फूमियां की जोधपुर में सबसे पुरानी दुकान थी, जिसमें बीस लाख का सामान था – उस दुकान को तोड़ा, उसके अन्दर आपके कार्यकर्त्ता गये, उसके अन्दर चार लाख का माल आपके कार्यकर्ताओं न लूटा………

श्री प्रद्युम्नसिंह : चुनाव खर्चा निकाल लिया।

श्री खेतसिंह : उनको शिकायत की तमाम व्यक्तियों ने ताईद की, वह आपके कार्यकर्ता हैं, उनसे माल बरामद हुआ है। यह साबित करता है कि आपकी साजिश थी। इस प्रकार जोधपुर के बड़े बड़े मुसलमान भाईयों को दुकान लूटी गई हैं और यह जानबूज कर षड्यंत्र किया गया है। मैं खास कर मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा, सच्चे मायने में सी० बी० आई० की जांच कराने के योग्य यह केस है न कि वह।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं मैं भावावेश में आने के लिए तैयार नहीं हूं, न मैं तैयार हूं कि इसको हिन्दु-मूसलमान का विषय बनाया जाय…

एक माननीय सदस्य ' क्योंकि यह सही है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : श्रीमान्, मुझे विश्वास है कि यदि सतारूढ़ दल के सदस्य महोदय शान्त चित्त से केवल सुनने का प्रयास करेंगे तो उन्हें स्वयं इस बात का विश्वास हो जायगा कि सदन में जो कुछ बातें कही गई हैं वे आधारहीन हैं, निरर्थक ह, तथ्यहीन हैं। लेकिन यह अवश्य है……

श्री खेतसिंह : मौके पर थे हम।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैंने पढ़ा था हिटलर के पास गोएबेल नाम का व्यक्ति था जो प्रचार करने में माहिर था···

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप वहीं हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप वहीं हैं···

(शोरगुल–अश्रव्य)

क्षमा करें, आप सुनने को तैयार हों···

एक माननीय सदस्य : आरोप वाला उत्तर दिया जाय।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, सदन को गुमराह करने की चेष्टा की की जा रही है।

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप सुनें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांण्डा : गोएबेल्स आप हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप जरा धैर्य रखें।

(शोरगुल–अश्रव्य)

एक माननीय सदस्य : तथ्य आरोप पर रखने चाहिए।

श्री प्रद्युम्नसिंह : गोएबेल्स आप हैं।

श्री अध्यक्ष : बोलने दीजिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपके कहने से सी० बी० आई० की इन्क्वायरी इस पर नहीं होगी।

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री प्रद्युम्नसिंह : शुरुआत आपने की है।

श्री खेतसिंह : सी० बी० आई० की जांच की मांग पहले आपने की है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : हिटलर का जो प्रजातंत्र था, उसमें गोएबेल्स प्रचारतंत्र का मंत्री था, यह आपको मालूम होगा···

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : वह आपका सगा भाई था।

(शोरगुल)

श्री गुमानमल लोढ़ा : मेरा सगा भाई था तो आपका चाचा था। राजस्थान की विधान सभा को नापाक करने के लिए, अपवित्र करने के लिए इस प्रकार के व्यक्ति आये हैं।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : गंगाजल छिड़को।

श्री गुमानमल लोढ़ा : गंगाजल अपने ऊपर छिड़को।

(शोरगुल–अश्रव्य)

एक माननीय सदस्य : यह सदन का अपमान है।

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढ़ा: यह गुलाम हैं···

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री शंकरलाल : ऑन ए पाइन्ट आफ ऑर्डर·····

(शोरगुल–अश्रव्य)

आन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर।

Page No 16

श्री गुमानमल लोढ़ा : मुझे सुनने के लिए आप तैयार नहीं हैं क्योंकि सच्ची बात कड़वी लगती है, जहर की गोली की तरह। आप जहर का घूंट पीने के लिए तैयार नहीं है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : प्रद्युम्नसिंह दल-बदलू हैं। आप कैसे बोलते हैं। बैठिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं विनम्रता के साथ कि इस प्रकार की संकुचित भावनाओं को न उभारें और तथ्यों को देखें। मैं माननीय सदस्य, गफ्फार अली, मोहनलाल छंगाणी और खेतसिंह जी से निवेदन करूंगा, जो घटना घटी वह दुखपूर्ण हुई, दुर्भाग्यपूर्ण हुई, उसका जितना दुख इन तीन माननीय सदस्यों को है उससे कहीं अधिक दुःख मुझे है। इस बात की अनुभूति · · ·

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आइये, जरा मगरमच्छ के आंसू तो देखिये......

श्री गुमानमल लोढ़ा : मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है, गुलाम वंश के लोग इस बात को नहीं सुनना चाहेंगे.

श्री प्रद्युम्नसिंह : पूरे राजस्थान भर के चुनाव का खर्चा निकालना चाहते थे जोधपुर के अन्दर से, वह नहीं निकाल पाये।

(शोरगुल—अश्रव्य)

एक माननीय सदस्य : जनसंघ के नेता गौर करलें, यह सदन के नेता को प्रभावित करना चाहते हैं मिनिस्ट्री के लिए · · ·

(शोरगुल अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जारी रखें।

श्री खेतसिंह : तुमको नहीं मिलने वाली है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : तुमको नहीं मिलने वाली है।

श्री मनोहरलाल (कामां) : कप्तान साहब को शान्ति से सुना जाय।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप बैठिये। मैं आपसे केवल यही निवेदन करना चाहता हूं, फैक्ट चाहते हैं इसके सम्बन्ध में तो मेरी बात शान्ति से सुनलें और सुन कर बेकार मालूम हो तो तिलांजलि दे दें, अच्छी बात लगे और निष्पक्षता की हो तो अपना लें।

मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मंत्री उसी विधान क्षेत्र के हैं, जोधपुर के हैं, जहां वह जीये जन्मे हैं, हमारा उनका एक स्थान है, मैं उनकी भावनाओं को जानता हूं, मेरी भावनाओं को वह जानते हैं। एक बात मैं आपसे कहूंगा कि केवल भावनाओं को उभार कर यह प्रयास किया जा रहा है—यह मुझे विश्वास है। राज्य सरकार का जो स्टेटमेंट आया है वह सही है, मैं उसका समर्थन करता हूं, स्टेटमेंट में जो बातें लिखी गई हैं वह बिलकुल सच हैं। उसके अनुसार सही स्थिति यह है, अध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, दुकानें लूटी गई, इसमें दो मत नहीं, दो दलों······

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : कितनी दुकानें लुटी गई ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप शान्त रहिये, गफ्फार अली साहब You can not be more pious. Don't try to appease. आप देख कर आये हैं, और मैं वहीं रहता हूं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : हमारे साथी भी वहीं रहते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप यह बता दीजिये, कितनी लूटीं ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं बताऊंगा, आप सुनें सुनने की सहन शक्ति रखिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप क्वेश्चन को अवोइड क्यों कर रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं अवोइड नहीं कर रहा हूं, मैं सब बताऊंगा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप यह बता दीजिये, कितनी दुकानें लूटीं ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं निवेदन कर रहा था, जोधपुर के शहर से करीब साढ़े पांच बजे ग्यारह तारीख को मैं पावटा क्षेत्र में अपना मत देने के लिए गया, जो दूसरे क्षेत्र के अन्दर था। जोधपुर में दो क्षेत्र हैं, जोधपुर सरदारपुरा क्षेत्र। एक क्षेत्र में रहता हूं, सरदारपुरा में और मेरा पुराना मकान जोधपुर क्षेत्र में है। तो मैं वहां गया। टेलीफोन पौने छः बजे आया, जब मैं मतदान देने के लिए पहुंचा, पावटा के अन्दर, तो मेरे पास टेलीफोन आया। मुझे कहा गया, दस आदमी मर गये हैं, सौ आदमी घेरे के अन्दर हैं। गोली चल गई है, लाठिया चल गई हैं। आप इस समय कहां पर हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : किसने किया, नाम बता दीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इन्होंने कहा, मेरा दिया हुआ प्रोग्राम चालू रखो।

श्री गुमानमल लोढ़ा : × × × और छुट भइये मुख्य मंत्री को प्रभावित करने की चेष्टा न करें। वह जानते हैं कौन क्या है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : × × × की गुलामी आप करते रहे हो, उनकी × × × रहे हो। इसी भाषा को सुनना हैं, तो याद रखिये......

(शोरगुल)

श्री शंकर लाल : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री गुमानमल लोढ़ा : चौबीस घण्टे के × × × रखे गये हैं मैं कहना चाहता हूं।

(शोरगुल—अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम × × × से लड़े हैं, जागीरदारों से लड़े हैं। तुम लोगों ने उनकी × × × है। तुम लोगों ने × × × हैं राजा-महाराजाओं के

(व्यवधान)

जिस भाषा में बोलेंगे उस भाषा में हम भी बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं निवेदन करना चाहता हूं.....

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिस भाषा में ये बोलेंगे उस भाषा में सुनेंगे।

× × × अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार शब्द निकाले गये।

Page No 18

श्री गुमानमल लोढ़ा : (अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जिस भाषा में आप बोलेंगे उसमें आप सुनेंगे ।

(शोरगुल-अश्रव्य)

हिन्दु मुस्लिम भावना को जागृत किया जा रहा है। मुस्लिम भी हमारे भाई हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप अपने नेता को बोलने दें। आप अध्यक्ष की ओर संबोधित करके बोलें ।

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप बोलेंगे तो सुनेंगे····

श्री गुमानमल लोढ़ा : सुनने के लिए और कहने के लिए तैयार हूं ।

(शोरगुल–व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

(शोरगुल–व्यधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : (अश्रव्य)।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन ग्रहण करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैंने अपने सदस्य को बिठा दिया है, आप सचेतक महोदय बैठ जायं । मैं कर जोड़कर निवेदन करूंगा कि ···

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : राजा-महाराजाओं से तो आपने गठबंधन किया। अगर हम ××× हैं तो आप ××× हैं । उदयपुर महाराणा के ××× हैं ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपने ××× हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : हम मजदूर किसान की ताकत पर जीतकर आए हैं ।

(शोरगुल)

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया (बून्दी) : इस तरह से ××× का रिमार्क पास करना ठीक नहीं है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं चाहता हूं कि इस पवित्र स्थान पर·········

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : अपना रिमार्क वापस लें ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए·········

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : रिमार्क्स वापस लेलें ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं निवेदन कर रहा था कि जैसे ही मुझे टेलीफोन पहुंचा, एक ऐसे व्यक्ति ने किया कि मैं चौक पड़ा, हैरान था·········

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) : वह व्यक्ति कौन था ?

श्री गुमान मल लोढ़ा : नाम नहीं बताया जाता है ।

×××अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार शब्द कार्य विवरण से निकाले गये ।

Page No 19

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। पहले रिमार्क वापस ले लिया जाए। सदन ऐसे रिमार्क्स को बरदास्त नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष : आप बैठें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जोधपुर का इतिहास साक्षी है। सन् 1947-48 के अंदर जिस समय सिंध से सैकड़ों हजारों की तादाद में शरणार्थी आए और.........

श्री खेतसिंह : उस समय आपकी पार्टी पैदा ही नहीं हुई थी।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उस समय आप महाराजाओं के साथ में थे।

माननीय सचेतक महोदय, आपने जिस तरह से दल बदलकर सदन की मर्यादा भंग करके कार्य किया, आप अपनी तस्वीर आइने में देखकर फिर बोलें।

श्री खेतसिंह : आपसे कई गुना मेरी तस्वीर अच्छी है।

(शोरगुल)

श्री गुमानमल लोढ़ा : ये प्याज के छिल्के हैं.........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन की गरिमा को रखें। आसन की गरिमा को रखें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सचेतक महोदय का व्यवहार ठीक नहीं है.........

श्री खेतसिंह : आपके नेता महोदय का व्यवहार बड़ा अच्छा है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : बहुत खूब।

(शोरगुल–व्यवधान)

श्री रामानन्द अग्रवाल : (श्री गिरधारी लाल से) इतने ××× कि गंजे हो जायेंगे अगर ऐसी बदमाशी की बात कही।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : (अश्रव्य) मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को सजा देनी चाहिए.........

(शोरगुल)

सदन में वह इस प्रकार की बात कहें.........

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस ××× को निकालो इस ××× को निकालो यह भों भों कर रहा है। ××× को निकालो, इस ××× को निकालो।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

(शोरगुल)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ×××

श्री भानुकुमार शास्त्री : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

मैं फिर से माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि बजाय सीधी सीधी बात करके, आप अपनी बात कहें ताकि यह कार्य सुचारू रूप से चल सके। ऐसा वातावरण पैदा करने से फायदा नहीं है। आप सबको मौका मिलेगा।

××× अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया व शब्द कार्यवाही से निकाले गये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं आभारी हूं। धन्यवाद ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय रामानन्दजी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया उसके लिए आसन को क्या कहना है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुझे खुशी नहीं है इस प्रकार के शब्दों के इस्तेमाल करने की लेकिन माननीय सदस्य बार बार असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बार बार मैंने कहा है । मैं महसूस करता हूं कि उनका व्यवहार इस किस्म का है, संसदीय प्रणाली को न मानकर चाहे जिस प्रकार के शब्दों का प्रवोकेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं.........

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं इनकी इज्जत करता हूं, सदन में सीखने के लिए आया हूं लेकिन एक बुजुर्ग इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करें, क्षमा करें, न मुझे इस प्रकार की संस्कृति सिखाई गई है, न ऐसे शब्द सीखा हूं, अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो मुझे भी विवश होकर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : जिन असंसदीय शब्दों का प्रयोग आपकी पार्टी के लीडर ने किया है, वापस ले लेंगे ?

श्री अध्यक्ष : हां रामानन्दजी, आप बोलें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जो शब्द यहां यूज किये गये हैं वह अत्यन्त ही अशोभनीय हैं, ये शब्द अन-पार्लियामेण्टरी हैं। और अन-पार्लियामेण्टरी शब्दों का सदन में यूज करना सदन की मर्यादा के खिलाफ है जो इन्होंने यूज किया या जो मैंने शब्द प्रयोग किये। उन शब्दों का इस्तेमाल करने से मुझे कोई खुशी नहीं है । मैं तो चाहता हूं कि सदन में जो वाद-विवाद हो वह इस प्रकार हो जो कि संसदीय परम्पराओं के अनुकूल हो । इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि नीति के मामले को लेकर जो सदन में कहा जाय व हमेशा अच्छे शब्दों में कहा जाना चाहिये । चाहे पोलिटिकली आपके या हमारे व्यूज एक दूसरे से भिन्न हों पर जो शब्द इस्तेमाल किये जायं वह असंसदीय नहीं हों । मैंने बार बार इन्हें कहा कि आप असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करें । पर श्री गिरधारीलालजी बराबर बोलते ही रहे । जब वह लगातार व्यक्तिगत आरोप ही लगा रहे हैं, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहां तक उचित है ? इसलिये, अध्यक्ष महोदय, भविष्य में इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये। जब बार बार व्यक्तिगत आरोप लगाये तो मैंने इन्हें कुछ कहा है । लेकिन इसी तरह के शब्द हम इस्तेमाल करते रहे तो हमें यहां पांच साल बैठकर कुछ काम करना है वह कैसे कर पायेंगे ? इसलिये मेरा निवेदन यही है कि सदन की कार्यवाही में हमेशा चाहे जितने हमारे आपस में पोलिटिकल डिफरेन्सेज हों, चाहे कोई भी पोलिटिकल पार्टी हो, जो भी डिस्कशन्स हों वह संसदीय परम्पराओं के अनुकूल होने चाहिये कम से कम ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि यूजफुल बहस होनी चाहिए । इस तरह के शब्द आइन्दा मैं भी प्रयोग नहीं करूंगा और इन्हें

(श्री रामानन्द अग्रवाल) :

भी ऐसे असंसदीय शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिए, जो कि अलग अलग मतलब निकालते हों। और एक ऐसा वातावरण हम बनाना चाहिए जिससे कि हम यहां कुछ काम कर सकें जनता की भलाई के लिये।

श्री अध्यक्ष : श्री गुमानमल लोढा।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, अगर मैंने जो शब्द ××× कहा है उसमें किन्हीं को आपत्ति है तो वह ××× शब्द जिसे असंसदीय मानते हैं, मैं उस शब्द ××× को वापिस लेता हूं। बात यह है, अध्यक्ष महोदय, कि जो अभी चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस और कम्यूनिस्टों का गठबन्धन हुआ और वह गठबन्धन इस प्रकार का हुआ था जिसमें इन दोनों ने जनसंघ पर कई प्रकार के आरोप लगाये जो उचित नहीं थे। फिर, भी जब राज्यपाल के अभिभाषण के दिन में सभी से मिला तो मैंने सबसे ही अभिवादन किया—चाहे वे कांग्रेसी थे, चाहे वे कम्यूनिस्ट थे, चाहे और किसी पार्टी के थे। अगर मैंने जो ××× शब्द कहा वह किसी को असंसदीय शब्द लगा हो तो मैं उसे वापिस लेने को तैयार हूं। और वापिस लेता हूं। मेरा ध्येय कभी नहीं था कि किसी को गाली दूं या ××× कह कर उसे अपमानित करूं। तो, अध्यक्ष महोदय...... ...

श्री खेतसिंह : लेकिन, आपको, यह मालुम होना चाहिए कि ××× जोधपुर में किया गया है उसमें आपका मतलब दूसरा किसको कहते हैं। इसको, अध्यक्ष महोदय, एक्सपन्ज किया जाय। यह एक प्रकार की गाली होती है।

श्री अध्यक्ष : इसे सदन की कार्यवाही से एक्सपन्ज किया जाये। और मैं सदन के माननीय सदस्यों से यह अपील करूंगा कि आइन्दा इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं हो। माननीय सदस्य अब आप जल्दी ही समाप्त करें।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, मैंने यही कहा था।

श्री खेतसिंह : (माननीय मुख्य मंत्री के बोलने के लिये खड़े होने पर) माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। मुख्य मंत्री महोदय, कुछ स्थिति का स्पष्टीकरण करना चाहते हैं। Leader of the House is standing.

श्री गुमानमल लोढा : Don't try to become more pious than the Pope himself.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले आप मुख्य मंत्री महोदय को सुनें।

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सारे सदन से अपील करूंगा, अपने को सदन में काम करना है, और सदन की कार्यवाही में जो भी कार्य करना हो उसे हमें सही तरीके से करने की जरूरत है। हो सकता है कि ××× के शब्द का जो उपयोग

××× अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार शब्द निकाला गया।

Page No 22

(श्री बरकतुल्ला खां) :

हो। पर इस शब्द के कई मतलब निकल सकते हैं, इसमें मतभेद भी हो सकते हैं पर जहां तक हो सके ऐसे शब्दों का प्रयोग करना ठीक नहीं है। क्योंकि जोधपुर में ××× उसको कहते हैं, जो उसकी पैदायश है जिसकी मां कोई दूसरी जाति की है और बाप कोई दूसरी जाति का। और आम तौर पर ऐसा तो जोधपुर में है। पर जयपुर में इस ××× शब्द का मतलब दूसरा है। यहां पर यह शब्द गाली नहीं है। जयपुर में ××× को बड़ा आदमी कहते हैं। पर जोधपुर में तो उसे बड़ा आदमी नहीं कहा जा सकता। इसलिए माननीय सदस्यों से एक बार अपील करूंगा कि वे आइन्दा ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री गुमानमल लोढ़ा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, यह तो इनका बहुमत है और बहुमत के आधार पर किसी को भी अपनी बात कहने नहीं देंगे। चूंकि आप भी इस पार्टी के सदस्य होकर अध्यक्ष बने हैं और अगर आप भी यही चाहते हैं तो आप इन्हें निकाल दीजिये। आज लगातार तीन चार दिन से देख रहा हूं कि कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टी को बोलने का समय का बंटवारा भी ठीक नहीं है और मैं जो तीन दिन से लगातार बोलने के लिये खड़ा हूं पर मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। बीच बीच में इन्ट्रप्शन किये जा रहे हैं। खैर यह तो आपका डिस्क्रिशन है फिर भी.........

श्री पूनमचन्द विश्नोई (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने ××× शब्द का प्रयोग किया है वह असंसदीय है। ××× शब्द का मतलब है इम्प्योर ब्लड। इसलिये इसे निकाल दिया जाना चाहिये सदन की कार्यवाही से।

श्री अध्यक्ष : ××× शब्द का अलग अलग जगह चूंकि प्रयोग अलग अलग मतलब से होता है इसलिये इसे एक्सपन्ज किया जाय।

श्री गुमान मल लोढ़ा : मुझे इस बात का खेद है, अध्यक्ष महोदय, कि मैंने जो ××× शब्द कहा उसका गलत मतलब निकाला गया है फिर भी अगर आप लोगों को यह शब्द असंसदीय लगा हो तो आप इसे सदन की कार्यवाही से निकाल दें। मैं खुद भी नहीं चाहता कि असंसदीय शब्दों का प्रयोग हो। सदन की परम्पराओं के अनुकूल कार्य हो। आज जनता ने हमें यहां पर पांच साल के लिये भेजा है। यहां पर हमें पांच साल तक काम करना है अगर हम संसदीय परम्पराओं की पालन नहीं करेंगे तो इतना लम्बा समय कैसे निकालेंगे। हमें सदन का मान और उसकी गरिमा का ध्यान रखना चाहिये। और ऐसा कोई वातावरण नहीं बनाना चाहिये जिससे सदन की गरिमा और आसन की गरिमा को ठेस पहुंचे............

श्री अध्यक्ष : अब आप इसे थोड़ा संक्षेप में कर दीजिये, काफी लम्बा हो गया है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे जल्दी ही समाप्त कर दूं तो मैं इसे जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं। मैं इस सदन में जो बात है

××× अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार शब्द निकाला गया।

(श्री गुमानमल लोढा)

यह बता दूं कि जोधपुर में जो घटना घटी है। अभी जिस दिन चुनाव हो रहे थे। मेरे पास छ: बजे टेलीफोन आया कि वहां झगड़ा हो गया है। तो मैंने जिलाधीश महोदय से सम्पर्क स्थापित करने की कोशिश की तो वह दफ्तर में नहीं थे। बाद में घर उनके बंगले पर सम्पर्क स्थापित करने की कोशिश की पर वह नहीं मिले। तो सीधा सिटी पुलिस पहुंचा। वहां जाकर मैंने देखा कि क्या स्थिति ऐसी हो गयी। उस समय शान्त वातावरण था। स्थिति में सुधार हो रहा था। और कांग्रेस वालों का यह कहना कि, वहां पर साम्प्रदायिक दंगा जनसंघ वालों ने कराया है. यह गलत है.........

एक माननीय सदस्य : यह झूठ है। सरासर झूठ है।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय यह बिल्कुल सही है। झूठ नहीं है। मैं आपसे निवेदन कर दूं कि कोई चुनावों के दो दिन पहले, व्यापारियों की मसजिद के पास के मोहल्ले वाले मुस्लिम भाई मेरे पास आये और उन्होंने मुझे आकर कहा कि आप हमारे यहां आकर मीटिंग करें। हम आपका साथ देंगे। वहां आकर मीटिंग में आप अपने विचार प्रगट करें, हम लोगों का समर्थन आपको मिलेगा। मैं तो, अध्यक्ष महोदय, हिन्दू मुस्लिम दोनों को भाई भाई समझता हूं और जो यह धारणा फैलायी जा रही है कि जनसंघ एक धार्मिक पार्टी है, यह बिल्कुल गलत है। क्योंकि जनसंघ के टिकट पर देहली में नगर निगम के चुनावों में श्री अनवर देहलवी को टिकट देकर जिताया था। अगर जनसंघ हिन्दू धर्म पर ही चुनाव लड़ता है तो फिर उन्हें कैसे जिताया। इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, जनसंघ के टिकट पर जम्मू में एक मुसलमान भाई को काश्मीर की विधान सभा के इलेक्शन में जिताया। आपको मालूम होना चाहिये, अध्यक्ष महोदय, जम्मू में 98 प्रतिशत हिन्दू हैं। हमने उनको जिताया है। तो मैंने कहा मेरे दिल में अन्तर नहीं है। न अन्तर करना चाहता हूं। चाहे चुनावों में जीतें या हारें। इसलिए मेरा मानना है कि किसी प्रकार का ऐसा वातावरण नहीं था।

जो यह छोटी सी गड़बड़ी हुई, झगडा हुआ, चुनाव के अन्तिम क्षण में पांच बजने में बीस पच्चीस मिनिट ही बचे होंगे तब हुआ तब एक मतदाता को पकड़ने के प्रश्न पर हुआ, जिसने जाली मत दिया, सरकारी रिपोर्ट इस बारे में सही है। मेरी खुद की जानकारी भी यही है वह व्यक्ति जाली मतदाता भाग गया। इसके बाद में पोलिंग एजेन्ट ने उसे रोकने का प्रयास किया तो उस ने थप्पड़ मारने की कोशिश की। इस पर तनाव बढ़ा।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री मनोहर सिंह कोठारी : अब आप प्रायश्चित कर लें।

श्री गुमानमल लोढा : प्रायश्चित तो आपको करना होगा। आप करें। जिन्होंने इस आकस्मिक घटना को राजनैतिक रंग दिया।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : सी० बी० आई से जांच करवा लें।

Page No 24

श्री गुमानमल लोढ़ा : मुझे यह सहर्ष स्वीकार है। इसमें मैं और निवेदन कर दूं कि सी०बी०आई० की जांच से अगर मैं दोषी पाया जाऊं किसी भी तरह से तो मैं न केवल सदन से ही त्यागपत्र दे दूंगा, वरन् राजनीति से भी सन्यास ले लूंगा। और अगर इस जांच से यह पाया जावे कि यह अफवाह फैलाने वाले ब्यावर में रहते हैं दूसरे स्थानों पर रहते हैं जो जोधपुर में पहुंच गये और लोगों को भड़का कर दंगे झगड़े कराये और दुकानों की लूटपाट कराई तो यह आपके लिये प्रायश्चित का विषय होगा। ये लोग हमारे पुराने गौरव को, शान्ति को हमारी सनातन संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करना चाहते हैं। मुख्य मन्त्री इनमें नहीं हैं, यह मैं स्पष्ट कहता हूं। उन्होंने कभी ऐसे काम नहीं किये, न ऐसे कामों को कभी प्रोत्साहन दिया। जोधपुर की शान्ति को कायम रखने के लिये आपने हर सम्भव प्रयत्न किया। मैं इसकी गवाही देना चाहता हूं। जिन्होंने भड़काने का प्रयास किया, मुख्य मन्त्री महोदय ने अपनी सरकारी मशीनरी के द्वारा जानकारी प्राप्त करके शान्ति के लिये जितना कुछ करना आवश्यक था वह किया और कर रहे हैं मैं इस काम में उनके साथ हूं। शान्ति बनी रहे, इस काम के लिये मैं मोहल्ले मोहल्ले में गया। मदरसे में गया। मुसलमान भाइयों के मोहल्लों में भी गया और मैंने ऐलान किया कि वे यह मानकर चले कि यदि उनके हाथ पर कोई वार करेगा तो मेरा सिर उसके बीच में उनको मिलेगा। जहां आपका पसीना गिरेगा वहां मेरा खून गिरेगा। अब अगर कोई यह कहता है कि मैं अफवाहें फैलाता हूं दंगे करवाता हूं तो अब क्या कह सकता हूं केवल यही कह सकता हूं कि ईश्वर देखने वाला है। अब वास्तव में दंगे कौन करवाता है कौन नहीं यह सरकार बहुत ठीक तरह से जानती है। बहुत ठीक रिपोर्ट इस बारे में सरकार के पास हैं। ऐसी घटनाएं चुनाव के समय होती रहती हैं। यह घटना भी अकस्मात् थी केवल मार पीट की ही थी। आसाम, बंगाल और बिहार में तो कत्ल तक हो जाते हैं। जोधपुर में झगड़ा होते ही मैं मोहल्ले मोहल्ले घूमा। मदरसे की मस्जिद के पास भी पहुंच गया। लोग आवेश में थे। मैंने शान्त किया। इस्लामिया मोहल्ले में गया। वहां झूठ मूठ ही किसी ने अफवाह फैला दी कि कोई व्यक्ति मारा गया। मैंने कहा अफवाहों को बन्द करो चाहे वह हिन्दू फैलाता हो चाहे मुसलमान। भगवान के लिये आप अपने घरों में चले जाइये और शान्ति से रहिये चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं। इस नगर के गौरवमय इतिहास को कलंकित मत करिये। पुलिस सब इन्सपेक्टर, ए.एस.पी. वगैरह सरकारी अधिकारीगण भी इसके साक्षी हैं। पर दुर्भाग्य इस बात का है कि मेरे जाने के थोड़ी देर बाद ही 6।। बजे के करीब लूटपाट की घटनाएं हो चुकी थीं और वह गलत अफवाहों के कारण हुई। इसमें सभी प्रकार के लोग जिम्मेदार हैं। असामाजिक तत्वों ने लूटपाट की सरकार के इस कथन का मैं समर्थन करता हूं। अब जो असामाजिक तत्व होते हैं उन में न कोई हिन्दू होता है न मुसलमान न जनसंघ होता है, न कांग्रेसी होता है न कम्यूनिस्ट और न समाजवादी होता है। वे तो वक्त का फायदा उठाते हैं।

Page No 25

श्री अध्यक्ष : दो मिनट में समाप्त करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं जल्दी ही समाप्त करता हूं। पर जो पोइन्ट रेज किये हैं उसका जवाब तो स्पष्ट आना ही चाहिये। तो मैं निवेदन करूंगा कि कहा जा रहा है कि जिन्होंने लूटपाट की उन पर मुकदमे चलाये जावें। यह दुर्घटना पोलिंग स्टेशन पर हुई और वहां से दोनों तरफ के लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मेरा ऐसा विचार है कि उनके खिलाफ मुकदमे कम से कम नहीं चलाये जाकर आपस में मेल कराया जाना अधिक ठीक होगा। वहां तो स्ट्रे इन्सीडेन्ट था वह। दोनों तरफ के ही आदमियों के चोटें लगी हैं। मेरे साथी रिश्तेदार लोगों के सिर पर भी चोटें आईं। पुलिस और पुलिस के अधिकारियों के भी चोटें लगीं, पोलिंग अफसर के भी चोटें लगीं, पर वे सिम्पल इन्जूरी थीं जिनमें पत्थर आपस में मारे गये थे। अब वे पत्थर जिस मोहल्ले में गिरे और जिन मकानों में से गिरे, मैं समझता हूं, माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, स्वयं इस बात का समर्थन करेंगे कि उन मकानों से और उन मोहल्ले से कम से कम मेरा या मेरे कार्यकर्ताओं का कतई कोई सम्बन्ध नहीं था। मेरा हालांकि यह कहना भी नहीं है कि वह कोई प्री-प्लान्ड षड्यन्त्र था। इसका यह भी मतलब नहीं कि वे लियाकत के समर्थकों के थे। इतना निश्चित है कि वे असामाजिक तत्वों के घर थे।

इसके बाद लूटपाट में लगभग तीस के आसपास दुकानें लूटी गई। यदि गफ्फार अली महोदय सरकार के वक्तव्य को शान्ति से पढ़ते तो उसमें ही यह लिखा है। दुकानों की लिस्ट कलेक्टर ने ले ली है। जाँच इसकी चल रही है। मैं मुख्य मन्त्री जी से भी मिला हूं इस बारे में और हम सभी चाहते हैं कि इस बारे में शीघ्र से शीघ्र निर्णय किया जावे।

श्री रामनाथ अग्रवाल : क्या आप बता सकेंगे कि उन दुकानों की संख्या कितनी थी ?

श्री गुमान मल लोढ़ा : यह सरकार बतावेगी।

श्रीमती कमला बेनीवाल : 22 दुकानें हैं।

श्री गुमान मल लोढ़ा : माननीय सदस्य को अविश्वास नहीं करना चाहिए जबकि सारा कार्य उनकी ही समर्थित सरकार द्वारा किया जा रहा है। दुर्भाग्य इसी बात का है कि सदन में जब भी इस तरह के प्रसंग आते हैं तो यहां ऐसी ही बातों को उछाला जाता है जिनका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नहीं। ऐसी स्थिति में सरकार स्वयं भी अगर वास्तविकता बताय तो विश्वास नहीं होता इनको।

तो मैंने जो तथ्य थे वे सदन के सम्मुख रखे। मैं फिर अपनी भावना व्यक्त करता हूं और इस दुर्घटना की पूरी भर्त्सना करता हूं। सदन इस बात को अंकित कर ले कि इस बारे में यदि कोई भी व्यक्ति दोषी है तो उसको सजा दी जावे बगैर इधर-उधर कुछ सोचे। लेकिन जब इस तरह से सामान्य झगड़ों को राजनैतिक रंग दे दिया जाता है तो मामला उलझ जाता है और गम्भीर बन जाता है। आज केवल फर्जी वोट को लेकर मुकद्दमा चलाने की बात की

(श्री गुमानमल लोढा)

जाती है वह कहां तक लोजिकल है। इस सारे घटनाचक्र के सन्दर्भ में, यह सरकार जाने, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो चाहता हूं कि शान्ति का वातावरण जो बन गया है वह डिस्टर्ब न हो अब। शान्ति बनी रहे। अब यदि सरकार यह चाहती है कि मुकद्दमा चलना चाहिए, फर्जी वोटर पकड़ा जाना चाहिए और उसे मिलनी चाहिए सजा तो अवश्य चलाया जावे। यह न्याय की व्यवस्था है। मैं इसमें व्यवधान नहीं डालना चाहता कतई तौर पर। पर इतना अवश्य कहूंगा सदन के प्रांगण में कि इस तरह के मामलों में राजनीति को लाना एक तरह का भयंकर और जघन्य अपराध है। जनसंघ के कार्यकर्ताओं का नाम लेकर अफवाहें फैलाना और प्रचार करना मानवता की दृष्टि से एक तरह का अत्यन्त जघन्य अपराध है। हो सकता है उन लोगों को कुछ भ्रान्ति हो गई हो। भ्रम हो गया हो। अगर भ्रम हो गया तो सरकार की मदद से उसको दूर करना चाहिए था हमसे बात करके। पर राजनैतिक विद्वेष की दृष्टि से ऐसे मामलों को तूल देना और अफवाएँ फैलाना, भगवान के लिये आपसे निवेदन करूंगा कि इस खेल को समाप्त करें। यह अत्यन्त खतरनाक खेल है। इस आग से वे न खेलें।

हो सकता है आज आपको इससे कुछ तत्काल लाभ मिलता हो, वोट मिलते हों पर इस विद्वेष की आग में अन्त में न आप बचेंगे, न हम बचेंगे, न हमारा यह प्यारा देश बचेगा। हमारी स्वतन्त्रता और हमारा अस्तित्व तक खतरे में आजावेगा। इस खेल को बहुत खेला जा चुका है। हमने इसके कटु परिणामों को देखा है। देश के टुकड़े हो गये हैं। कांग्रेस अपने जीवन में इस साम्प्रदायिकता के प्रश्न को हल नहीं कर सकी, अब भी वह इसे समाप्त करती नजर नहीं आती। इसके तत्काल लाभ का लोभ उसको है, वोटों का लालच उसके विवेक पर पर्दा डाले हुए है।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें आप। काफी समय आप ले चुके हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपका मैं इसके लिये बहुत आभारी हूं, अध्यक्ष महोदय, कि आपने स्पष्टीकरण का मुझे अवसर दिया।

श्री अध्यक्ष : साधारणतया सरकारी वक्तव्य के बाद कुछ बोलने का अवसर नहीं होता। फिर भी आप काफी समय ले चुके हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : एक बात का, अध्यक्ष महोदय, स्पष्टीकरण और करूंगा। और वह बात यह है, कह दिया गया है बड़े हल्के तौर पर कि भारतीय जनसंघ ऐसा कार्य करता है। कम से कम मुख्य मंत्री इसके साक्षी हैं कि हम लोग यहां पिछले बीस-इक्कीस वर्ष से काम कर रहे हैं। इस सारे काल में एक दुर्घटना नहीं घटी। शान्ति से और भाई चारे और प्रेम से हमने काम किया है। हमने इस दुर्घटना को भी कण्डेम किया है और आगे भी बराबर करते रहेंगे। कहा गया कि गांधीजी की हत्या हमने कराई। इसका जवाब हर स्तर पर काफी दिया जा चुका है, पर ऐसा लगता है कि जिनके विवेक पर पर्दा पड़ गया हो और अफवाह फैलाना ही जिनका धन्धा रह गया हो और जिससे राजनैतिक लाभ उठाना ही उद्देश्य बन गया

(श्री गुमानमल लोढा)

हो उनके गले कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं उतर सकता। उनको बताया जा चुका है कि उस समय तक तो भारतीय जनसंघ का जन्म भी नहीं हुआ था।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आर० एस० एस० तो था।

श्री गुमानमल लोढा : दिल्ली में तब तक एक भी हिन्दू-मुस्लिम झगड़ा नहीं हुआ जब तक जनसंघ का प्रभाव वहाँ रहा। आपके दिमाग में तो राजोरिया काण्ड का भूत घुसा हुआ है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप उनको बतावें जिनको मालूम न हो आपके बारे में।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, आसन ने मुझे बोलने का अवसर दिया है तो इस तरह से बीच में व्यवधान डालने की प्रवृत्ति को रोका जावे, आसन से मैं संरक्षण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आसन ने जितना समय आपको दिया उतना किसी को नहीं दिया। जल्दी समाप्त करें अब आप।

श्री गुमानमल लोढा : इसके लिये आपका आभारी हूँ पर मुझे पूरी तरह से स्पष्टीकरण का अवसर तो दिया जाना चाहिए, इस तरह से व्यवधान डालने से व्यर्थ समय जाता है। आज जनता ने आपकी सत्ता को बनाये रखने के लिए अन्तिम अवसर और दिया है। उस अवसर का लाभ उठाकर अगर आप चाहें तो भले ही जनसंघ को जला दो, मुझे मार दो, मेरी हत्या कर दो, मुझे खत्म कर दो, पर भगवान के नाम पर हिन्दू-मुसलमान के बीच में फसाद की बात से दूर रहो, इस आग से न खेलो, इससे राजनैतिक लाभ उठाने की बात मत सोचो।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप की कथनी और करनी में अन्तर है।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : दो प्रश्न पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय...

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अपने प्रान्त में सामान्यतः साम्प्रदायिक एकता रही है और इस प्रकार के झगड़े न हों, यह इस सदन के सभी माननीय सदस्यों का दृष्टिकोण होना चाहिये। जोधपुर में जिस प्रकार की घटना हुई। इस घटना के होते ही जैसे मुझे सूचना मिली गफ्फार अली और लियाकत अली जो पार्टी के सदस्य हैं, इन दोनों को स्थिति की जांच करने के लिये जोधपुर भेजा। जोधपुर जाकर माननीय सदस्यों ने जांच की......

श्री अध्यक्ष : कोई स्पष्टीकरण की बात तो है नहीं, आप तो भाषण दे रहे हैं। इस बहस पर काफी समय लग चुका है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने तो नहीं लगाया है।

श्री अध्यक्ष : कुछ भी हो सदन का समय तो लगा ही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जो यह तथ्य सामने रखे गये हैं, हमारी इसमें दिलचस्पी नहीं है कि अनुचित तौर से किसी प्रकार

Page No 28

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

साम्प्रदायिकता का आरोप लगाया जाय। यह हमारी दिलचस्पी अवश्य है कि इस प्रकार की घटनायें हों तो अवश्य किसी को जो दोषी है, दण्ड दिये बिना उन पर पर्दा न डाल दिया जाय। पहले भी इस प्रकार की घटनायें हुई हैं, अध्यक्ष महोदय। उदयपुर में साम्प्रदायिक दंगे हुए, कुछ लोगों की दुकानें जलाई गई और फिर बाद में राजनैतिक दबाव के कारण वे मुकदमें वापिस कर दिये गये। इस प्रकार की परम्परा रही है। हम यह समझते हैं जो लोग दोषी हैं उनको दण्ड दिया जाना चाहिये ताकि ये घटनायें बार बार न उठें। अब प्रश्न है जो तथ्य हमारे सामने आये हैं, इन तथ्यों में क्या निकलता है। एक तो, अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण बात यह है कि यह चुनाव के दौरान घटना हुई। एक के पक्ष में एक पार्टी श्री गुमानमलजी लो। जो वहां पर सदस्य थे उनके दल के लोगों ने जो गलत तरह से वोट देना चाहते थे उसको पकड़ा, वाजिब तौर पर पकड़ा और उसको मारने पीटने में किन्ही लोगों में झगड़ा हो गया। आपने फरमाया किन्हीं लोगों ने यह अफवाह फैलाई कि तीन हिन्दुओं को मार कर कुएं में डाल दिया गया। यह प्रवृत्ति कौन पैदा करता है। इस प्रकार की अफवाह फैलाई। इस प्रकार के वातावरण को हमारे देश में या वहां पर किसने फैलाया? मैं यह समझता हूं कि चाहे उस घटना के बारे में उस वक्त किसी ने फौरी तौर पर माननीय सदस्य को या माननीय सदस्य के कार्यकर्ताओं को कहा है। परन्तु इस प्रकार की प्रवृत्ति, कि ऐसे दंगे हो और उसमें इस प्रकार की बात कह दी जाय, इस प्रकार की अफवाह आग में घी डालने का काम करेगी। यह किसकी राजनीति पैदा करती है, कौन इस प्रकार का वातावरण पैदा कर रहा है जिससे यह जहर पैदा होता है। माननीय सदस्य ने इस बात को बताने की कोशिश नहीं की कि ये कौन लोग थे······

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, सभी पार्टियों के कार्यकर्ता थे अन्य लोग भी थे······

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : अध्यक्ष महोदय व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय सदस्य इन्टरवीन न करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं समझता हूं फिर किसी दल विशेष पर आरोप लगाना उचित नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं तो किसी दल विशेष पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : जहां जनसंघ का नाम आया वहीं बोलने खड़े हो जाते हैं।

(शोरगुल-अश्रव्य)

आपके नेता कह चुके, बोल चुके···

श्री गुमानमल लोढा : 25 हजार जनता ने भेजा है प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : आपका वक्त हो तब कहें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह निवेदन करता चाहता हूं जिसको सीरियसली माननीय

Page No 29

(श्री रामानन्द अग्रवाल) गुमानमलजी भी विचार करें। मैं उनका भी सहयोग चाहता हूं। हम यह जानना चाहते हैं यह शरारत कहां से शुरू हुई है, क्यों शुरू हुई है ? ताकि उसको रोक सकें। जिस प्रकार की अफवाहें फैलाई गई कि तीन आदमी मारे गये, कुएं में डाले दिये गये और जिन लोगों ने रोका और मार पिटाई हुई यानि वह वोट डालना चाहता था और आपके समर्थक और उन लोगों के बीच मार पिटाई हुई। बहरहाल डाइरेक्टली जो आपके वर्कर्स, जो पोलिंग में थे वह उस मारपीट में एक पक्ष था जो सही तौर से उस वोटर को जो गलत तरीके से जो वोट डाल रहा था, रोक रहे थ। अब सही तरीके से रोकते हुए उस समय मार पिटाई का वक्त था या नहीं......

(व्यवधान-अश्रव्य)

मैं कुछ प्रश्न बता रहा हूं विचार करने के। दूसरी बात फिर उस बात को तूल दें पर मार पिटाई हो गई और मार पिटाई ही नहीं हुई बल्कि मर गये हैं यह उसी चीज का प्रोजक्शन है। वहां दो दल बने हुये थे—एक लियाकत साहब का और एक आपका। झगड़े में हिन्दू मर गये उसमें आप दिलचस्पी रखते हैं, आप बड़े ऐडवोकेट हैं आप विचार कर लें, दूसरे लोग इन्ट्रेस्टेड हो सकते हैं—इस बात को कहने से और इस बात से भी शंका हो सकती है। आपने कहा, आपको टेली फोन पर कहा 10 आदमी मर गये। मैंने आपसे पूछा वे कौन थे आखिरी तक जवाब नहीं दिया। आपकी इच्छा उसको बचाने की थी। आप उसको शेल्टर करना चाहते थे।

श्री गुमानमल लोढा : मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा, इस आग से खेलने का प्रयास नहीं करें। XXX

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : XXX

(शोर गुल-अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढा : मैं आपसे निवेदन करूंगा......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं इन्ट्रप्शन बन्द किया जाय। न पाईन्ट आफ आर्डर, न कुछ।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : गुमान मल जी आप बोल रहे हैं मैं सरकार को....

श्री गुमानमल लोढा : मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा......

एक माननीय सदस्य : अब भगवान को साक्षी बनाना चाहते हैं। जनता की आंखों पर पर्दा डालना चाहते हैं।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आज जो प्रश्न कम्यूनिस्ट पार्टी के लोग (शोरगल-अश्रव्य) हिन्दू मुस्लिम भाइयों में जो फूट डालना चाहते है......

(शोरगुल-अश्रव्य)

XXX अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार शब्द कार्य विवरण से निकाले गये।

श्री गुमानमल लोढा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह केवल सदन की ही बात नहीं है सारे देश की बात है······

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : (अश्रव्य)

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न किया जाये।

श्री गुमानमल लोढा : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न किया जाये।

श्री गुमानमल लोढा : × × ×

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : × × ×

श्री गुमानमल लोढा : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न किया जाये।

श्री राजेन्द्र भारतीया : सारे चुनावों में सब कुछ करने के बाद भी यहां यह बातें करते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरे बुजुर्गों ने भी ऐसी तुच्छ बातें बोलना नहीं सिखाया हैं। यह मेरी संस्कृति और परम्परा रही है। आप चाहे कुछ भी कहते रहें।

श्री गुमानमल लोढा : (शोरगुल-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री गुमानमल लोढा : माननीय रामानन्दजी जैसे पुराने सदस्य नें किस प्रकार के ओछे शब्दों का उपयोग किया······

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं फिर नाम से पुकारता हूं। आप बैठिये।

(शोरगुल-अश्रव्य)

माननीय सदस्य आसन ग्रहण करें।

श्री गुमानमल लोढा : खून की ही बात करते आये हैं। खून-खच्चर करने के लिए······

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य (श्री गुमानमल लोढा) आपको नामजद करना पड़ेगा मजबूर होकर।

श्री गुमानमल लोढा : स्पष्टीकरण की बात थी······

श्री अध्यक्ष : मैं कह दूं उसके बाद कह देना।

श्री रामानन्द अग्रवाल : स्पष्टीकरण की बात नहीं है मेरी पार्टी के आदमी ने एडजर्नमेन्ट मोशन रखा है।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहता हूं आप सब बैठिये। मैं माननीय सदस्यों से बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से नियमों का उल्लघन करके और तमाम परम्पराओं का उल्लघन करके हम बोल रहे हैं यह सदन की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी नियम का पालन नहीं करना, किसी उप-नियम का पालन नहीं करना और न परम्पराओं का पालन करना और बीच

×××अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

में डिस्टरबेन्स पेश करना, मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, उचित नहीं है। जो आसन कहे उसको मानना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए। आसन को मजबूर न करें कि वह कोई कार्यवाही करे। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन की गरिमा बढ़ाना आप सबके हाथ में है और सबके सहयोग से हो सकता है। बावजूद इसके भी यदि आप नियमों का उल्लंघन करेंगे तो मुझे मजबूर होकर सख्त कार्यवाही करनी पड़ेगी, मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसा करूं। मैं फिर नम्रतापूर्वक······

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं अपनी बातों को जोर से रख रहा था······

श्री अध्यक्ष : आप सुनें तो सही।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात पूरी नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : सुनें तो सही। मैं यह कह रहा हूं कि इस विषय पर मंत्री के वक्तव्य पर केवल क्लेरीफिकेशन ही होता है। हमने सवा घण्टा ले लिया है और सदन इस पर ही कितना समय लगाना चाहता है यह मैं सदन का सेन्स समझ लूं। सारा दिन इसी पर लगाना चाहते हैं तो फिर ठीक है।

श्री मनोहर कोठारी : एक घण्टे से ज्यादा समय तो एक ही मेम्बर ने ले लिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं एक बात को साफ कर दूं।

श्री अध्यक्ष : सुनें तो सही। आप पांच मिनट में समाप्त कर दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारे दल की तरफ से जो एडजोर्नमेन्ट मोशन आया हम नहीं चाहते कि अनुचित रूप से किसी पर साम्प्रदायिकता का आरोप लगे या अनावश्यक रूप से कोई घटना हो जाये उसको दबा दिया जाय, इन्क्वायरी न हो और दोषियों को दण्ड नहीं दिया जाये। इसको मद्देनजर रखते हुए इस प्रश्न को उठाया गया है। मैं यह कह रहा था कि इस मामले में महत्वपूर्ण बात यह है कि किन्हीं लोगों ने अफवाह फैलाई कि तीन आदमी मर गये और कुएं में डाल दिए गए जो कि वास्तविकता नहीं थी। क्या सरकार ने इस बात की जानकारी की कि यह अफवाह फैलाने वाला कौन आदमी था। दूसरे अभी जनसंघ दल के नेता ने अपने स्टेटमेन्ट में यह कहा कि उन्हें किसी व्यक्ति ने टेलीफोन किया कि दस आदमी मर गए तो वह कहें कि वह व्यक्ति कौन था जिसने कि उन्हें पर्सनल टेलीफोन किया। क्योंकि दस आदमी मरे यह भी बिल्कुल निराधार बात थी, गलत थी। अगर इसका पता चल जाता है कि टेलीफोन करने वाला कौन था तो लिंक लग जाता है कि तीन आदमी मर गये और इसकी अफवाह फैलाने वाला कौन था······

श्री गुमानमल लोढ़ा : वह नगर परिषद् के कांग्रेस के एक मेम्बर हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस संबंध में सरकार जानकारी कर ले और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का भी इस प्रकार का उल्लेख होना चाहिए। फिर, अध्यक्ष महोदय, एक वक्तव्य

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

राजस्थान पत्रिका दिनांक 18 मार्च के अंक में छपा है माननीय गुमानमल जी लोढा का कि जनसंघ के विधायक श्री गुमानमल लोढा ने घटना के दिन आगजनी व लूटपाट की घटना के संबंध में राज्य सरकार से वक्तव्य की मांग की है और कहा कि व्यापारियों को मुआवजा दें तथा गिरफ्तारियां बन्द की जायें। इसके अलावा मुकद्दमें वापिस लेने के लिए भी मांग की है। अब जिन लोगों ने इस प्रकार की शरारत की है, लूटपाट की है, दंगे किये हैं तो गिरफ्तारियां क्यों बंद हो ? इस प्रकार के लोगों की बात भी यह सोचने के लायक है और मैं समझता हूं कि जब तक उन अपराधियों से संबंध नहीं हो उनको बचाने की बात नहीं है। तब तक गिरफ्तारियां बन्द करना और उनसे मुकद्दमें वापिस लेने की बात कहना बिल्कुल अनावश्यक है बल्कि दोषियों को दण्ड से बचाने की बात है। तो अन्त में मैं यही निवेदन करना चाहूंगा राज्य सरकार से कि राज्य सरकार का दृष्टिकोण साम्प्रदायिक दलों और साम्प्रदायिक झगड़े कराने वालों के प्रति नरम समझौते का दृष्टिकोण रहा है। पहले उदयपुर की घटना हुई। जनसंघ के नेताओं के दबाव से वे केसेज वापिस लिये गये, समझौते के तौर पर वापिस लिये गये। उदयपुर में जनसंघ दल के कार्यकर्ता उनसे सम्बन्धित थे, उन पर केसेज थे······

श्री भानुकुमार शास्त्री : गलत बात कही जा रही है। मैं उदयपुर का रहने वाला हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसकी आपको जानकारी होगी······

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को पांच मिनट का समय दिया है और वे अधिक समय लेकर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आर० एस० एस० पर बान लगाया जाय जो इस प्रकार का वातावरण पैदा करता है। उसके लिट्रेचर को पढ़िये। इस प्रकार हिन्दू राष्ट्र हो। जन संघ······

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय······

श्री गुमानमल लोढा : इस पर मैं बोलना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय सदस्य को पांच मिनट का समय दिया गया······

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढा : महात्मा गांधी ने आर० एस० एस० को देशभक्त और कम्युनिस्टों को गद्दार कहा है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का समय दिया जाय मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास (मालपुरा) : आप पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया गया है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं केवल तीन मिनिट लूंगा, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : एक मिनिट।

श्री भानुकुमार शास्त्री : उदयपुर के जनसंघ के बारे में माननीय सदस्य

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

रामानन्दजी ने जो प्रश्न उठाया है और जनसंघ दल पर जो आरोप लगाये उसके संबन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि कम्युनिस्ट सदा से यह किया करते हैं कि दंगे कैसे फैलाये जायें। असामाजिक तत्व की कोई जाति नहीं होती है। असामाजिक तत्व उसको मानतीं हूं अजमेर जेल में मुझे दो महीने डिफेन्स ऑफ इन्डिया रूल्स के अन्तर्गत रखा गया मैंने सुखाड़िया जी को पत्र लिखा कि यदि मैंने अपराध किया है या जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने कोई अपराध किया है तो क्या तमाम अदालतों को कोई लकवा मार गया है कि वे हम पर केसेज नहीं चला सकतीं। सुखाड़ियाजी ने यह कहा था कि यह निराधार है। यह कुछ असमाजिक तत्वों की बात है। जनसंघ के कार्यकर्ता नहीं थे। बोहरा समाज और उसके प्रमुख कार्यकर्ताओं ने कहा था कि दंगा करने वाले, दूकानों को आग लगाने वाले सुखाड़ियाजी के घर पर बैठ कर मौज कर रहे थे तब उन केसेज को विथड्रो किया था। उन बातों पर पर्दा डाल कर सदन में इस तरह की बातें कही जायें तो हम उस पर्दे को हटाना चाहेंगे। धन्यवाद।

(शोर गुल)

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : हमारे सदन के नेता ने कहा .....

(शोरगुल अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के झूठे आरोप लगाये गये हैं कम्युनिस्ट दल की ओर से। जितने भी साम्प्रदायिक झगड़े हुए हैं वे कम्युनिस्ट पार्टी कराती है और इस पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये। यह मेरी राज्य सरकार से निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : नेता महोदय।

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान या देश में कहीं पर भी दंगे हों तो बुरी चीज है। राजस्थान के अन्दर हमारी परम्परा रही है कि धर्म के नाम पर हम झगड़ा नहीं करते हैं। जो कि खास परम्परा रही है। हम वह लोग थे जिन्होंने सन् 47 में लूनी प्लेटफार्म पर पाकिस्तान से आने वालों का स्वागत किया और उनको खाना खिलाया। हमारा देश छोड़ कर जो जा रहे थे उनको भी हमने खाना खिलाया और उसके बाद भी कभी हमारे यहां पर दंगा फिसाद नहीं हुआ। यह फिसाद होने से अफसोस हुआ और मैं समझता हूं कि समझदार जो हैं उनको कंट्रोल करना चाहिये। दो रोज पहले या रोज पहले मैंने आदेश दे दिये हैं कि कोई भी गवर्नमेन्ट का कर्मचारी या अधिकारी, या कोई प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन का कर्मचारी, जिनको गवर्नमेन्ट से एड मिलती है, जमाते इस्लामी या आर० एस० एस० का मेम्बर इसमें हो तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जावेगा।

हम यह भी चाहते हैं कि साम्प्रदायिकता का जहर हमारे राष्ट्र में नहीं फैले। जब यह मांग आयी तो मेरे लिये यह मुश्किल हो गया है कि मैं इस मांग को ठुकरा सकूं। यदि सदन चाहता है तो मैं आज ही सी० बी० आई० से जांच के लिये लिखूंगा कि इस मामले की सी०बी०आई० से जांच करायी जाय।

Page No 34

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं इसका स्वागत करता हूं ।

श्री बरकतुल्ला खाँ (मुख्य मंत्री) : यदि इसमे अधिकारियों की गलती हुई और और लोगों ने हिस्सा लिया—इस प्रकार के तथ्य सामने आये तो यह मैं विश्वास दिलाता हूं कि सी०बी०आई० की इन्क्वायरी के बाद जो भी फेक्ट्स सामने आयेंगे, जिनको भी जिम्मेदार ठहराया जावेगा, मुकदमा चलाया जावेगा और सरकारी अधिकारी की गलती रही तो उनके खिलाफ भी सख्ती से कदम उठाये जावेंगे ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, ये आरोप लगाये गये हैं यदि वे झूठे पाये जायें तो जिन्होंने ये आरोप लगाये हैं उनको जनता के कटघरे में खड़ा किया जाय······

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रश्न पर मैं खड़ा हुआ हूं । मन से तो मैं चाहता हूं कि धन्यवाद दिया जाय । किन्तु राजनैतिक प्रश्न बीच में आता है कि न दिया जाय । लेकिन मैं इस प्रश्न पर संतुलन रखना चाहता हूं । इसलिये रखना चाहता हूं कि राज्यपाल का अवधिकाल समाप्ति पर है और राज्यपाल महोदय ने सहृदयता और शालीनता इस सदन को दी समय समय पर वह भी मुझको राजनैतिक दृष्टिकोण को परे रख कर उनको धन्यवाद देने के लिये बाध्य करती है फिर भी मैं इस प्रश्न को स्थगित रखता हूं मैं अपनी बात सदन के समक्ष पूर्णतया रख देनें तक । अन्त में मैं इस पर अपना निर्णय ले सकूंगा ।

आरम्भ में ही मुख्य मंत्री महोदय को मुबारकबाद देना चाहता हूं । इसलिये देना चाहता हूं कि इतने लम्बे प्रजातान्त्रिक शासन ने अब एक उदाहरण प्रस्तुत किया है छोटे मंत्रिमंडल के रूप में—वह सत्य है । कुछ रोज पहले एक माननीय सदस्य यहां बोलते हुए कह रहे थे कि कांग्रेस दल इतना व्यापक और इतना विस्तृत हो गया है कि सारी बैंचों को प्रभावित करते हुए इधर तक आ गया है । उनका कहना वास्तव में ठीक था । उस संदर्भ में इतना ही कहना चाहूंगा कि यह सुरसा की तरह

(12.48 म.प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इस तरह फैल गया है कि विरोधी दल की आधी से अधिक बैंचो को भी अपने सिकंजे में कस लिया है । इसलिये सीमित मंत्रिमंडल अपने आप में एक उदाहरण है और यह भविष्य में भी एक बटा दस या जो कुछ भी सीमा निर्धारित है इस सम्बन्ध में उससे परे संभवतः यह मंत्रिमंडल आगे नहीं बढ़ाया जावेगा ।

मैं जब बोल रहा हूं यहां पर स्वयम् की स्थिति को समझ रहा हूं । विवादग्रस्त व्यक्ति हूं, और विवादग्रस्त साहित्य में भी रहा हूं, राजनीति में भी रहा हूं जिसके कदम के आगे बराबर रोड़े अटकाये

Page No 35

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

जाते रहे हैं। फिर भी मैं किसी तरह आगे बढ़ता रहा हूं । राजनीति पर्यिशन व्हील की तरह है। जिसकी गड़कलियां नीचे से ऊपर पानी ले आती हैं और ऊपर पानी ऊडेल कर खाली हो जाती हैं। आप राजनीति में ऊंचाई पर कहीं बैठ गये और प्रसन्न हो गए यह स्थिति उस व्यक्ति की तरह से है जिस का कभी अन्त तो आने वाला है किन्तु जिस दूसरे आदमी की मृत्यु हो गई है उस पर प्रसन्न होता है कि वह मर गया और मैं जिन्दा रह गया । इसलिए प्रजातंत्र पद्धति में कौन मुख्य मंत्री होता है और कौन न हो, इस संदर्भ में मेरा ख्याल है कि अभी हमको मौन रहना चाहिये । यह उत्कर्ष और अवसान जीवन जुड़े हुए हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि राजनीति में अन्तरात्मा नाम की कोई वस्तु नहीं हुआ करती। इस शब्द का गलत प्रयोग किया जाता रहा है । कुछ रोज पहले ही, बल्कि चुनावों से कुछ समय पहले ही कांग्रेस दल में अन्तरात्मावादियों का एक विशिष्ट दल हो गया और कितने ही अन्तरात्मा वाले इसमें आते रहे। मैं यह कहता रहा कि अगर किसी व्यक्ति में, भले ही वह कांग्रेस में हो या अलग हो, अन्तरात्मा जग जाय तो सम्भवतः राजनीति में रहना वह स्वयं पसन्द नहीं करेगा । जागी हुई अन्तरात्मा व्यक्ति को आत्मा से एक आत्म-सात् करती है। बीच के दुराव को जागृत आत्मा तोड़ देती है। आदमी जब अपनी आवाज को समझने लग जाय तो राजनीति में जो संघर्ष है, द्वन्द है, और जो सड़ांध है उस बात को समझने लग जाय तो वह राजनीति में रह नहीं सकता। राजनीति में केवल विवेक का उपयोग हो सकता है, बुद्धि का उपयोग किया जा सकता है लेकिन अन्तरात्मा का कोई स्थान राजनीति में नहीं रह सकता। कुछ रोज पहले इस विवादग्रस्त व्यक्ति के लिए एक विवाद और उठ खड़ा हुआ था । मंत्रीमण्डल का निर्माण हुआ। मंत्रिमण्डल के बाहर रहने वाले भी उतने ही सशक्त हो सकते हैं जितने, मंत्रिमण्डल में रहने वाले । परन्तु यह प्रश्न विवाद का बन गया। और मेरे सम्बन्ध में कहीं कहा गया कि मैं उन कुछ मंत्रियों के पास चला गया कि जिन्हें कि अन्तरात्मावादी कहते हैं। और जो मंत्रिमण्डल में नहीं लिए गये थे। इस प्रश्न पर इतना विवाद खड़ा हुआ कि एक मंत्री महोदय को तो इन्कार तक करना पड़ा कि मैं उनके यहां गया ही नहीं । सद्भाग्य से एक पत्रकार ने अभिवादन मुझसे किया उन के यहां, जिससे मेरी उनसे मिलने की पुष्टि हो गई। मैं यह आपसे इसलिए कह रहा हूं कि उस दिन एक अपने मित्र की वृद्धा माता का देहावसान हो गया था और मैं उनके यहां से दाह संस्कार से लौटा ही था, कि मेरे एक मित्र ने कहा कि अभी स्नान मत करो। दुबारा स्नान करना पड़ेगा। मैंने कहा क्या बात है ? तो बोले "दो तीन व्यक्ति मंत्रिमण्डल से बाहर रह गए हैं उनके प्रति भी संवेदना प्रगट कर देनी चाहिये। वहां से लौटने पर स्नान करें ! मेरे लिए इसमें कोई विवाद का प्रश्न नहीं था। मैं उनके प्रति संवेदना प्रकट कर लौट आया। इसलिए मैं कह रहा था कि मुख्य मंत्रीजी को मुबारकबाद देता हूं और मुबारकबाद उनकी विजय पर भी देता हूं। 145 जो

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

विशाल सेना के वे सेनापति बने हैं और उनका इतना व्यापक रूप हुआ है, इसलिए उनकी मैं विजय पर भी मुबारकबाद देता हूं। और यह छोटा मंत्रिमंडल बनाया गया उस पर भी मुबारकबाद देता हूं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि 145 सदस्य चुन कर आए, 145 दफा जाप्ता फौजदारी में बढ़ी अपशकुनी दफा है। इस 145 दफा में Dispute over moveable or immoveable property involving breach of peace का उल्लेख है। 146 के इन अंकों के प्रति इसलिए शंका होती है। इस तरह की शंका नहीं भी होनी चाहिए। इनमें कोई विकृति है, या कोई विघटन न भी हो। लेकिन शंका की एक बात आती है कि इस से मुख्य मंत्री का दायित्व बहुत बढ़ गया है। इसके साथ पहले की यादाश्त को मैं सजग करूं, सुखाड़ियाजी के कार्यकाल को सजग करूं तो उस समय इतना व्यापक स्वरूप नहीं था कांग्रेसजनों का, लेकिन फिर भी उनको कितनी दिक्कत उठानी पड़ती थी। हर सदस्य की पीठ को थपथपाना, हर सदस्य की जबान पर कुछ न कुछ मिठास देना और हर सदस्य को लटकाए रखना अन्त तक मंत्रिमण्डल के प्रश्न पर, पद के प्रश्न पर। हजारों बातें थीं। लेकिन यह मुख्य मंत्रीजी, हमारे मुख्य मंत्रीजी, जिनके प्रति मेरा आदर है, सम्मान है, जो शालीन हैं, जो सहृदय हैं, जो स्पष्ट वादी हैं, अपनेपन की भी परवाह नहीं करते, मित्रता को नहीं देखते, अपने अनुराग को नहीं देखते और कर्त्तव्य और सिद्धान्तों के प्रश्न पर अपने मित्रों तक को पीछे रखने पर हमेशा तत्पर रहते हैं— मंत्रिमण्डल के बाहर।

श्री रामानन्द अग्रवाल : टिकिट तक नहीं देते।

श्री निरंजननाथ आचार्य : और टिकिट के बाद यह भी मैं कह दूं कि अपनत्व होते हुए भी टिकिट नहीं देते और टिकिट देने के बाद भी मंत्रिमण्डल से उनका टिकिट काट देते हैं। और उनको कहां का कहां बैठा रखेंगे यह भी कोई नहीं जानता। ऐसी निस्पृह, ऐसा विरक्त मुख्य मंत्री अभी तक नहीं आया। इसलिए मैं उनको मुबारकबाद इस प्रश्न पर देता हूं कि उन्होंने छोटा मंत्रिमण्डल बनाया, साथ ही इतनी बड़ी सेना का सेनानायक होना मंजूर किया। कुछ रोज पहले जब मैं राज्यपाल महोदय के यहां जलपान के लिए जा रहा था तो चार-पांच कांग्रेसजन रास्ते में मिले, मैंने उनको अपनी मोटर में बैठाया। मैंने कहा मुख्य मंत्रीजी का दर्शन लाभ हुआ है कि नहीं हुआ? कहने लगे, पांच साल गुजर जाएंगे लेकिन कभी बातचीत करने तक का हमको मौका नहीं मिलेगा मुख्य मंत्रीजी से। यह उनकी अतिशयोक्ति थी। मैं इसको नहीं मानता, लेकिन मेरा विश्वास है कि इससे उनकी शक्ति का क्षय नहीं होगा। इसलिए उनकी विजय पर मैं उनको मुबारकबाद देता हूं।

लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं ने कहा है कि समाजवाद में आस्था, समाजवाद में विश्वास, यह हवाई जहाज से नहीं उतरा करता। यह जो कांग्रेसी एक के बाद एक समाजवाद की बांग देने लगे हैं उससे आस्था

Page No 37

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

नहीं जगा करती । यह प्रश्न जुड़ा है अपने जीवन की चर्चा के साथ समाजवाद वे ऑफ लाइफ है । मां के दूध के साथ समाजवाद आता है । झोंपड़ी से समाजवाद पनपता है । दरिद्रता से समाजवाद आता है, अभाव से समाजवाद पैदा होता है । मुझको यहां एक प्रश्न पर बड़ी बेचैनी है । यहां पर जो बांग दी जाने लगी है, और हर व्यक्ति इस बात को कहता है कि वह समाजवादी है। समाजवाद में हमारी आस्थाएं हैं । मुख्य मंत्रीजी ने खुद ने कहा कि 'नकली समाजवादी हमारे दल में आ गए हैं', यह उन्होंने अपने भाषण में कहा है। मैं, नकली कौन है और असली कौन है, इस प्रश्न पर जाना नहीं चाहता। लेकिन, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो स्वरूप कांग्रेस संगठन का बना है उस स्वरूप की छानबीन किया जाना आवश्यक है। छानबीन इसलिए की जानी चाहिए कि समाजवाद में दरअसल आस्था और विश्वास अगर टिका रहता है तो समाजवाद आगे बढ़ता है और अगर आस्था और विश्वास अन्दर ही अन्दर विकृत होता जाता है तो नारा तो रहता है लेकिन समाजवाद का यथार्थवाद समाप्त होता है । यह मैं इसलिए कह रहा था कि किसी ने मुझसे कहा कि मंत्रीमण्डल में यह विकृति कैसे है । मैं इस प्रश्न पर मौन रहा । मैंने कहा- मंत्रिमण्डल सशक्त हो सकता है, मंत्रि मण्डल सक्रिय हो सकता है। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा मंत्रिमण्डल सक्रिय हो सकता है और सशक्त भी हो सकता है, किन्तु इस मंत्रिमडल का मुखौटा अभी तक सिण्डीकेटी है और शरीर है बरकत साहब का । जो इन्डीकेटी हैं इसमें कोई सामंजस्य नहीं है । मैंने कहा कि यह रिमार्क बहुत जल्दी का है इस रिमार्क को रिजर्व रखना चाहिए अभी तो । मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि मैं पुरानी याददाश्त को ताजा करना चाहता हूं । एक समय था जब सिण्डीकेट कांग्रेस में व्याप्त था और हम उसमें आस्थावान थे । एक समय था जब इण्डीकेट और सिण्डीकेट का विश्लेषण हम नहीं समझ सके थे, हम में से केवल चार-पांच व्यक्तियों ने इसको समझा था और हम मौन रहे थे उस प्रश्न पर । उस समय हमको आगाह किया गया, हमको आदेश किया गया और हमको बन्धन में डाला गया और इस हद तक डाला गया कि मैं जब उस समय अध्यक्ष था, अखबार वालों ने मेरे लिए लिखा कि अध्यक्ष ने अपनी परम्पराओं को तोड़ा और सिण्डीकेट को वोट दे दिया । मैं यह मंजूर करता हूं कि मैंने सिण्डीकेट को वोट दिया और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि बहुत से सदस्य जो आज चुन कर आए हैं उनके साथ हमने सिण्डीकेट को वोट दिया । और गलती कर डाली । फिर एक जलजला आया । एकदम हम सब बदले । सब इतने बदले कि मैं सवाड़ाजी, जो अब यहां नहीं हैं, तो इतने बदले कि उन्होंने यह कहा कि उन्होंने तो इण्डीकेट को ही वोट दिया था, सिण्डीकेट को नहीं दिया । और इसी बात को लेकर प्रेसीडेंट महोदय से उन्होंने जाकर मुलाकात कर ली । तो मैं यह कहना चाहता था कि यह परिवर्तन कपड़ों का परिवर्तन नहीं है, यह परिवर्तन आस्थाओं का है । यह परिवर्तन विश्वासों का है । Once Syndicaty is always a Syndicaty. यह मैं मानकर चलता हूं । इसलिए इस परिवर्तन के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि सुखाड़ियाजी का राज्य स्थायित्व का राज्य रहा और लम्बी जिन्दगी का राज्य रहा ।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

लम्बी जिन्दगी के साथ वैभव का राज्य रहा, सम्पन्नता का राज्य रहा। उस व्यापक राज्य में उनका जहां व्यक्तित्व बरगद के वृक्ष की तरह था, उस व्यक्तित्व के नीचे किसी का पनपना सम्भव नहीं था। वह राज्य था, मैं आज से ही नहीं बोल रहा हूं. उस शक्ति को इस तरह से देखना चाहिये। उस राज्य की, उस जड़ता की जो खराबियां रह गई हैं, मैं मुख्य मन्त्रीजी से कहना चाहता हूं कि उन खराबियों का निराकरण करें और वे खराबियां क्या रह गई हैं ? कार्यकर्ता का सर्वनाश हो गया है, उस समय नेतृत्व का सत्यानाश हुआ है। उस समय कोई कार्यकर्ता उभर नहीं सकता था। कोई नेता नेतृत्व के रूप में उभर कर नहीं आ सकता था। वह एक विशाल वट वृक्ष था और उसके नीचे पौधे, छोटी-मोटी झाड़ियां पली हैं जिनका अपना कोई स्थान नहीं था। इसलिय मैं कहना चाहता हूं इस संदर्भ में पुरानी और नई पौध को उभार कर आप समाजवाद लाना चाहते हैं तो क्षमा करियेगा इनसे समाजवाद नहीं उभर सकता है। यह मेरी मान्यता है। मान्यता इसलिये है कि नई पौध को सजग करना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं की वह पौध परेसाइट्स की पौध थी वह पौधजनानी ड्योढ़ी की पौध थी, कौटम्बिक पौध थी जहां पर राज्य कर्मचारियों को भी कुटुम्ब के रूप में समझा जाता था। वह परम्परा बनी रही और वह प्रणाली चलती रही मुख्य मंत्री महोदय मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां आप अपना मित्रता को नहीं समझते हैं, जहां सिद्धान्तों का प्रश्न आता है, अपनेपन को नहीं समझते हैं, जहां सिद्धांत आ जाता है उस सन्दर्भ में कम से कम नई पौध और पुरानी पौध के अन्तर पर आपका कोई विश्लेषण आवश्य होगा। पुरानी पौध को इस सन्दर्भ में परखें और नई पौध को उभारें। मैं मुख्य मंत्री को छोटे मंत्रिमण्डल के लिये मुबारकबाद देता हूं और जो भावी विस्तार हो वह सीमा में हो। मैं आपको आपकी विजय के लिये मुबारकबाद देता हूं और आगे जो आशंका है उस ओर ध्यान आकर्षित करता हूं। राजस्थान में जड़ता है। नेतृत्व के पनपने और कार्यकर्ता के पनपने में जो जड़ता है उसका आप निराकरण कर सकेंगे या नहीं यह भविष्य बतला सकेगा।

दूसरा प्रश्न और मैं रखना चाहता हूं—विधान सभा सदस्यों अथवा मंत्रिमण्डल के सदस्यों को मैं नहीं कहता, स्वयं को कहता हूं, अपने आपको कहता हूं, आपको सम्बोधित नहीं करना चाहता हूं। हम यहां पर इकट्ठे हुए हैं समाजवाद में आस्था रखने वाले उनका क्या कम्पोजीशन है। जब अपने आपको देखता हूं, मैं सोचता हूं, सदन में गलत आदमी आ गया हूं। गलत इसलिये आ गया हूं कि बांग देता हूं समाजवाद की किन्तु मेरे पास में काफी जमीन है, फार्म है और मेरे पास कई क्षेत्रों में बंगले हैं, मकानात हैं, बस परमिट हैं लाइसेन्स हैं। अगर मैं आप सभी में भी शामिल कर लिया जाऊं और उसका मैं विश्लेषण करूं तो मैं समझता हूं कि मुझ जैसे क्या समाजवाद लायेंगे ? मैं कहता हूं कि अभिभाषण में जो प्रश्न आये हैं, वे कितने सारहीन हैं। कल विश्नोईजी ने बड़ी वेदना के साथ कहा, व्यथा के साथ कहा कि, यह काम

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

चलाऊ अभिभाषण है। मैं कहता हूं, काम का प्रश्न नहीं है इस अभिभाषण में यह केवल चलाऊ भाषण है। चलाऊ भषण इसलिये है कि समाजवाद के आधारभूत सिद्धान्त और उन सिद्धान्तों के कार्यक्रम इस अभिभाषण में नहीं हैं। और शायद इसलिये नहीं हैं कि कार्यक्रम बनाने की फुर्सत मन्त्रिमण्डल को नहीं है। ऐसे भाषणों में रिपीटीशन गत तीन सालों से होता रहा, वही संक्षिप्त रूप में या विस्तृत रूप से यहां पर रख दिया गया है। इसलिये आज आप आत्म परीक्षण करें इस सन्दर्भ में आपसे मैं कहता हूं। मेरा ख्याल है, 145 कांग्रेसी सदस्यों में से कम से कम 100 सदस्य तक इस परीक्षण में, समाजवाद के सन्दर्भ में खरे नहीं उतर सकते हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आपके अन्दर जो विकृति है, विषमता है उसको अगर निकाल सकें तो समाजवाद में आस्था आगे सजग हो सकती है।

अब मैं दूसरे प्रश्न पर आना चाहता हूं, अभिभाषण में यह कहा गया है, कि शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा का निर्धारण होगा। लण्ड सीलिंग के प्रश्न पर हमेशा विवाद चलता रहा है। घोषणाएं होती रही हैं और बराबर निहित स्वार्थ रखने वाले लोगों को सजग भी किया जाता रहा है। जो लेण्ड में इन्ट्रेस्टेड हैं उनको फिर से इशारा किया गया है। फल यह हुआ कि आप सीलिंग तो लाना चाहते हैं किन्तु आपको जमीन नहीं मिलती है। इस तरह से उसी विशेष स्थिति में आपके यह शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारण का प्रश्न भी आधारित है, गत तीन सालों से बराबर इसकी घोषणाएं होती रही हैं। इन घोषणाओं का अर्थ केवल वेस्टेड इन्ट्रेस्ट को सजग करना मात्र है। आप अकोमोडीशन के प्रश्न को हल करना चाहते हैं। शहरों में असमानता है, विषमता है, उसका निराकरण हो, लोगों को रहने के लिये स्थान मिले। इसके साथ ही आप निहित स्वार्थ रखने वालों को नोटिस देना चाहते हैं, 'सावधान—जो सम्पत्ति तुम्हारे पास है, उसे हम लेना चाहते हैं। इसलिये तुम को अवसर देते हैं, 6 महिने में, एक साल में, जब तक विधेयक न आवे या विधेयक आने की सम्भावना हो, तुम सतर्क हो जाओ, जितना बटवारा कर सकते हो, बटवारा कर लो, अपनी पत्नी के नाम से, अपने लड़के के नाम से, अपने पौत्र के नाम से, अपने भाई के नाम से, और जब तक तुम हम को संकेत न दोगे, हम विधेयक नहीं लायेंगे तब तक ही विधान सभा के प्रांगण पर आंकड़े मांगें जायेंगे। और तब हम कहेंगे हम विवश हैं? समाजवादी होने के नाते हम यह विधेयक तो लायेंगे किन्तु विधेयक लाने के बाद आंखें खुलेगी कि कौनसा है आवास गृह, महलात, बड़े बड़े बंगले जिनको कि हम विभाजित कर सकें। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार इस पर घोषणाएं होती रही हैं, इन विधेयक के पीछे कौन निहित व्यक्ति है जो इन घोषणाओं का प्रचार करता है, सजग करता है, केपिटिलिस्टों को सजक करके मौका देता है कि जो व्यवस्था तुम करना चाहो करलो। मैं समझता हूं कि आप लोगों में भी कहीं

(श्री निरन्जननाथ आचार्य)

न कहीं लोग बैठे हैं जो दोनों दिशाओं को पकड़ना चाहते हैं, दोनों व्यवस्थाओं को अपने हाथमें रखना चाहते हैं, बुरा भी नहीं बनना चाहते और भले भी बने रहना चाहते हैं। यह जो विधेयक आप ला रहे हैं इसका कोई अर्थ नहीं है। आप आवास की वी षमता मिटाने का जो यह प्रयत्न करेंगे उसमें सफल नहीं होंगे। असमानता आप मिटाना चाहते हैं, वेल्थ की इनेंक्वलिटी को समाप्त करना चाहते हैं, तो उसके साथ अन्याय न करें आप ज्वेलरी पर और शेयर और बैंक में जमा रकम पर सीलिंग लगाइये। आप इनकम टैक्स के इवेजन को रोकिये। अन्य कई साधन हैं, जिनको आप पकड़िये। समानान्तर स्थिति पर चलने से आपको दल मिलेगा। यह शहरी सम्पत्ति की सीमा पर सीलिंग लगाना एक स्टंट मात्र में समझता हूं और आगे चल कर कोई समाज को ल मिल सकेगा यह म नहीं मानता हूं। यदि आप अको-मोडेशन समाज को देना चाहते हैं तो अधिक से अधिक मकानों के निर्माण को शुरू करिये और समाज को सुविधा दीजिये। इस विधेयक से मकानों के निर्माण की आगे चलकर गति अवरुद्ध हो जायेगी। हम इस विषय का विश्लेषण करें। हमने जमीन ली है यू० आई० टी० से, मैं अपने आपको इस स्थिति में शामिल करके इस स्थिति का विश्लेषण करना चाहता हूं। मैंने अपनी बेटी की शादी की हो और हजारों रुपया उसमें कमाया है, प्रिजेन्टली है, मकान बनाया है, फार्म बनाया है। इसका यहां पर आप विश्ले-षण कर लीजिये। जो विधेयक आप ला रहे हैं, आपने और हमने मकानात बनाये हैं, नमालूम किन तरीकों से बनाये हैं, एक जोधपुर में है तो एक यहीं जयपुर में है और एक उदयपुर म है। अलग अलग मकानात हमारे बने हैं। उन मकानात एवं फार्म की गौर असलियत पूछी जाय कि फार्मिंग पर इतना रुपया कहां से खर्च हुआ, असलियत पूछी जाय कि इन मकानात पर इतना रुपया कहां से खर्च हुआ और यदि कोई हिसाब भी मांग ले तो हिसाब मिलेगा, हिसाब देने से इन्कार नहीं होंगे। हिसाब मिलेगा। समाजवाद की दुहाई देने वाले और समाजवाद की सुरक्षा करने वाले हम हैं, समाजवाद में आस्था रखने वाले हम भगवान की साक्षी में हम कहेंगे कि हमने इतना तो अर्जन नहीं किया है, हम इतने वैभव-सम्पन्न तो नहीं हैं। हमको भगवान सद्बुद्धि दे कर कहलादे कि दरअसल में इतना पैसा हमारे पास काला धन के रूप म आया है। कहला नहीं सकते, ऐसा मुमकिन तो नहीं है। मैं आपसे कहता हूं कि ब्लैक मनी व्हाइट मनी के रूप में बराबर फार्मिंग के रूप में मकानों के रूप में जो काम आता रहा है, वह ब्लैक मनी व्हाइट मनी के रूप में परिवर्तित होने से उससे मकानात बनते रहे ह। शहरी सम्पत्ति पर सीलिंग का विधेयक आने से मकानात के निर्माण में रुकावट होगी। वह एक खराब चीज है। मैं कहना चाहता हूं कि वह ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना है। खराब चीज है, लेकिन वह खराब चीज बन्द होगी तो इस विधेयक के आने के बाद जो कुछ खराब चीज से मकानात बनते थे वह भी बन्द होंगे। इसलिए इस विधेयक को लायें, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि

(श्री निरञ्जननाथ आचार्य)

बिना घोषणा किये हुए क्यों नहीं ला सकते हैं? आर्डिनेन्स को ले आते तो निहित स्वार्थों का पता नहीं चलता। जयपुर में इस प्रश्न को लेकर अब चलें तो जगह जगह पायेंगे कि सम्पत्ति का बंटवारा हो चुका है। मकानातों पर कहां पर आप हाथ रखना चाहते हैं। इसलिए जो समाजवाद का एक आधार है जिसको आप लेकर चलना चाहते थे वह आधार अब आधार नहीं रहा। जब आधार नहीं रहा तो कौनसा दूसरा आधार है जिसको लेकर आप समाजवाद की नीतियों को प्रतिपादित करना चाहते हैं?

अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह भी कहा है कि जयपुर पर मेरा ध्यान गया है। जयपुर का विकास करने का मेरा दिमाग है, और बराबर अखबारों में यह आ रहा है कि जयपुर हमेशा से नेग्लेक्टेड रहा है। कांग्रेसजन जयपुर से चुनावों में रिटर्न होकर आये हैं। अब इसका भविष्य मुझे उज्जवल लगता है। तो समाजवाद की नीतियों के आधार पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान में सिनेमा इन्डस्ट्री विकास पर है तो अगर जोधपुर को ले लिया जाय तो कितने सिनेमाज हैं इस नगर में। उदयपुर को लिया जाय तो कितने सिनेमाज हैं, जयपुर को लिया जाय, कोटा को लिया जाय, सभी नगरों में इस इन्डस्ट्री ने बहुत ही डेवलप किया है। इस इन्डस्ट्री में चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो या दूसरे एग्जीबिशन करने वाले हों, इस इन्डस्ट्री का सभी जगह डेवलपमेन्ट हुआ है। उदयपुर का उदाहरण मैं दूंगा उदयपुर में इस इन्डस्ट्री में सबसे ऊंचे इन्डीस्ट्रीयेलिस्ट जो सिनेमा चलाते हैं श्री सांघी, मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट हैं और उनकी वहां मोनोपोली है। जितने भी सिनेमा वहां पर उभरे हैं वे उन्हीं की मोनोपोली में हैं। जहां पर मोनोपोली विकसित होती है तो वहां पर उसका अर्थ-लाभ भी ज्यादा से ज्यादा होता है। जयपुर में भी सिनेमा व्यवसाय बराबर उभरता जा रहा है, लेकिन आपकी निगाहें सिनेमा इन्डस्ट्री पर क्यों नहीं पड़ रही हैं? आपकी आंखों के नीचे इतना बड़ा डेवलपमेंट सिनेमा इन्डस्ट्री का हो रहा है जिससे कि लाखों और करोड़ों रुपये का फायदा बराबर होता जा रहा है। इसके ऊपर कोई चिन्तन क्यों नहीं हुआ? अन्दर के क्या कारण हैं, बाहर के क्या कारण हैं? लेकिन मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि अगर आप जयपुर को अच्छा करना चाहते हैं तो आपको फंड की आवश्यकता नहीं है? उदयपुर को टूरिस्ट सेन्टर करना चाहते हैं टूरिज्म की दृष्टि से तो राज्यकोष की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? आप इस व्यवसाय का म्युनिसिपेलाइजेशन कर दें। इनको म्युनिसिपेलिटीज के सुपुर्द कर दें। जिस क्षेत्र के सिनेमा हों उनको उसकी म्युनिसिपेलिटी को दे देना चाहिए, उनके सुपुर्द कर देना चाहिए ताकि सिनेमा व्यवसाय से उनको पूरा पैसा मिल सके और उससे सारे नगर का विकास हो सके। उदयपुर ठीक हो सकता है, और दूसरे जितने प्रमुख नगर हैं वे ठीक हो सकते हैं। मैं यह जानना चाहता था कि सरकार से कि कम से कम यह रियायत जो इस इन्डस्ट्री के प्रति बरती जा रही

(श्री निरञ्जन नाथ आचार्य)

है, उसका क्या कारण है ? और अगर कारण नहीं है तो आप इस इन्डस्ट्री को हाथ में लेकर क्यों नहीं सिनेमा-गृहों को म्युनिसिपेलिटीज को देने पर उद्यत होते हैं ?

दूसरा प्रश्न आपका आता है बस ट्रान्सपोर्टेशन का। कितना विलम्ब इसमें चल रहा है नेशनेलाइजेशन के प्रश्न पर। जो शिथिलता और निष्क्रियता बस ट्रान्सपोर्ट के सम्बन्ध में चलती है वह राजस्थान के लिए उदाहरणीय है। मैं कहना चाहता हूं कि बस नेशनेलाईजेशन का यह जो कार्यक्रम आपका है इसको सक्रिय क्यों नहीं बना सकते हैं ? अगर सक्रिय बना सकते हैं तो आपके समाजवाद का यह एक आधार बनता है।

अब मैं विद्युतिकरण के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि सामाजिक जीवन में जैसा आज मैंने आपसे निवेदन किया है इसका बहुत नजदीकी रिश्ता है। इस अभिभाषण में यह कहा गया है कि 13,000 कुए 1971-72 में लिये जायेंगें और 1,000 नई बस्तियां। मैं यह सोचता हूं कि 13,000 कुए और 1,000 बस्तियां एक साल में लिए जायेंगे विद्युतिकरण के लिए ? अगर सभी कुओं का विद्युतिकरण करना है और 13,000 एक साल में होते हैं तो आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि कम से कम 10-15 साल, तो सारे राजस्थान के विद्युतिकरण में लगेंगे। 10-15 सालों में किसान के कुए पर यह बिजली पहुंच पायेगी। समाजवाद की यह महत्वपूर्ण नीति है उसमें भी सबसे बड़ी शिथिलता राज्य सरकार की है। मैं यह समझता हूं कि आप और हम मिलकर किसान को सजग करें कि वह स्वयं इस प्रश्न को हल करें। मैं यह कहना चाहता हूं कि विद्युतिकरण कुओं का कृषि के संबंध में, उसकी सुविधाओं के सम्बन्ध में जितना आवश्यक है और अनिवार्य है उतनी दूसरी सुविधा नहीं है। अगर किसान यह दृढ़ संकल्प करले कि 'बिजली दो और लगान लो' तो मेरे ख्याल से राज्य सरकार को बाध्य होकर विद्युतिकरण के प्रश्न पर सक्रिय कदम उठाने पड़ेंगे। क्योंकि किसान के पास लगान देने का प्रश्न स्वयं के अधिकार में है। अत: वह आकांक्षा रखता है कि विद्युतिकरण शीघ्रातिशीघ्र हो, और वह यह समझता है कि विद्युतिकरण में कितनी दिक्कतें और असुविधाएं आती हैं। उस प्रश्न पर दृढ़ संकल्प यदि किसान कर लें कि लगान तभी दिया जायगा जबकि विद्युतिकरण होगा। और इस दृढ़ संकल्प के आधार पर ही सरकार को गति मिल सकेगी।

एक नाजुक प्रश्न और है। हमारे पास बड़े बड़े फार्म हैं, और मैं यह समझता हूं कि जब इसके विभाजन का प्रश्न आता है तो हम अपने आपको यह समझने लगते हैं कि हम तो प्रिविलेज्ड क्लास हैं जमीन के आवंटन का प्रश्न है, विभाजन का प्रश्न तो सामान्य आदमी के लिए है। हम अपने आपको उससे अलग करके चल सकते हैं। 500 बीघा या एकड़ जमीन अगर मेरे पास है जिस पर मैं काश्त नहीं करता हूं और मेरे लिए कई

(श्री निरञ्जननाथ आचार्य)

मजदूर इस पर काश्त करते हैं। ऐसे कितने मजदूर होंगे। मैं तो किसान नहीं हूं। किसान असली तो वे हैं जो काश्त करते हैं। अगर इसके आंकड़े राजस्थान भर के निकाले जायं तो मालूम होगा कि लाखों एकड़ जमीनें आपके और हमारे बीच में है। तो मैं उन मजदूरों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि जो मजदूर खेतों पर काम करते हैं और मजदूर क्यों न काम करेंगे? हम और आप तो बंगलों में ऐश करते हैं। उन मजदूरों के भाग्य का प्रश्न हमारे और आपके सामने कभी आया या नहीं? मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि जो केपिटेलिस्टों के फार्म्स हैं उनमें मजदूरों को शेयरर बनाया जाय, कोपार्टनर बनाया जाय, उनको जमीन में हिस्सा दिया जाय। अगर विधेयक के द्वारा और आर्डिनेन्स के द्वारा इन मजदूरों को अधिकार, जमीनों पर दिलाया जा सके तो मैं समझूंगा कि सही मायने में जो ओप्रेस्ड मजदूर हैं बड़े बड़े फार्मों के, उनका सुधार हो रहा है, उसकी सुरक्षा की है, उसको रिहेबिलिटेट आपने किया है।

मैं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि इसकी आवाज जितनी ज्यादा बुलन्द की जाती है, उतना ही यह ज्यादा बढ़ता है। यह बेईमान दबता नहीं है। और, इसके प्रति यदि उदासीन रहें तो सम्भवतः यह थोड़ा बहुत जड़ से नीचे चला जाय। मैं इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी या हमारे स्वास्थ्य मन्त्रीजी से कहना चाहूंगा कि हम इसकी गती को जानते है कि यह कहां से उठता है। इसके कई मामलों को मैंने भी समझा है। एक युग चला गया। वह पुरानी युग था। लोग बोलने में अशक्त थे कोई शिकायत होती थी तो मौन रहते। इसका अर्थ था चलने दो। जिसका अर्थ था, खाने दो। या जो भी अर्थ मान लें। लेकिन अब तो मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की है कि हम भ्रष्टाचार मिटायेंगे। अगर यह नहीं मिटा तो हम खुद मिट जायेंगे। ब्रिटिश समय में यह नीचे से पैदा होता था। जड़ों से आता था। हैड कान्स्टेबिल सब-इन्सपेक्टर तक आता था। पटवारी से चलते चलते तहसीलदार तक जाता था। नीचे से ऊपर जाता था। लेकिन इस राज्य में ऊपर से आता है। ऊपर वाले को काटना सरल नहीं है। हम और आप यह देखते रहते हैं। आपने अखबारों में पढा है कि पैसा इकट्ठा किया गया है। चुनाव के लिए। इस बार तो मुझे भी अनुभव हो गया है कि पैसा कैसे खर्च किया जाता है। चुनाव में लड़ लिया हूं, जीत कर भी आ गया हूं। कैसे सोर्सेज निकल कर मुझ पर पड़े। कहीं भाषणों से निकल कर नहीं आये। मैं कहना चाहता हूं, आखिर कहां से आता है, इतना पैसा। आप सेठों से चन्दा कीजिये। संग्रह करके लाइये। रामानन्दजी को कुछ आपत्ति हो सकती है। लेकिन हम थोड़े से उदार हैं। लेकिन आप इस प्रकार किसको करप्ट करते हैं। पी० डब्ल्यू० डी० है इरिगेशन विभाग है। जो आपके नीचे के विभाग हैं। इस गन्दे नाले को आप इन विभागों में डालते हैं। पी० डब्ल्यू० डी०, एक्साइज इरिगेशन इनमें आप उस गन्दे नाले को प्रवाहित करते हैं। इन विभागों से चन्दा इकट्ठा करने की इस बात से आप इन्कार कर जाइये। मैं चाहता हूं कि आप इन्कार करें। इसके नाम पर आप

(श्री निरञ्जननाथ आचार्य)

इन्कार कर दें । आपने थोड़ा सा भी मंजूर कर लिया तो हम जिस समाजवाद के रास्ते पर चल रहे हैं, वह विकृत हो जाएगा । लेकिन मैं अलग से आपको जरा शान्ति से कहूं कि ये इन्जीनियर और सुपरिन्टेन्डेन्टिंग इन्जीनियर इनके माध्यम से लाखों रुपया इकट्ठा आप करते हैं, बाद में जगह जगह से आवाज उठती है कि फलां मन्त्री ने फलां विभाग से इकट्ठा किया । कितना कांग्रेस को दिया, कितना रखा इसका कोई पता नहीं । लेकिन कांग्रेस तो महात्मा गांधी की कांग्रेस, पं० जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस और न मालूम कितनी कितनी विभूतियों की कांग्रेस है । कांग्रेस के नाम से पी० डब्ल्यू० डी०, इर्रिगेशन और एक्साइज डिपार्टमेन्ट से पैसा इकट्ठा हो यह उचित नहीं है । आदमी लालची होता है । अगर 100 रु० हाथ में होता हैं तो 50 रु० खर्च करता है । 50 रु० रख लेता है । बल्कि एक बटा चार खर्च करता है । इसीलिए कहता हूं कि भ्रष्टाचार की स्थिति तो दाल और आटे तक लेने की आ गई है । लेकिन अब कुछ रोक है । खैर, आप इसको छोड़ दीजिये । आप पुलिस विभाग को लीजिये । एक सब-इन्सपेक्टर से लेकर एक डी० एस० पी० तक......

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपके पास भी यह डिपार्टमेन्ट रहा है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने उस पर एक पुस्तक लिखी है । उस पर मैं आपको फिर कहूंगा । इस एक प्रश्न को छोड़ दीजिये तो मेरा ख्याल है, आपका प्रश्न आपके हाथ में रहेगा ।

दूसरा मैं कहूंगा, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सोशियलरिफारमेन्स के बारे में एक भी शब्द नहीं है । बाल विवाह है । मुस्लिम लॉ है । मुस्लिम लॉ में चार चार शादियां जायज हैं । हमारे सम्पन्न घरों में जिस प्रकार शादियों पर खर्च होता है उस पर प्रतिबन्ध की बात सोचिए । इस पर कुछ न कुछ सोशियल-रिफारमेन्स कुछ न कुछ सजगता के और दृष्टिकोण के साथ उल्लेख होना आवश्यक था । मैं समझता हूं कि यह कास्टिज्म जो पैदा हो रहा है, खराब स्थिति पैदा हो रही है, उनका कहीं न कहीं उल्लेख होना था ।

एक बात मैं कहना चाहता हूं । शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के सम्बन्ध में कुछ अभिभाषण में आया है । भूमि पर जो नाजायज कब्जे हैं, उनको जायज कर देंगे । उनमें जो कब्जे हुए हैं उनमें शिड्यूल्ड कास्ट नहीं, शिड्यूल्ड ट्राइब्स भी नहीं, नाजायज कब्जा करने वाले साधारण किसान होते हैं । कुछ ऐसे दूसरे आदमी जो कि शहर में बैठे हुए हैं । मैं देखता हूं कि आपने जमीन शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को दी है आप अपना लेखा जोखा कर लें कि कितनी जमीन दी है वह इनके पास रही है क्या ? आपके आंकड़े कहते होंगे । ये आंकड़े आपकी आंखें खोलने वाले होंगे । आप सोचेंगे कि जमीन हमने उनको दी है और यह कहां चली गई है । आप नाजायज कब्जों को रेग्युलराइज कर रहे हैं । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कुछ एक्सेप्शन को रखें और फिर आप इस रेग्युलराइजशन के प्रश्न पर सोचने पर उतारू हों तो

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

अच्छा है। मैं इसके साथ ही निवेदन करना चाहता हूं कि आपका मन्त्रीमंडल बहुत ठीक गठित हुआ है। हो सकता है, पांच छः आदमी और आ जायें। 15-20 तक हो सकते हैं। लेकिन आपके सचिवालय की स्थिति टॉप हैवी है। इस पर आप विचार कर लें। इस समय आपका सचिवालय जिस प्रकार निष्क्रिय है और उसके साथ साथ सुपरिन्टेन्डेन्ट से लेकर सेक्रेट्री और डिप्टी सेक्रेट्री तक लाइन चली जाती है, वह टॉप हैवी है। इस टॉप हैवी एजेन्सी के आधार पर हम विचार कर सकते हैं।

मैं शिक्षा विभाग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें इकानामी कैसे की जाय। चित्तौड़ से आने वाली माननीय सदस्या ने इस बारे में कल बहुत कुछ कहा है, ग्राम पंचायतों के बारे में, इसलिए इस बारे में मैं जाना नहीं चाहता हूं। कुछ दिनों से ग्राम पंचायतें निष्क्रिय होती जा रही हैं। आपके भी जिला परिषद कमीशन का भी कोई कार्य अगर रह गया है तो केवल यह कि कहीं किसी का ट्रांसफर कर दिया या कहीं कुछ कर दिया। ये केवल व्हाइट एलीफेन्ट हैं। ये व्हाइट एलीफेन्ट को हटाकर खर्च को बचा सकते हैं। एजुकेशन के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा चुका है। जैसा रामानन्दजी ने कहा, आप भी मंत्री रहे हैं। मैं भी रहा हूं मंत्री और मैंने 196 में एक पुस्तक लिखी थी। दो-तीन पुस्तकें और हैं इस घुटन के सम्बन्ध में। 'विद्यालयों ने कहा' नामक उस पुस्तक में जय प्रकाश-नारायण जैसे चिन्तक, विचारक ने प्रिफेस में यह कहा है शिक्षा विभाग के लिए "यह स्थिति ऐसी प्रतीत होती है जैसे गंगोत्री में विष घोल दिया गया हो"। और साथ ही उन्होंने कहा है, "अगर समाज अपनी आंखें खोल सके इस स्थिति को देख कर बड़ा अनुग्रह हो"। यह जय प्रकाश नारायणजी का प्रिफेस है। तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, छोटा तो मंत्रिमण्डल है लेकिन सक्रिय कितना है। इस प्रश्न पर विचार करना है। हमारे रामचन्द्रजी बड़े शरीफ, बड़े सज्जन, बड़े सहृदय हैं। कभी कभी इन्हें देख कर दा साहब की याद आ जाती है। कभी कभी मैं देखता हूं, दा साहब और इनमें क्या अन्तर हो सकता है। इसी तरह कई हैं। इसलिए मैं कहता हूं, मेरा तजुर्बा यह रहा है, जैसा मैंने अपने लिये लिखा है। "विद्यालयों ने कहा" नामक पुस्तक में कि "प्रशासन में उप-मंत्री के पद पर मेरा दम ही घुट गया था। क्षमता एवं बुद्धि पर सरकारी तंत्र का नियंत्रण रहा। निरा-पराधीनता में प्रशासन के यंत्र के संकेतों पर ही काम करना पड़ा। अपनी सूझ बूझ, क्षमता और प्रखरता को उनके गिरवी रख कर। यह एक अजीब अनुभव था। शिकारी किस तरह शिकार बनता है यह इस प्रशासन के कारावास में ही देखने को मिला। है इधर जो भी मंत्री अपनी योग्यता एवं क्षमता के आधार पर कुछ करने का संकल्प लेकर आए। वे सभी हाथ पैर पछाड़ कर ही खाली हाथ लौटे। मैं भी 5 साल तक नौकरशाही के हाथों की कठपुतली रहा, बड़े हाथ पैर पछाड़े, किन्तु कुछ भी न कर सका मेरी अवधि के अन्त पर ही मुझको राहत मिली"। इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था, मैं अधिक कर्मचारियों के प्रश्न पर नहीं कहना चाहता हूं। यदि मंत्री सक्रिय होता है तो कर्मचारी भी सक्रिय होते हैं, और सक्रिय भी सहयोग के

(श्री निरन्जननाथ आचार्य)

साथ। यदि एक मंत्री सक्रिय हो गया और दूसरे मंत्री सक्रिय नहीं हुए तो वह कौवे समझे जाते हैं, हंस की जगह कौआ समझा जाता है और उसको पिटाई अच्छी होती है।

इन शब्दों के साथ में अभिभाषण के सम्बन्ध में अर्ज करता हूं, मैं धन्यवाद दूं या न दूं या मौन रहूं- इस प्रश्न पर रामानन्दजी पहले कह दें तो इस गुत्थी को खोल दूं। लेकिन मैं सोचता हूं, ऐसा प्रश्न है, जब राज्यपाल महोदय बाहर जा रहे हैं, बहुत समय से यहां रहे हैं, इसलिए इस प्रश्न पर मैं धन्यवाद देने के पक्ष में हूं। उनके अभिभाषण पर जो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है धन्यवाद देने का, उसका में अनुमोदन करता हूं। जयहिंद।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अन्तिम समय का गंगाजल।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शांतिलाल कोठारी?

श्री शांतिलाल कोठारी : अध्यक्ष महोदय .....

श्रीमती सुमित्रा : उपाध्यक्ष महोदय!

श्री शांतिलाल कोठारी (सिरोही) : जो कुर्सी पर बैठता है वह अध्यक्ष कहलाता है, चाहे वाइस-प्रेसिडेंट हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो।

अध्यक्ष महोदय, आपने जो मौका दिया है इस विधान सभा में बोलने का, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। मैं राज्यपाल महोदयजी के अभिभाषण पर प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अच्छा हुआ, एक महान् विद्वान आचार्यजी ने कुछ वह बातें कहीं हैं जो शायद एक सच्चा कांग्रेसमैन नहीं कह सकता। आज मैं उनको धन्य मानता हूं। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं हैं कि मेरे ख्याल में कोई सज्जन कांग्रेसी को उनके किए के ऊपर गुस्सा नहीं आना चाहिए। उनके लिए प्यार और सम्मान ज्यादा बढ़ जाना चाहिए। इसलिए मैं उन मुद्दों को ज्यादा दोहराऊंगा नहीं। मैं केवल दो तीन मुद्दे कहना चाहता हूं और इन मुद्दों को एक याद दिलाने के उद्देश्य से कहना चाहता हूं। हम आज एक चीज को याद करते हैं, 1967 में इस विधान में क्या रूप था, क्या चित्र था और पावर स्ट्रक्चर की क्या हालत थी, और कांग्रेस के सिद्धान्तों की क्या हालत थी? पांच साल के बाद हम देखते हैं, एक क्रांति हुई। पांच साल के बाद हम देखते हैं, विचारों में, और हमारी जनता जो है, जिसने मत दिये हैं—उसके अन्दर एक बड़ी क्रांति हुई है। क्रांति हुई थी 1967 में जनता के अन्दर। उसने हमको बताया था कि आप लोगों को हम बीस साल से वोट देते आये हैं। आप लोगों को कांग्रेस के भूतकाल और पुराने इतिहास में अंकित कुर्बानी को याद कर वोट दिये थे। उन्होंने यह भी बताया था कि आपकी नीतियां अच्छी हैं, जिनको हम जानते हैं, आपकी जो नीतियां थीं उनके पीछे हम हैं लेकिन आप का नेतृत्व इतना गन्दा हो गया है, इतना गिर गया है, इतना भ्रष्ट हो गया है कि हम उसमें विश्वास ज्यादा नहीं कर सकते। इस कारण 1967 के अन्दर पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर एक हवा बही थी उनको रोकने की और कांग्रेस की नीतियों को हाथ में रखने की। कांग्रेस के नेतृत्व ने जनता के साथ विश्वासघात

(श्री शान्तिलाल कोठारी)

किया था, उसको चेंज करने का तय किया था। दो साल के अन्दर हमारी दिल्ली के अन्दर कांग्रेस की मीटिंग के अन्दर हम लोगों ने तय किया—कांग्रेस क्यों नीचे गिरी, कांग्रेस के पक्ष के अन्दर इतने कम मत क्यों पड़े? इसके लिए हम लोगों ने एक समिति बनाई थी। और आर्थिक कार्यक्रम तय करने के लिए हम लोगों ने चिन्तन किया और ज्योंही ए० आई० सी० सी० के सामने दस सूत्री कार्यक्रम लाये, उस दिन साफ-साफ मालूम पड़ा कि हमारे अन्दर कौन घुसे दुश्मन थे, हमारे अन्दर कौन दुश्मन थे?

आज विरोधी दलों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि मतदाता ने हमें इतनी बड़ी संख्या में भेजा है। आज हमारा कर्तव्य है कि एक घण्टे का समय भी, एक क्षण और एक पल भी व्यर्थ में समाप्त न करें उनके साथ में बातचीत करने में और विवाद करने में। आज हमें हमारे अन्दर देखना है। आज विधान सभा में एक क्रांतिकारी कार्यक्रम लेकर आये हैं। इस विधान सभा में कांग्रेस का बहुमत है, वह नये चिन्ह से आई है, जो चिन्ह 1967 में था वह नहीं है, इस विधान सभा के नेता नये हैं और देश की नेता इन्दिरा गांधी हैं वह नई हैं। इसलिए हमें यह देखना है कि विधान सभा के अन्दर हम लोग इतने आए हैं, हमारे सामने विरोधी हैं, देश भर में विरोधी नहीं हैं। इसलिए हमें देखना है कि जब क्रांति होती है, जब सफलता होती है तो उसके दरवाजे दुश्मन लोग चारों तरफ से खोल कर घुस जाते हैं, अच्छे अच्छे आदमी निकल जाते हैं। मुझे दुख है, आचार्यजी जैसे अच्छे साथी, अच्छे आदमी को बाहर से बात करनी पड़ी। मैंने उन्हें पहली बार सुना है। 1967 में क्रांति शुरू हुई तब हमें कहा गया था, हम कम्युनिस्ट हैं। आज भी कहा गया है, आज बैठे हुए हैं गुमानमल जी, उन्होंने कहा कि हमने गठबन्धन किया है। हमें फक्र है, हमें घमण्ड है जो मार्क्सिज्म को मानने वाले साथी हैं, उन साथियों से गठबन्धन सिद्धान्तों का होता है तो हमें घमन्ड है, शर्म नहीं। उन्होंने हमारे साथ सिद्धान्तों के आधार पर काम किया है, उन्होंने गिरी साहब के इलेक्शन में हमारे साथ वोट ही नहीं दिये, वह हमारे साथ बराबर रहे हैं। हमें फक्र है, हमारी मदद और साथ से केरल में उनकी गवर्नमेंट है, वह गवर्नमेंट एक्जाम्पल है दिखने के लिए कि वह कितना अच्छा काम कर रही है। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं, हमारे सामने एक क्रांतिकारी कार्यक्रम है, वक्त बहुत कम है। बाहर जिन्होंने मत दिये हैं वह शायद यहां नहीं आ सकें, कई लोग नहीं आ पायेंगे पांच साल के अन्दर। उन्होंने हमें एक कार्यक्रम के आधार पर मत दिये हैं। माफ करना, हिन्दी में बहुत कम बोलता हूं कहीं कहीं रूक जाता हूं थोड़ा थोड़ा। तो उन्होंने शांतिलाल कोठारी को मत नहीं दिये हैं, बरकतुल्ला खां को मत नहीं दिये हैं, हरिदेव जोशी को मत नहीं दिये हैं। उन्होंने मत दिये हैं इन्दिरा गांधी को, उसके कार्यक्रम को। यह बात साफ साफ हो जानी चाहिए। यह बात दिल में सोचनी चाहिए। अगर कोई कहे आप में से और भी महान् व्यक्ति हैं तो अलग बात है। बाकी मैं मानता हूं और मैं ठीक मानता हूं यह सही है। यह उनकी इज्जत है कि

(श्री शान्तिलाल कोठारी)

उनके पीछे हमको मत मिले हैं। इंदिरा गांधी की इज्जत के पीछे हमको मत मिले हैं, उनके कार्यक्रम के पीछे हमें मत मिले हैं नहीं तो 20 साल के अन्दर कोई राजनैतिक दल ऐसा नहीं है जिसकी इज्जत इतनी बड़ी हो। आज मत दिये हैं इन्दिरा गांधी को, उनके कार्यक्रम के, आज मत दिए हैं सिंडीकेट को बाहर निकालने के बाद रही कांग्रेस की शक्ति को। अगर कार्यक्रम को भूल जायेंगे तो कई दोस्तों ने कहा, श्री सुरेन्द्र व्यास ने कहा, हीरालाल देवपुरा ने कहा और विश्नोईजी ने कहा, उसका अंजाम बहुत भयंकर होने वाला है। आपको मालूम है, 5 साल पहले संसदीय प्रणाली के लिये लोगों को संशय था कि क्या जो हमारे विधायक हैं, जो एम०पीज हैं, जो मंत्री हैं, क्या वे हमारे सच्चे प्रतिनिधि हैं ? क्या ये लेजिस्लेचर्स और पार्लियामेन्ट सच्चाई से हमारा काम करते हैं ? यह उनके दिमाग में प्रश्न था। 5 साल पहले वह प्रश्न भयंकर रूप से आया। विश्वास टूट रहा था, हमारे कार्यक्रमों की कार्य पद्धति में, लेकिन इंदिरा गांधी को श्रेय है, आज की नई कांग्रेस को श्रेय है, उनके कार्यक्रम को श्रेय है कि आज फिर विश्वास प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा था नीतियां आपके पास कम नहीं हैं, पर ठीक नेतृत्व नहीं है जो इंदिरा गांधी ने दिया। आपको मालूम है कि अच्छा हुआ कि राजस्थान के कई कांग्रेस विधायकों के मत काम नहीं आए और वह असफल हुए, अच्छा हुआ नहीं तो गिरी साहब हारते और इंदिरा गांधी नहीं होती। मैं जानता हूं क्योंकि चन्द्र शेखर और मोहन धारिया जिस समय देश में घूम रहे थे, मुझे मालूम है, कौन कौन लोगों ने किस तरह की धमकियों दी। इसलिए अच्छा हुआ उस समय उनका जो स्टैंड था, उस समय का जो मत था, असफल हुआ। इससे इंदिरा गांधी की क्रांति सफल हुई है और देश में बड़ी भारी क्रांति हुई है जिसके लिए मैं और आप सब मिलकर और जनता उसको धन्यवाद देती है। मैं कुछ साफ साफ कहना चाहता हूं। पोलिटिकल स्टेटमेंट और पोलिटिकल फिलासाफी शब्दों में गूथ कर बात करना हमारा काम नहीं है। हमने जनता से वायदा किया है कि हमारा चरित्र अच्छा रहेगा, वायदा किया है कि भ्रष्ट आदमियों से लड़ेंगे और कई बार भ्रष्टाचार के लिए कहते हैं, मैं मानता हूं और मेरी किताब है "एडमिनिस्ट्रेटर एण्ड पोलिटिशियन"। मैंने कभी भी किसी सिविल सर्वेंट को भ्रष्ट नहीं पाया। आपको ताज्जुब होगा, शायद आपको गुस्सा भी आएगा। अगर पोलिटिकल लीडरशिप भ्रष्ट नहीं है, अगर उसके सिद्धान्त सही हैं, तो उसके नीचे जो एडमिनिस्ट्रेटर काम करने वाला है, उसको कभी मैंने भ्रष्ट नहीं पाया। मैंने उनसे बातें की हैं। उनके काम के बारे में बात चीत की है। जिस समय मैं किताब लिख रहा था तो कई राज्यों में उन लोगों से बात करनी पड़ी लेकिन जब हमारी पोलीटिकल लीडरशिप, जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके हाथ में जिम्मेदारी है, अगर उनके चरित्र पर दाग है तो चाहे कोई ब्युरोक्रेट अच्छा हो वह अच्छा नहीं रह सकता।

आज जब मैं क्रांति की बात कर रहा हूं, तो यह भी एक क्रांति है। सीलिंग

(श्री शान्तिलाल कोठारी)

के बारे में कहा है, मैं मानता हूं और इस बारे में प्रस्ताव रखने वाला भी हूं कि सीलिंग के बारे में जो विधेयक पास होगा तो गए 4 साल के अन्दर क्या क्या उनके पास था, कहां था, कम से कम देखा जाए तो मालूम पड़ेगा कि कैसे कैसे वितरण किया गया। इसके साथ ही साथ मैं यह भी मानता हूं कि हरेक मंत्री को, हरेक विधायक को, गए 10 साल में, अगर वह 10 साल से उस पद पर हैं, विधान सभा के सामने रखना चाहिये। जब वह मंत्री हुए उसके पहिले उनके पास क्या धन था, जब विधायक या एम० पी० बने उनके पास क्या धन था, उसकी बाजार में क्या कीमत थी चाहे वह कम रही हो। गोकुलभाई जैसे महापुरुष चाहे 2 रुपये में काम करें उनकी कीमत ज्यादा थी; व्यासजी, चाहे स्वामी कुमारानन्दजी ब्यावर वाले थे, वह चाहे महीने में 30) रु० में काम करें लेकिन उनकी कीमत ज्यादा थी। राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि वह पोलिटिशियन जिसको उन्होंने मत दिया बाजार में अच्छा रहे, साफ सुथरा निकले तो अच्छी बात है; लेकिन जरूरी होता है, मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, वह अपने साथियों से कहें कि गए 10 साल के अन्दर उनके पास क्या धन था, आए तो क्या धन था, आज क्या है चाहे बच्चे के नाम हो, चाहे लड़की के नाम पर हो, मां के नाम पर हो, पिता के नाम पर हो, लेकिन क्योंकि आज हमारा समाजवाद का पहला कदम है, हम जानना चाहते हैं इसलिए कि दुनियां को हम कहना चाहते हैं कि हमारे साथी भ्रष्ट नहीं हैं, कुछ और लोग भ्रष्ट हैं। अगर भ्रष्ट हैं तो उनको रहने नहीं देंगे, यह जनता को हम कह कर आए हैं कि जो भ्रष्ट साथी हैं उनकी बार बार खिलाफत किया करेंगे। सबको मालूम है मोरारजी देसाई, अतुल्य घोष और मोहनलाल सुखाड़िया ने काफी कोशिश की मुझे कांग्रेस से बाहर निकालने की लेकिन हमने कहा, कांग्रेस ने इंदिरा गांधी की है, कांग्रेस तो जनता की है। आज खुश किस्मती है देश की कि इंदिरा गांधी के नीचे जनता फिर कांग्रेस के पास आई है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम श्रीमती इन्दिरा गान्धी के नेतृत्व से देश को काफी ऊंचा उठा सकेंगे। क्योंकि आज जनता क्रान्ति चाहती है। आज जनता जो वायदे हमने किये हैं उनकी क्रियान्विति चाहती है। आज हमारे सामने कई समस्यायें हैं। उन समस्याओं को हल अगर हम नहीं करेंगे और इस सदन में बेकार के वाद-विवाद में पड़ जायेंगे तो हम क्या कार्य कर सकेंगे? इसलिये हमें जो आज यहां विधान सभा में जनता के प्रतिनिधि के रूप में आने का जो मौका मिला है उसे सिर्फ इधर उधर के भाषणों में समय न गंवा कर ऐसे ठोस कार्य करने चाहियें, ऐसे निर्णय हमें इस सदन में बैठकर लेना चाहियें, जिससे कि नारा जो हमारे प्रधान मन्त्री ने समाजवाद का दिया है और गरीबी हटाने का दिया है, उसे पूरा किया जाय। जनता ने आज इसलिये ही हमें चुना है। आज जनता क्रान्तिकारी चेन्ज चाहती है। और इस क्रान्तिकारी चेन्ज लाने के लिये हमें जो समाजवाद की बुनियादी नीतियां हैं उनको पूरी करना अनिवार्य है। उसे पूरा करने के लिये हमें कौनसे कार्यक्रम बनाने चाहिये जिससे

(श्री शान्तिलाल कोठारी)

कि वह कार्य पूरा हो सके इस पर विचार करना है। आज हमें यह सोचना है हम सभी को कि जनता ने कांग्रेस को पांच साल का समय दिया है और अगर इस समय में हम कुछ नहीं कर सके तो स्थिति बदल जायेगी। आज हमें यहां बैठकर ऐसी नीतियों की क्रियान्विति करनी है जिससे गांव वाले किसानों और आम जनता को राहत मिले। और यह तभी मिलेगी जबकि जो हमारे देश की प्रधान मन्त्री ने जो नीतियां समाजवाद को अपनाने के लिये घोषित की हैं उनको कार्यरूप में परिणित किया जाय। इसके लिये मैं मुख्य मन्त्री, बरकतुल्ला खां से निवेदन करूंगा कि वे स्वार्थी तत्वों से सावधान रहें। क्योंकि हर क्रान्ति के दौर में कुछ स्वार्थी तत्व अन्दर घुस आते हैं, इस प्रकार के तत्व कांग्रेस में भी घुस आये हैं, उनसे सावधान रहें और उन्हीं स्वार्थी तत्वों की वजह से श्री आचार्यजी जैसे कांग्रेसी को कांग्रेस से बाहर निकाला गया। अभी इस सदन में जो श्री आचार्य साहब ने सुझाव दिये थे वे महान हैं और विद्वतापूर्ण हैं। मेरे खयाल से तो आज कांग्रेस के अन्दर ऐसी कोई बात नहीं कह सकता। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि जो हमने जनता से वायदे किये हैं उन्हें हमें पूरा करना है। आज, उपाध्यक्ष महोदय, जनता ने हमारे ऊपर विश्वास करके हमें जिस मैजोरिटी से भेजा है अगर हम यहां पर कुछ भी काम नहीं कर सके तो जनता हमें कभी माफ नहीं करेगी और जनतन्त्र खतरे में पड़ जायेगा। कौन जानता है आज यहां जो इतने 145 सदस्य कांग्रेस के यहां बैठे हैं, मेरे खयाल से उन्होंने चुनावों के दस पन्द्रह दिन पहले यह सोचा भी नहीं होगा कि कांग्रेस की इतनी मैजोरिटी आ सकती है। पर चूंकि जनता के पास जब इन्दिरा गान्धी ने अपनी पार्टी को जनता में बताया तो, अपनी पार्टी की नीतियां और कार्यक्रम बताये, तो उसकी वजह से उन नीतियों से प्रभावित होकर जनता ने इन्दिराजी के कार्यों को देखकर हमें आज यहां पर लाकर बैठाया है। उससे आज कांग्रेस को नया बल मिला है। लोगों ने दूसरी पार्टियों के कार्यक्रमों से इस पार्टी के कार्यक्रम को ऊंचा माना। जिससे जनता ने हमारा मनोबल ऊंचा किया है। इसलिये हमारा कर्तव्य कि हम उसे निर्धारित समय में पूरा करें। आज हमें उसे किसी प्रकार पूरा करना है। उसे पूरा करने के लिये जनता ने हम पांच साल दिये हैं, लेकिन हमें यह काम पांच साल में नहीं, चार साल में नहीं, तीन साल में नहीं बल्कि एक साल में या 6 महीनों में ही कुछ कार्य करके दिखाने हैं। जिनमें कि कोई खास वक्त नहीं लगता है। यह हमारा पहला कदम होगा। जिससे जनता को पता लग जायेगा कि हम क्या करने वाले हैं। और अगर वही पहला कदम हमारा गलत हो गया तो जनता का विश्वास हमारे ऊपर से उठ जायेगा। उसके लिये हमें यहां बैठकर ऐसे कार्य करने हैं जिससे जनता में समाजवाद लाया जा सके। पहले तो सरकार क्या करना चाहती थी उसका कुछ और सिस्टम था। हमने यह देखा कि हर मन्त्री अपने अपने क्षेत्र में ही विकास कार्य कर रहे थे और दूसरी जगह विकास नहीं होता था। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने अभी कहा

(श्री शान्तिलाल कोठारी)

था कि अब राजस्थान पूरा ही मेरा क्षेत्र है। मैं सभी जगह के लिये काम करूंगा इसका मतलब यह हुआ कि जो पहले सिर्फ अपने अपने क्षेत्र में ही काम मन्त्री लोग कराते थे, या उसी के बारे में सोचते थे, यह अब नहीं होगा। जैसे मैं आज सिरोही से आया हूं तो मुझे पूरे राजस्थान की सोचनी चाहिये। और अगर हमें समाजवाद लाना है, हमें जनता का भला करना है, समाज में आर्थिक विषमता को मिटाना है, तो इसके लिये सबके भले के लिये, पूरे राजस्थान के विकास के लिये काम करना है। इसलिये आज किसी क्षेत्र से अगर विरोधी दल का जीत कर आगया है तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वहां काम नहीं होगा। हम जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि सभी जगह काम होगा। जैसा कि हमारे हिन्दुस्तान की नेता, प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने कहा है, उसी की नीतियों पर हमें चलना चाहिये। आज हमें खुशी है कि हमारे मुख्य मन्त्री, श्री बरकतुल्ला खां ने जो घोषणायें की हैं, वो मैं उम्मीद करता हूं, कि वे उसे पूरा करेंगे। मैं मुख्य मन्त्रीजी को पहले से जानता हूं पर जबसे उन्होंने गिरी साहब के वोट देने के वक्त जो रिस्क लिया था, अपनी अन्तरआत्मा की आवाज पर, उस वक्त जो रिस्क ली थी वह खतरनाक थी पर उन्होंने बगैर परवाह किये ही समाजवाद की नीतियों में विश्वास रखते हुए ऐसा किया। इसलिये मेरा निवेदन है कि उसी तरह समाजवाद की नीतियों को पूरा वे करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। समाजवाद के लिये हमें हमारे प्रशासन तथा प्रशासन के जो लोग हैं, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारी, जिनका हमेशा ग्रामीण विरोधी रवैया रहा है, उसे समाजवादी कार्यक्रम के अनुरूप हमें ढालना होगा। यह आवश्यक है। नहीं तो हम हमारी नीतियों को क्रियान्वित नहीं कर सकेंगे। इसके लिये पहले मुझे जो कहना है वह यह है कि हमें कोओर्डीनेशन से काम करना चाहिये। अगर कोओर्डीनेशन से काम नहीं होगा तो हमारे लिये समाजवाद की नीतियों को क्रियान्वित करने में बाधायें उत्पन्न हो जायेंगी। इसलिये सभी को अपनी नीतियों को समाजवाद की नीतियों को आत्म निरीक्षण करते हुए आगे बढने की आवश्यकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब नोन-प्लान और प्लान के बारे में जो हमारी योजनायें हैं, उनके बारे में कुछ निवेदन करूंगा। हमारी योजनायें, ऐसी होनी चाहियें कि जिन्हें हम पूरी कर सकें। ऐसी योजनायें नहीं होनी चाहियें कि जिन्हें हम पूरी नहीं कर सकें और हमें उन्हें बीच में ही छोड़ना पड़े। आज कई ऐसी योजनाएं हमारी थीं जो नोन-प्लान में भी हो सकती हैं और प्लान में भी, उन्हें हमें बीच में छोड़ना पड़ा। अतः मेरा निवेदन है कि योजनाओं की गति को ऐसा बनाया जाय कि वह पूरी हो सके जिससे उन योजनाओं से जनता को लाभ मिल सके। इसके अलावा राज्य और केन्द्र के बीच में समन्वय होना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मैं अभी समाप्त करता हूं। तो उपाध्यक्ष

(श्री शान्तिलाल कोठारी)

महोदय, आज हमें नये समाज का निर्माण करना है। एक नयी पद्धति है उसके लिए काम करना है। एक क्राईटेरिया हमें फिक्स करना पड़ेगा जिससे कि ये योजनायें जो हमारी पूरी नहीं हो सकीं, उन्हें पूरी करें। हमारी योजनाओं में सोशियलिस्टिक आइडोलोजी का आभास मिलना चाहिये-ऐसी होनी चाहिये। और वे योजनायें जो भी हैं उनके बारे में जहां कि वे हों वहां के एम० एल० एज० को ज्ञात होना चाहिये। जनता को पता होना चाहिये यह योजना क्या है, कब तक के लिये है, इसमें क्या प्रोग्रेस हुई है और क्या प्रोग्रेस होनी है? इसमें क्या क्या डिफिकल्टीज़ इसके पूरा होने में आ रही है और उन डिफिकल्टीज को किस तरह से सोल्व किया जा सकता है इसके बारे में कार्यक्रम बनाने चाहियें। ऐसा होने से काफी प्रोग्रेस उन योजनाओं में हो सकेगी। इसमें एक बात खास जो हमें ध्यान रखने की है वह यह है कि जो प्लान हम बनायें, वह प्लान टारगेट के अन्दर शेड्यूल्ड टाइम में पूरा होना चाहिये। इसमें हमें कौनसी योजनायें लेनी है उसके लिए ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी से देखना है कि ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी क्या है?

दूसरी बात मैं आपसे जो निवेदन करना चाहता हूं वह है फेमीन के अन्दर जो काम हुए उनके बारे में। इसके बारे में उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मारफत मुख्य मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वह उन्हें पूरा जल्दी से जल्दी करवायें। उन्हें प्रोयोरिटी दें। आज कहीं पर सड़कें बनानी, कहीं पर बिजली लगानी–क्या यही समाजवाद है? कहीं पर नल लगाना, स्कूल खोल दिये या यही समाजवाद है? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह समाजवाद नहीं है। समाजवाद तो है जिससे जनता का आर्थिक स्तर ऊपर उठे। आज जो फेमीन में कार्य शुरू हुए थे, कई तो पूरे हो गये, लेकिन कई ऐसे हैं जो पूरे नहीं हुए, तो क्या इसके लिये हमें वापिस फेमीन की राह देखनी पड़ेगी कि फेमीन होगा? जो अकाल के समय काम शुरू हुए और बाद में फेमीन कार्य बन्द हो जाने से अधूरे पड़े के पड़े रह गये। इसके लिये मेरा एक बार मुख्य मंत्री से निवेदन है कि उन्हें पूरा करें। इसके लिए मैं मुख्य मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वे पता लगायें कि ऐसे कितने काम है जो फमीन के समय शुरू हुए थे और बाद में अकाल राहत काम बन्द होने से पूरे नहीं हो सके। इसके लिए इन्वेन्ट्री बनायी जानी चाहिये। उन्हें पूरा करने के लिये एक कमेटी बनायी जाय। हर जगह की जिला वाइज एक कमेटी बनायें, जिसका मेम्बर कलेक्टर हो, वहां का एम० एल० ए० हो। उसमें मिनिस्टर भी जाकर बैठे और जो कमियां हों, उन्हें पूरी करने में मदद करें। इसके अलावा मिनिस्टर यह देखे कि कितना काम हुआ है। इसके लिये वहां के स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से भी फिक्स्ड टारगेट के अनुसार काम नहीं होने का कारण पूछे। इसकी रिपोर्ट 10 दिन में मिनिस्टर साहब के पास पहुंचनी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

माफ कीजियेगा उपाध्यक्ष महोदय, समय कम है पर जो कुछ मुझे निवेदन करना था कि देश में क्रान्ति आगयी है, हमें समाजवाद को लाना है और इसके लिए

(श्री शान्तिलाल कोठारी)

मैं एक बार और आप सभी को निवेदन करदूं कि जो नीतियां हमारी प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने बतायी हैं, उन्हें पूरी करने के लिये हम उनके साथ हैं। कांग्रेस उनके साथ है। हमें जनता को, वे सभी कार्य पूरे करके दिखाने हैं। मैं एक किताब इन्दिरा गान्धी की पोलिटिकल प्रोफाईल्स के बारे में लिख रहा हूं उसमें उनकी समाजवादी नीतियां और उनकी उपलब्धियां के बारे में होगी। उपाध्यक्ष महोदय, समाजवाद के लिये मैं यह साफ साफ बता देना चाहता हूं कि जनता को आज काम की आवश्यकता है। जनता को आज वायदों को पूरा करने की आवश्यकता है जिन्हें हमने चुनावों में दिये थे। और अगर उन्हें पूरा करने के लिये हम डर गये, या बीच में ही कहीं अगर हम भटक गये, तो वो दिन दूर नहीं है कि जनता हमें हमेशा के लिये राजनीति से दूर करने से नहीं चूकेगी और हो सकता है कि आज जो हमारे यहां पर प्रजातन्त्र है वह खतरे में पड़ेगा और हमेशा के लिये समाप्त हो जायगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि आज जनता को आपके भाषणों की आवश्यकता नहीं है, जनता को आपके सिद्धान्तों को पूरा करने की बात है, उन्हें पूरा करना है। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी जिस मनोबल से यहां पर आयी है, जिस कार्यक्रम की वजह से यहां आयी है, उसे पूरा करके रहेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यही आपका जो किया हुआ कार्य है वही कांग्रेस के लिये आगे के लिये सार्थक होगा। जिन कार्यों को करने के लिये जनता ने हमें यहां भेजा है, उन्हें पूरा करना होगा। इसके लिये हमें सबकी भलाई के लिये क्षेत्रीय भावना से ऊंचा उठकर, जातिवाद से ऊंचा उठकर, काम करना है जिससे कि सबकी भलाई हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बस उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में इतना ही कहूंगा कि अब समाज में क्रान्ति आगई है और उस क्रान्ति में हमें पुराने ट्रेडीशन्स को खतम करके नये कल्याणकारी समाज की रचना करनी है। अन्त में मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव आया है उसका समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, श्रीमती सुमित्रासिंह।

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुन्झुनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव इस सदन में आया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं भी दो शब्द इसके बारे में निवेदन करना चाहती हूं। राज्यपाल महोदय के भाषण में जहां एक ओर पिछली उपलब्धियों का उल्लेख किया है और जो भविष्य के लिए घोषणाएं की हैं, आगे आने वाले समय में कांग्रेस सरकार का क्या प्रोग्राम है? उनकी नीतियां क्या हैं? इसके लिये मैं इतना जरूर कहूंगी कि चाहे इस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्य हों चाहे उस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्य हों जो उच्च नेतृत्व, हमारे देश की प्रधान मन्त्री ने दिया है, उसकी प्रसंशा न केवल हमारे कांग्रेसी सदस्यों ने ही की पर

Page No 54

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

उसकी मुक्त कण्ठ से प्रसंशा विरोधी दल वाले सदस्यों को भी करनी पड़ी है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 25 सालों से राजस्थान में कांग्रेस की हकूमत है। कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में काफी विकास किया है। जहां राजस्थान के निर्माण से पूर्व कुछ भी नहीं था वहां आज सड़कें, स्कूलें, बिजली पहुंच गई है। इस बात को कोई भी, जो कि विधान सभा के अन्दर बैठा है या बाहर, इनकार नहीं कर सकता कि यहां विकास नहीं हुआ। आप आज राजस्थान के किसी भी क्षेत्र में चले जाईये आपको वहां तरक्की मिलेगी। पहले राजस्थान में सिर्फ एक गंग कैनाल थी आज राजस्थान में राजस्थान बनने के बाद कई कैनाल बन गयी हैं, नई बन्ध बन गये हैं। जैसे भाखड़ा डेम, राजस्थान कैनाल, चम्बल नहर वगैरह उससे जो खेती पहले होती थी उससे दुगुनी से भी ज्यादा हो गयी।

बिजली के क्षेत्र में जायं तो जिस राजस्थान में फोरमेशन से पहले केवल आठ मेघावाट बिजली पैदा होती थी आज उसी राजस्थान में 283 मेघावाट बिजली पैदा होती है। जहां पहले राजस्थान में करीब 52 गांवों में विद्युतिकरण था वहां आज साढ़े तीन हजार गांव विद्युतिकरण का लाभ उठा रहे हैं। न केवल विद्युतिकरण बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में आयें तो पहले राजस्थान में एक भी विश्वविद्यालय नहीं था, उस राजस्थान में आज तीन विश्वविद्यालय हैं, और जिस शिक्षा का बजट पहले एक करोड़ का होता था आज बढ़ता बढ़ता 40 करोड़ का हो गया है। लिट्रेसी की परसेन्टेज पहले से ज्यादा बढ़ी है। इसी प्रकार चिकित्सा के सम्बन्ध में भी पहले डेढ़ करोड़ का बजट हुआ करता था आज उसी चिकित्सा का बजट 12 करोड़ का पहुंच गया है। चिकित्सा का पर- केपीटा एक्सपेंडिचर पहले 64 पैसे था तो वह भी बढ़ते बढ़ते आज 5.76 हो गया है। कहने का मतलब यह है विकास अवश्य हुआ है लेकिन वास्तविक आवश्यकतानुसार विकास की ओर ध्यान नहीं गया है। इसी प्रकार औद्योगिक उत्पादन में भी, कृषि के क्षेत्र में भी सिचाई के क्षेत्र में भी और सब क्षेत्रों में राजस्थान ने प्रगति की है, लेकिन राज्यपाल महोदय ने जहां अपने अभिभाषण में आगे आने वाले राजस्थान में समाजवादी कदम उठाने के बारे में, बेरोजगारी मिटाने के बारे में, गरीबी मिटाने के बारे में, जो घोषणायें की हैं, मैं राजस्थान की सरकार से प्रार्थना करूंगी कि वे उसी गंभीरता से इन घोषणाओं को पूरा करने के लिये पूरा दायित्व लें।

जहां तक पेय जल की समस्या का सवाल है बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य ने रेगिस्तान की समस्या को रखा था। मैं भी बड़ी वेदना के साथ सदन के माननीय सदस्यों को यह बात कहना चाहती हूं कि आज आजादी के 25 साल के बाद भी हमारे राजस्थान के अन्दर पानी के कारण, अकाल के कारण, सूखे के कारण, घर-बार छोड़ कर जाना पड़ता है, अपने सारे पशु धन को लेकर बाहर जाना पड़ता है, मैं समझती हूं इससे ज्यादा और कोई शर्म की बात नहीं हो सकती है। इन पिछले 23 वर्षों में करीब 175 करोड़ रुपया अकाल राहत पर खर्च किया गया है। यदि इन पौने

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

दो सौ करोड़ की धनराशि को राजस्थान सरकार शुरू से ही यह लेकर चलती कि कोई न कोई स्थायी हल अकाल की समस्या का निकालना है तो मैं समझती हूं इसमें बहुत कुछ काम कर सकते थे, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी जिस समस्या का समाधान हो जाना चाहिए था, वह नहीं हो सका। मैं यह बात कहना चाहती हूं कि पेय जल की समस्या के लिए अब तक बहुत कुछ राजस्थान सरकार ने किया है, लेकिन फिर भी ग्रामीण पेय जल योजना की समस्या के लिए जितना पैसा खर्च हुआ है वह शहरी योजना के मुकाबले बहुत कम है। इसे आप सब लोग भी स्वीकार करेंगे। पिछले मध्यावधि चुनावों के अन्दर और विधान सभा के आम निर्वाचनों में जिस बात की घोषणा से कांग्रेस को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है वह चुनाव घोषणा-पत्र की इस घोषणा से है कि इस देश से वह असमानता मिटाना चाहती है, जनता में हो रहे अन्याय को मिटाना चाहती है। मैं समझती हूं यह अन्याय हमें मिटाना पड़ेगा और अगर यह नहीं मिटाया गया तो ग्रामीण लोग अब ज्यादा इस बात को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और आने वाले समय में वे इस बात को सिद्ध करके देंगे। आज राजस्थान की हमारी जो ग्रामीण आबादी है वह एक करोड़ 68 लाख है हमारी शहरी आबादी 32-33 लाख के करीब है। इस 32-33 लाख की शहरी आबादी में पेय जल की योजनाओं के लिये अब तक करीब 18 करोड़ रुपया खर्च किया है और एक करोड़ 68 लाख की आबादी वाले ग्रामों में अब तक कुल 14 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। मैं समझती हूं यह असमानता, अन्याय, ग्रामीण जनता अधिक दिन तक बर्दाश्त करने वाली नहीं है। इसलिए यह राज्य सरकार को चेतावनी है और राज्य सरकार को इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। आज आजादी के 25 वर्ष बाद भी राजस्थान के कई इलाकों में 5-5, 7-7 मील दूर से पानी लाना पड़ता है। कुछ लोग अपनी सारी जिन्दगी एक ऊंट पर एक टंकी लेकर सुबह रवाना होकर शाम को पानी लेकर घर लौट आने में बिताई है। मैं समझती हूं यह तो किसी का जीवन नहीं हो सकता है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगी और सदन के माननीय सदस्यों से भी निवेदन करूंगी कि वे इस दुख की गंभीरता को समझें, उनकी इस बदनसीबी को समझें, बल्कि राज्य सरकार को चाहिए और उन्होंने भी इस बात को गंभीरता से विचार किया है, पानी और हवा तो सुलभ रूप में प्राप्त होनी ही चाहिए। स्वच्छ पीने के पानी की पूर्ति अगर दो मील पर उपलब्ध नहीं होती है तो मैं समझती हूं इस जनतन्त्र का और इस समाजवाद का इससे अधिक और कोई मखौल नहीं हो सकता है। उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि पिछली बार राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा था कि बेकारी और बेरोजगारी को मिटाने के लिये क्रैश प्रोग्राम में एक जिले में जो प्रावधान किया है मैं उसके बारे में मुझे निवेदन करना है, आज तक उस रकम का अधिकांश भाग काम में नहीं लाया गया है। राजस्थान के अन्दर आज मुख्य समस्या बेरोजगारी की है, शिक्षा के प्रसार के साथ साथ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है।

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

राज्य सरकार की घोषणा के मुताबिक, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के मुताबिक, टेक्निकल एज्यूकेशन वालों के लिये कुछ रूल्स बनाये थे जिनको टेक्निकल एज्यूकेशन देने के बाद भी रोजगार न दे सके। कुछ स्टाइपेन्ड देने का निश्चय किया गया था यह खुशी की बात है मैं इसका स्वागत करती हूं लेकिन इसके साथ साथ स्कूल और कॉलेजों के जो छात्र नॉन-टेक्निकल निकल रहे हैं उनकी क्या व्यवस्था होगी? भारत सरकार की क्रेश प्रोग्राम योजना के मुताबिक जो एक जिले में एक हजार आदमियों को रोजगार देने की योजना है, वह अशिक्षित लोगों के लिए है, मैं समझती हूं आज हमारे राजस्थान में अशिक्षित बेरोजगारी की उतनी परेशानी नहीं है जितनी कि प्रशिक्षित बेरोजगारों की है। आज शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की आवश्यकता है। मैं राजस्थान सरकार से आंकड़े लेना चाहूंगी कि पिछले 12 महीनों में एक जिले में साढ़े बारह लाख का प्रोविजन किया गया था उसमें से अब तक राज्य सरकार कितने रुपये खर्च कर सकी है, मुझे बड़े अफसोस के साथ निवेदन करना पड़ रहा है मेरे जिले में एक पैसा भी इस प्रोग्राम में से खर्च नहीं किया गया है......

श्री वृद्धिचन्द्र जैन: यही स्थिति है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : मैं समझती हूं हम भारत सरकार के पैसे का उपयोग नहीं कर पाये, शिक्षितों को रोजगार देने का प्रबन्ध नहीं कर पाये, अशिक्षितों को शिक्षित बनाने की योजना नहीं कर पाये, भारत सरकार के पैसा का सदुपयोग नहीं कर पाये तो मैं समझती हूं इससे बढ़कर अपनी क्या इनऐफिशियेन्सी होगी। इस सम्बन्ध में मुझे यह भी निवेदन करना है कि भारत सरकार ने देश के कुछ जिलों को क्रॉनिकली ड्रॉट इफैक्टेड मान कर वहां इस समस्या को हल करने के लिए रूरल वर्क्स प्रोग्राम के अन्तर्गत एक एक जिले में दो दो करोड़ रुपयों का प्रावधान किया था अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत। हमारी चौथी योजना अप्रेल, 70 से शुरू हुई। पर मुझे पता नहीं कि इस तरह की योजना राजस्थान के किसी जिले में भी हाथ में ली गई हो, हालांकि राजस्थान में भी इस तरह से दस जिले भारत सरकार ने छांटे थे 20 करोड़ का चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिए प्रावधान था और इसके लिये 16 करोड़ रुपया भारत सरकार से स्वीकृत होकर भी आ गया था।

अब जो जिले इस योजना के अन्तर्गत लिये गये वे किस आधार पर लिये गये इसके बारे में भी मेरी शिकायत है, व्यथा है मेरी कि इन दस जिलों में झुन्झुनू जिले का कहीं नाम नहीं लिया गया है। यह इस जिले के साथ अन्याय है। पाली जिले को इसमें लिया गया जबकि यह जिला सोइल फरटीलिटी में झुंझुनू से कहीं अधिक अच्छा है, रेन फाल वहां का झुंझुनूं के मुकाबले में अधिक है। डेप्थ ऑफ वाटर लेवल कुओं में झुंझुनू के मुकाबले में कम है। फिर भी पाली इस ड्रॉट प्रोन एरिया स्कीम में लिया गया और झुंझुनू को टाला गया। झुंझुनू आज एक मरुस्थलीय इलाका है और वहां आज भी पीने के पानी की प्रॉब्लम है। आज भी वहां कुछ हिस्सा ऐसा है जहां कुए नहीं खोदे जा सकते, पानी खारा निकलता है, इस कारण बरसात के पानी

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

को इकट्ठा करके पीने के काम में लिया जाता है। अगर भारत सरकार ने स्वयं ने जांच करके इस तरह का निर्णय लिया है तो राजस्थान सरकार का यह कर्तव्य था कि भारत सरकार को निष्पक्ष तौर से सही निर्णय पर पहुंचने के लिये उनकी अपनी राय देनी चाहिये थी। और यदि राजस्थान सरकार ने ही इन जिलों के लिये नाम दिये हैं तो मेरी राज्य सरकार से गम्भीर शिकायत है कि हमारे जिले के साथ उन्होंने न्याय नहीं किया। झुंझुनू और सीकर जिलों का नाम निश्चित तौर से आन-मैरिट इन दस जिलों की स्कीम रूरल वर्क्स प्रोग्राम में शामिल किये जाने चाहिये थे वहां की भौगोलिक स्थिति को देखकर। इसका मुझे दुःख है। साथ ही बड़ा दुःख इस बात का भी है कि बीस करोड़ रुपया जो अब तक खर्च करना चाहिये था यहां के दस जिलों के पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिये, उन जिलों में रीजनल स्कीम बनाकर इम्प्लीमेन्ट करने के लिये, सड़कों या अन्त: आवागमन के साधनों को सुगम करने के लिये, उसमें यह पैसा खर्च नहीं किया गया। 70-71 के साल में तो एक भी योजना इस सम्बन्ध में बनकर नहीं आई। इस सम्बन्ध में लापरवाही के लिए सम्बन्धित अधिकारियों से स्पष्टीकरण लिया जावे। जब हम बार बार इस बात को कहते है कि हम अपने पड़ौसी हरियाणा राज्य से पिछड़े हुए हैं तो भी इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। हम जब हमारे उन जिलों में, जो हरियाणा के नजदीक लगते हैं, जब हम वहां जाते हैं तो वे वहां के लोग व्यथा इन्हीं शब्दों में प्रकट करते हैं कि हमारे पड़ौसी राज्य के चीफ मिनिस्टर बंशीलालजी ने अपने तीन चार साल के शासनकाल में ही सारे हरियाणा में पीने के पानी का प्रबन्ध कर दिया, गांव गांव को इलेक्ट्रिफाइड कर दिया, एक गांव को दूसरे गांव से सड़कों का जाल बिछाकर जोड़ दिया। राजस्थान में हम कितने पिछड़े हुए हैं यह हम देखते ही हैं।

मैं मानती हूं इस बात को कि राजस्थान की स्थिति और है। हमारी कुछ मजबूरियां हैं। मैं इस बात से इन्कार नहीं कर सकती कि हरियाणा में और राजस्थान की परिस्थितियों में जमीन आसमान का अन्तर है। हमारी और उनकी भौगोलिक स्थिति में बहुत अन्तर है। हरियाणा एक छोटा सा वाईबल यूनिट है, औद्योगिक दृष्टि से काफी समृद्धिशाली और प्रगतिशील है। बहुत आगे है, बढ़ा चढ़ा है। हमारे यहां अधिकांश हिस्सा रेगिस्तानी है, लम्बा चौड़ा विविधताओं को लिये हुए इलाका है। फिर आये दिन के पड़ने वाले दुष्काल भी हमारे पिछड़ेपन का कारण हैं।

इसके बाद भी मैं यह कहे बिना नहीं रह सकती कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां रही हों, अगर हमने दृढ़ इच्छा से काम लिया होता, अगर हमारे में अदम्य साहस जनहित करने का रहा होता तो हम भी बहुत कुछ कर सकते थे। कहावत भी है: Where there is a will there is a way.

राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में जो घोषणाएं की हैं, अच्छी की हैं। पर

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

साथ ही यह भी निवेदन कर देना चाहती हूं कि इस झुंझुनूं जिले को भुलाने का प्रयत्न नहीं किया जावे। हमारा यह जिला उन जिलों में से है जहां से सबसे ज्यादा सैनानी सेना में गये हैं और सभी तरह के रैंक के गये हैं और अपनी मातृ-भूमि की रक्षा करने में अपना सबसे ज्यादा योग दिया है, सबसे अधिक त्याग और शौर्य का प्रदर्शन किया है। बंगला देश के निर्माण में सबसे अधिक अगर किसी ने कुर्बानी की है तो वह झुंझुनूं जिले का सैनिक ही है। पिछले चीन युद्ध के समय और पाक संघर्ष के समय भी इस जिले के सेनानियों ने अद्‌भुत त्याग, बलिदान और शौर्य का प्रदर्शन किया है और इस देश की आजादी को अक्षुण रखा है। राज्यपाल महोदय ने उनकी सेवाओं के लिये घोषणा की है। इससे मुझे बड़ी खुशी हुई। जिन लोगों ने वीर गति पाई है और जिनके अंग भंग हुये हैं उनके परिवारों को और उनको राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार की सहायता दी जावेगी, नकद सहायता भी दी जावेगी, जमीन और अन्य साधन भी दिये जावेंगे। पर मुझे खेद है यह कहते हुए कि सन् 62 के और 65 के चीन के साथ और पाक के साथ हुए हमारे संघर्षों के दौरान जो सैनिक वीर गति प्राप्त हुए उनके परिवार वालों को तथा अंग भंग हुए सेनानियों को जो सहायता देने के वादे हमने किये थे, जो घोषणाएं की थीं, उनको भी आजतक जमीनें नहीं मिल पाई हैं। मिली भी होंगी तो बहुत ही कम को मिली होंगी। पर अधिकांश को घोषणाओं के मुताबिक जमीनें आदि आज तक नहीं मिल पाई हैं यह मैं दावे के साथ कहती हूं। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि इस बात के लिये सरकार को पूर्ण सतर्कता से काम करना चाहिये। सरकार की जो नीति घोषित की जाती है, उसे पूर्ण रूप कार्यान्वित से किया जाना चाहिये।

इसके अलावा जब भारत सरकार पैसा देने को तैयार है यहां की पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिये, उस पैसे का उपयोग आप नहीं कर सकें और पीने का पानी स्वयं उपलब्ध नहीं करा सकें, इससे बढ़कर सरकारी तन्त्र की इनएफीसियेन्सी एवं अकर्मण्यता और क्या हो सकती है।

कृषि के क्षेत्र में हमने अच्छी प्रगति की है। इसकी मुझे प्रसन्नता है। हमारे यहां अन्न का उत्पादन बढ़ा और प्रति एकड़ खेती का उत्पादन भी काफी बढ़ा है। जहां पहले एक किसान अपने पुराने साधनों से एक बीघा में केवल बीस सेर की उपज लिया करता था, वहां आज आधुनिक उन्नत बीजों का और रासायनिक खादों का उपयोग करके चालीस मन तक की उपज लेने लगा है।

होर्टिकल्चर में भी हमने प्रगति की है। न केवल हमने अंगूरों की खेती में वृद्धि की है, बल्कि माल्टा का उत्पादन खेतों में बड़े पैमाने पर हमने करना शुरू किया है, आम की खेती भी होने लगी है। पर अफसोस इस बात का है कि टैकनिकल सलाह हमें आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती। थोड़ी बहुत जमीन मेरे पास भी है। प्रारम्भ में होर्टिकल्चर के बारे में राज्य सरकार ने जो प्रोत्साहन लोगों को दिया,

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

मैंने भी उससे प्रेरित होकर कुछ खेती की उस जमीन में। पर धीरे धीरे बीमारियां उसमें पैदा होने लगीं तो अब उन बीमारियों की रोकथाम के लिये टेक्निकल सलाह आसानी से नहीं मिल पाती कि किस तरह की दवाई का उपयोग किस सीमा तक किस तरह से कितनी मात्रा में कब कब किया जाना चाहिये। इससे निराशा ही हाथ लग रही है। आपने भी सुना होगा कि इस साल आम की फसल को एक प्रकार के कीड़े से नुकसान होने लगा काफी बड़ी मात्रा में, पर कृषि विभाग सतर्क नहीं है। लोगों को आज कोई सलाह नहीं मिल रही है कि किस तरह के प्रीवेन्टिव मेजर्स लिये जाने चाहियें। हमारे भूतपूर्व कृषि मंत्री ने अंगूरों की खेती के लिये बहुत प्रोत्साहन दिया जो इजराइल से लौट कर आये थे, वहां की प्रगति से प्रभावित थे। अब यह बात अलग है कि उसके भाव गिर गये हैं। यह तो डिमाण्ड और सप्लाई पर आधारित है। डिमाण्ड कम होती है और सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो भाव गिर जाते हैं। पर इसकी शिकायत मुझे नहीं करनी है। पर जिन्होंने की उनकी प्रेरणा से प्रोत्साहित होकर और काफी इन्वेस्टमेन्ट करके होर्टिकल्चर की खेती करनी शुरू की। एन्टरप्रेन्योर की तरह साहस करके आगे आये उनके लिये कम से कम कृषि विभाग की ओर से बीमारियों की रोकथाम के लिये टेक्निकल सलाह हर समय उपलब्ध कराई जानी चाहिये थी कि किस समय पानी दिया जाना चाहिये, किस समय खाद दिया जाना चाहिये, किस तरह का इन्सेक्टिसाइड, फंगी साइड या पेस्टीसाइड लिक्विड या पाउडर फार्म में कितना छिड़का जाना चाहिये वह टेक्निकल सलाह आज आसानी से उपलब्ध नहीं है। क्योंकि मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि जिन लोगों ने राजस्थान के अन्दर होर्टीकल्चरिस्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश की है कृषि विभाग की ओर से उनको कोई मदद नहीं मिली है, किसी प्रकार का लिट्रेचर, किसी प्रकार की दवायें और टेक्निकल नॉलेज देने के लिए कृषि विभाग उनको सहायक नहीं होता है। इस बात के लिए मुझे कहना है कि कम से कम कृषि विभाग जिन कामों के लिए यहां बना हुआ है, जिसके लिए लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है, वह कम से कम इस संबंध में सतर्क रहकर किसानों को पूरा फायदा देने की कोशिश करे।

उपाध्यक्ष जी, अन्तिम बात यह कहते हुए कि मैंने शुरु में भी कहा और मैं सब माननीय सदस्यों की जानकारी में भी यह बात लाना चाहती हूं और मैं समझती हूं कि मेरी बात से माननीय सदस्य भी इतिफाक करेंगे कि बिजली का प्रसार तो हुआ है और विद्युतिकरण भी धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है लेकिन विद्युतिकरण जिन गांवों में हुआ है उनमें नयी समस्यायें पैदा हो रही हैं। वोल्टेज का पूरा नहीं होना, ट्रान्सफार्मर पूरी कैपेसिटी के मुताबिक नहीं होना—यह इस तरह की प्रॉबलम्स हैं जो कि काश्तकारों के लिए बहुत दुख देने वाली हैं। यदि वोल्टेज पूरा नहीं हो, यदि 5 दिन तक बिजली नहीं आये तो आप समझिये कि गेहूं के अन्दर जब अनाज पड़ने लगता है उस समय यदि 5 दिन तक बिजली नहीं मिले तो क्या हालत होगी? इसलिए विद्युतीकरण का जहां एक्सटेंशन हुआ है, मैं विद्युत मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहूंगी कि इस एक्सटेन्शन के साथ

Page No 60

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

ही साथ वह इसको सर्विसेज को भी अच्छी रखने की कोशिश करें, किसानों को वोल्टेज की कमी न हो और साथही साथ ट्रान्सफार्मर्स पूरी केपेसिटी के हों और जितने कुओं पर कनेक्शन्स हों उसके मुताबिक और वर्कलोड के मुताबिक वहां पर ट्रान्सफार्मर्स हां तो मैं समझती हूं कि इस बिजली का पूरा उपयोग हो सकेगा वर्ना मात्र केवल एक्सटेन्शन कर दें और मात्र केवल विद्युत्तीकरण कर देने से और इसका नाम ले देने से कि यह गांव विद्युत्तीकरण की परिभाषा में आ चुके हैं यह मैं सही नहीं समझती हूं। इसलिए मेरा इतना निवेदन है कि जहां इतना विद्युत्तीकरण कर रहे हैं उसके साथ ही साथ उसकी सर्विसेज की ओर भी हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कई घोषणायें की हैं और समाज कल्याण विभाग के बारे में भी एक घोषणा उन्होंने की है और कहा है कि 'अनुसूचित जाति एवं जन जाति' के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बैंकों द्वारा दिये जाने वाले 5 हजार रुपये तक के ऋण के ब्याज का भुगतान समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है एवं जीर्णोद्धार करने के लिए 5 हजार रुपये के प्राप्त ऋण का ब्याज भी राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। इस प्रकार की कई घोषणायें हैं लेकिन ये घोषणायें किस हद तक इम्पलीमेन्ट हुई हैं ? मैं चाहूंगी कि इसमें राज्य सरकार अगली बार जब राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हो तो पिछले अभिभाषण में दिये गये आश्वासनों की किस हद तक पूर्ति होती है और कितनी घोषणाओं की पूर्ति नहीं होती है इसका भी लेखाजोखा हुआ करे तो मैं समझती हूं कि हमारी समस्याओं का समाधान हो सकेगा और राज्य की जनता की समस्याओं का समाधान हो सकेगा।

अन्तिम बात अपनी ओर से यह कहते हुए कि बड़ी खुशी हुई थी जब हमारे जिले में खेतड़ी में तांबा परियोजना बनी। सब अलग अलग प्रान्तों के अन्दर जो बहुत बड़े प्राजेक्टस होते हैं तो लोगों को बहुत खुशी होती है झुंझनूं के लोगों को भी खुशी हुई जब खेतड़ी तांबा परियोजना लगी थी, लेकिन वह लगने के बाद वहां के लोगों की जमीने गयीं, वहां मकान बने और उसके बाद में जो लोग वहां पहले आबाद थे उनको बेचारों को जमीन देकर वहां से बेकार होकर, बर्बाद होकर हट जाना पड़ा और वे अपनी जगह छोड़ छोड़ कर अन्यत्र चले गये। उनको तो इसका ज्यादा फायदा नहीं मिला बल्कि उसके फायदे दूसरों को मिले। मैंने बारबार राज्य सरकार का ध्यान अकर्षित किया और मैं राज्य सरकार के ध्यान में पुनः एक बात लाना चाहती हूं कि हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों के अन्दर जहां कहीं भी इस प्रकार के बड़े प्राजेक्टस पब्लिक सेक्टर में लगे हुए हैं सम्बन्धित राज्य सरकारें इस बात को बहुत सतर्क होकर कहती हैं कि यहां के लोकल आदमियों को एम्पलाय करना पड़ेगा और यहां पर एम्पलायमेन्ट देंगे तो लोकल आदमियों को देना पड़ेगा लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस संबंध में मैंने कई

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

और राज्य सरकार को भी कहा लेकिन खेतड़ी तांबा परियोजना में झुंझनूं के लोगों को लेबर के रूप में भी वहां नहीं लिया गया है और जगहों की बात तो छोड़ दो लेकिन भोपाल हैवी इलेक्ट्रीकल्स है में निश्चित रूप से कहूंगी कि वहां पर चाहे इन्जीनियर हों वहां की सरकार न कह रखा है कि वह हमारे मध्य प्रदेश का ही रहने वाला होगा लेकिन राजस्थान की सरकार ने खेतड़ी के संबंध में इस प्रकार की कोई शर्त नहीं रखी कि तुम्हें यहां के जो लोकल आदमी हैं उनका नियोजन करना है इसकी कोई कन्डीशन नहीं है और इसलिए छोटी से छोटी जगह के एम्पलोयमेन्ट के अन्दर भी, छोटे से छोटे लेबर को भी नियुक्ति में स्थान नहीं मिलता है वह भी बंगाल और बिहार से आता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी हमारे राज्य मंत्री जी से कि इस बारे में वे स्पष्ट आदेश दें जैसे कि और प्रांतों ने दे रखे हैं--चाहे इन्जीनियर हों या किसी भी केडर के आदमी हों कम से कम कुछ प्रतिशत अवश्य राजस्थानी होंगे, अवश्य लोकल होंगे संबंधित जिले के होंगे जिस जिले के अन्दर कि वह प्राजेक्ट स्थापित हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अगर ऐसी व्यवस्था नहीं होगी तो मैं नहीं समझती कि जो लोग बरबाद हुए हैं उनको प्रोजेक्ट का लाभ मिलने वाला है।

अंत में मैं राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण कृपा पूर्वक यहां सदन में दिया है उसके लिए अपनी ओर से धन्यवाद पेश करते हुए माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगी कि यह तो राज्यपाल महोदय का भाषण है लेकिन इसके बाद में भी जो जनता की आशायें और आकांक्षायें हैं और जिनके आधार पर यहां भारी बहुमत से कांग्रेस विजयी हुई है इस प्रकार के प्रगतिशील कानून और क्रांतिकारी कानून बनायेंगे ताकि जनता की आशायें और आकांक्षायें पूरी हो सकें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बृजेन्द्रपाल सिंह विभाजन संख्या 79.

श्री बृजेन्द्रपाल सिंह (करौली) : माननीय उपाध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया उसके लिए और जो राजस्थान में प्रगति हुई है उसके बारे में, उसमें प्रकाश डाला। इसमें तो दो राय नहीं हो सकती कि राजस्थान ने 20 वर्षों में प्रगति की है लेकिन उनके अभिभाषण से हमको समाजवाद की ओर ले जाने के लिए कोई ठोस कदम हो या प्लान हो ऐसा कोई आभास नहीं मिलता।

इस सदन में तेलशोधक कारखाने के बारे में काफी चर्चा हुई और यह एक चर्चा का विषय बना। मैं सरकार से आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि यह तेलशोधक कारखाना सवाई माधोपुर में अवश्य होना चाहिए और विशेषकर ऐसे उप-जिले में हो जो कि बहुत पिछड़ा हुआ हो और इसके लिए अगर मैं यह कहूं तो ज्यादा उपयुक्त होगा कि वह करौली में स्थापित किया जाये तो बहुत अच्छा हो।

सड़कों के बारे में मैं निवेदन करूं कि अभी मेरे से पूर्व वक्ता, जो कि झुंझनूं

Page No 62

(श्री भुवनेन्द्रपालसिंह)

से माननीय सदस्या आई हैं उन्होंने हमारे पड़ौसी राज्य हरियाणा का उदाहरण दिया और अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने यह घोषणा की है उनके सात हजार में से साढ़े तीन हजार गांवों को सड़कों से जोड़ दिया जायेगा। इस प्रकार की घोषणा हमारी सरकार करती तो हम समझ सकते थे कि हम समाजवाद की ओर जा रहे हैं। बड़े दुख के साथ निवेदन करूं कि सड़कों के बारे में सवाई माधोपुर एक नेग्लेक्टेड एरिया रहा है और वहां की जो सड़कें हैं उनकी भी हालत बहुत ही खराब है। कम से कम मैं राजस्थान सरकार से यह आशा करूं कि अगले वर्ष में जिले को जिले से जोड़ सकें, उप-जिले को जिले से जोड़ सकें और जिले को डामर की सड़क दी जा सकें तो बहुत ही अच्छा कदम होगा और इससे जनता को राहत मिलेगी।

विद्युतिकरण के बारे में अभी मेरे पूर्व वक्ता ने भी प्रकाश डाला और यह बात सही है कि विद्युतिकरण हुआ है, लेकिन इसमें पावर सप्लाइ बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड रहा है, और विशेषतौर से सवाई-माधोपुर में तो बहुत ही गम्भीर स्थिति है। वहां पर केवल 6 घन्टे पावर सप्लाई किया जाता है और उसमें भी कई बार ब्रेक डाउन होता रहता है। वोलटेज कम आता है क्यों कि ट्रान्सफार्मर्स बहुत लो कैपेसिटी के हैं। इसके बावजूद कि पावर 6 घंटे के लिये ही सप्लाई किया जाता है। कंज्यूमर्स से पूरा चार्ज लिया जाता है इस तरह की अनियमितता मेरे ख्याल में भारतवर्ष के और किसी प्रान्त में नहीं हैं। इसके लिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस तरह की दुर्व्यवस्था दूर करें। इस अनियमितता को दूर करना चाहिये और जितना पावर दिया जाये उतना ही चार्ज करना चाहिये।

लॉ एण्ड ऑर्डर के बारे में राज्यपाल महोदय ने कुछ ज्यादा प्रकाश नहीं डाला, लेकिन सवाई माधोपुर एक ऐसा जिला है जहां लॉ एण्ड ऑर्डर हमेशा ही प्रॉब्लेम रहा है। मैं पुलिस अधिकारियों के बारे में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि उनका कार्य लॉ एण्ड ऑर्डर मेनटेन करने में सराहनीय रहा है। लेकिन फिर भी ऐन्टी डेकाइटी ऑपरेशन्स के लिये जो वहां पर फोर्स है। वह अपर्याप्त है और मैं निवेदन करूंगा कि उनकी पूर्ति के लिये तुरन्त कदम उठाने चाहिये।

करौली नगर म जो इस वक्त पुलिस फोर्स है वह अपर्याप्त है और वहां पर कुछ दिनों से चोरियां का ज्यादा बोल-बाला हो रहा है जिससे जनता बहुत पीड़ित है। सरकार से मेरा इसके लिये निवेदन है कि वहां पर पुलिस फोर्स बढ़ाकर नाइट पेट्रोलिंग चालू किया जाये जिससे जनता को राहत मिल सके।

भूमि अलॉटमेंट के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मासलपुर एक सब-तहसील है, वहां पर एक सोसाइटी का गठन हुआ, लेकिन किन्हीं कारणों से उस सोसाइटी को वह जमीन वांस-वाड़ी संघ की, जो जंगलात में है और जिसका रकबा 1500 बीघा है, वह नहीं दी गई इसके कारण वहां पर जो भूमिहीन लोग हैं उनको भूमिहीन ही रहना पड़ रहा है। इसके लिये भी सरकार को निवेदन करूंगा कि जिलाधीश महोदय को

(श्री भुजेन्द्रपालसिंह):

आदेश दें ताकि वे इस भूमि के लिये तुरन्त स्वीकृति प्रदान करें।

वनों के बारे में मेरे पूर्व वक्ता ने भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया कि वनों को नष्ट किया जा रहा है। जंगली जानवरों को निर्दयता से मारा जा रहा है। इस पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना होगा कि उनके संरक्षण के लिये क्या कदम उठाने चाहियें।

अब मैं शिक्षा के बारे में थोड़ा निवेदन करूंगा। सवाई माधोपुर जिला शिक्षा के विचार से काफी पिछड़ा हुआ है। पूरे जिले भर में अगर कोई कॉलेज है तो वह करौली नगर में है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उस कॉलेज को, जिसका कि कार्यक्रम बरसों से अच्छा चल रहा है, पोस्ट ग्रेज्युएट कॉलेज किया जाये और वहां पर पोस्ट ग्रेज्युएट क्लासेज खोली जायें तो जनता को राहत मिलेगी।

इसके साथ साथ में सरकार से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर जो खानें हैं, स्टोन क्वेरीज का जो बिजनेस है, उसका भी राष्ट्रीयकरण करना चाहिये ताकि मजदूरों का जो वहां पर एक्सप्लाइटेशन होता है, वह कम हो और अधिक से अधिक मजदूरों को रोजगार मिल सके।

मैं हेल्दी क्रिटिसिज्म में विश्वास रखता हूं। मेरा इस बात में विश्वास नहीं है कि क्योंकि मैं ओपोजीशन में बैठा हूं इसलिये सरकार की आलोचना ही करूं, यह मेरा उद्देश्य नहीं है और मैं सरकार से भी यह आशा करता हूं कि जो भी माननीय सदस्य हैं, चाहे वे इस तरफ बैठने वाले हों चाहे उस तरफ, उनकी कही हुई बातों का ध्यान रखेगी और उनकी मांगों को पूरा करेगी, और सरकार कोई नेगेटिव एप्रोच लेकर नहीं चलेगी।

इतना ही कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और राज्यपाल महोदय ने जो भाषण दिया है उस पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जनार्दनसिंह गहलोत।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में कुछ कहने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब देश आजाद हुआ तथा सन् 1952 में राजस्थान में पहले प्रजातांत्रिक चुनाव हुए उस समय राजस्थान विधान सभा में जो लोग आये थे उनमें और आज में बहुत अन्तर है। आज पहली बार जो माननीय सदस्य यहां विधान सभा में पहुंचे हैं मैं उनको बधाई देना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गयी हैं। कई बातें अच्छी हैं। एक जिक्र किया विश्वविद्यालयों के बारे में। विश्वविद्यालयों के बारे में जो बात उन्होंने कही है वह यह है कि विश्वविद्यालयों में छात्रों को भी प्रतिनिधित्व दिया जावेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह बात पिछले दो साल से सुनने में आ रही है। राजस्थान के अखबार पढ़ने वाले इस बात से परिचित हैं और राजस्थान का पीड़ित नौजवान अच्छी तरह से इस बात को जानता है। हर बार जिक्र किया जाता है कि नौजवानों को प्रतिनिधित्व दिया जावेगा और जब जब जुलाई आती है आप और हम देखते हैं कि चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय हो, चाहे जोधपुर का विश्व-विद्यालय हो और चाहे उदयपुर का विश्वविद्यालय हो उनके संबंध में सारी समस्याओं को लेकर छात्र हड़ताल करते हैं और जब इस प्रकार की समस्या आ जाती है तब जाकर सरकार इस पर सोचती है। मैं इस बात का धन्यवाद देना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभि-भाषण में एक विधेयक पास करने की बात कही है। लेकिन यह एक आवश्यक प्रश्न बन गया है कि जिनको विश्वविद्या-लयों में प्रतिनिधित्व दिया जावेगा, वह प्रतिनिधित्व किस रूप में हो। यह बात अभि-भाषण में स्पष्ट नहीं होती है आखिर यह बात किस रूप से होने वाली है। इस बात का स्पष्टीकरण होना चाहिए खाली यह बात कह दी जाय और बार बार यह कह दिया जाता है तथा इसको विश्वविद्यालय भी मानते हैं। मैं इसलिए खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को स्पष्ट किया जाना चाहिए कि प्रतिनिधित्व किस रूप में दिया जाने वाला है। क्योंकि मांगों का जहां तक प्रश्न है हमेशा छात्रों की मांगें होती हैं, सरकार भी इस बात को अच्छी तरह से जानती है। हमारे शिक्षा मंत्रीजी और राजस्थान सरकार ने इन समस्याओं का अध्ययन अच्छी तरह से किया है। अच्छी तरह से वे महसूस करते हैं कि आखिर युवकों एवं विद्यार्थियों की समस्यायें क्या हैं। लेकिन समस्यायें जब सामने आती हैं तो उस समय तो ऐसा महसूस कराया जाता है कि इन समस्याओं का निपटारा शीघ्र ही होने वाला है। तो ऐसा प्रदर्शित किया जाता है कि समस्यायें निपटाई जा रही हैं लेकिन जब समय निकल जाता है तो उन समस्याओं की तरफ से ध्यान हटा लिया जाता है। नतीजा यह निकलता है कि अगला सेशन जब आता है तो फिर वही समस्यायें खड़ी हो जाती हैं। तो किन समस्याओं को किस प्रकार निपटान की बात है यह स्पष्ट होना चाहिए। यदि हम इस दूरदर्शिता के आधार पर सोच कर नहीं चले तो समस्याओं का निपटाना होने वाला नहीं है राजस्थान विश्वविद्यालय एवं अन्य विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों ने उन्हें आज एक राजनीति का अखाड़ा बना लिया है। उनका दिमाग केवल मात्र स्वयं को राजनीति में चलता है उन्हें इस बात का कोई सोच नहीं है कि विद्यार्थी स्टडी किस तरह से कर रहे हैं। उनका परीक्षाफल कैसा रहता है, इस बात की चिन्ता उन्हें नहीं है। उन्हें तो इस बात की चिन्ता रहती है कि उनकी राजनीति किस प्रकार से चलती है। विश्वविद्यालय चाहे जोधपुर का हो, चाहे उदयपुर का हो और चाहे जयपुर का हो, उनकी स्वयं की राजनीति, उनकी स्वयं की नेतागिरी किस तरह से चले इसकी दौड़धूप में वह हमेशा लगे रहते हैं। परिणामस्वरूप नतीजा यह आने

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

वाला है कि भविष्य में न तो विद्यार्थी पढ़ेंगे और न प्रोफेसर पढ़ायेंगे । इसलिए राजस्थान सरकार को, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं एवं प्रजातन्त्र के पहियों का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि आखिर यह बात कब तक चलती रहेगी। जब जब चुनाव आते हैं तो दो तीन महीने तक प्रोफेसर्स विश्वविद्यालयों को छोड़कर, अपना काम छोड़कर, चुनावों में लगे रहते हैं । विश्वविद्यालयों में राजनीति के अखाड़े बन गए हैं जहां के प्रोफसरों की हालत यह हो गई है कि अगर वे राजनैतिक मंच पर भाषण नहीं देंगे तो उनको रोटी हजम नहीं होगी । उनकी आदत ही ऐसी पड़ गई है। इस दिशा में हमको खास तौर से सोचना पड़ेगा । इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा राज्य सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि आप युवकों को प्रतिनिधित्व देने की बात तो करते हैं लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि युवक किसी पद का भूखा नहीं है, वह अपने प्रतिनिधित्व का भूखा नहीं है लेकिन आपको हमको एवं सरकार को युवकों की मनोभावना को समझना पड़ेगा कि आखिर वे चाहते क्या हैं ? पिछले दो साल पहले हमारे भूतपूर्व वित्त मंत्रीजी ने राजस्थान का यूथ बोर्ड बनाने की घोषणा की थी । मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है और यह कहते हुए शर्म आती है, लेकिन सही बात कहने में मुझे किसी प्रकार की शंका नहीं है, कि इसी राजस्थान विधान सभा में राज्यपाल महोदय के पिछले भाषणों में और बजट में जिस यूथ बोर्ड के बनाने की बात कही जाती रही है, आज के इस अभिभाषण में जिस यूथ बोर्ड के बनाने की बात का जिक्र तक नहीं किया गया है । मुझे इस बात को कहने में शर्म महसूस हो रही है और इसका मुझे दुख भी हो रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा राज्य सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि केवल मात्र अभिभाषण में यूथ बोर्ड की बात छप जाने से या राज्य सरकार के आश्वासनों से काम चलने वाला नहीं है । आज राजस्थान में यूथ बोर्ड दो साल पहले बन जाना चाहिये था । यदि किन्हीं अज्ञात कारणों से ऐसा नहीं हो पाया है तो आने वाले बजट के समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए । इस समय राजस्थान विधान सभा में जितने विधायक चुन कर आए हैं उनमें पचास प्रतिशत विधायक युवक हैं, उनकी भावनाओं को भी अगर कदर नहीं की जाती है तो उसके बाद फिर ऐसा कोई योग्य समय आने वाला नहीं है जबकि राजस्थान में यूथ बोर्ड का गठन हो। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस बात को राज्य सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार इस बारे में गंभीरता से सोचेगी।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मास्टरप्लान का जिक्र किया गया है, बड़ी 2 योजनाओं का जिक्र किया गया है । जयपुर के अन्दर जहां से मैं जीत कर आया हूं खास तौर से जहां 2 बड़ी 2 सिटीज हैं, जयपुर, कोटा, अजमेर के मास्टर प्लान के प्रारूप बन गए बताए जाते हैं । हम यह सोच रहे हैं और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि ये प्रारूप आखिर कब तक बनते रहेंगे ? क्या कभी ऐसा सौभाग्यपूर्ण दिन आने वाला है जबकि हम यह कह सकेंगे कि राजस्थान की

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

सिटीज के लिए मास्टर प्लान के प्रारूप बन कर तैयार हो चुके हैं। हम, हर विधान सभा के अधिवेशन में इस बात को सुनते आए हैं कि प्रारूप तैयार हो रहे हैं। यह मास्टर प्लान है या किसी मास्टर का प्लान है या राजस्थान सरकार का ही कोई प्लान है। हमें यदि इस बारे में कोई स्पष्ट रूप से नहीं बताया जाएगा तो कम से कम सौ साल में भी जयपुर, कोटा और अजमेर का विकास होने वाला नहीं है। इस मास्टर प्लान के मामले में जो अधिकारीगण हैं, वे मंत्री महोदय के दिमाग को गुमराह करते रहते हैं। आज मास्टर प्लान को फाइनल करने में सबसे बड़ी बाधा कृषि की जमीनें, एग्रीकल्चरल लैंड है और बड़े 2 सरकारी अधिकारियों के स्वार्थ इसमें जुड़े हुए हो सकते हैं। पोलिटिकल पार्टीज कार्यकर्ताओं के स्वार्थ जुड़े हुए हो सकते हैं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा राज्य सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आज जयपुर, कोटा और अजमेर के मास्टर प्लान की ही बात नहीं है, पूरे राजस्थान के विकास के लिए मास्टर प्लान का प्रारूप बन कर सामने आए, तभी राजस्थान का विकास हो सकता है। अतः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि मास्टर प्लान जल्दी से जल्दी स्वीकृत हो। क्योंकि आज जयपुर ही नहीं वरन राजस्थान के सभी नगरों की यू० आई० टीज० को भंग कर दिया गया है। आज हमारे सामने यह समस्या बनी हुई है कि आखिर हम किस के पास जावें। कलेक्टर महोदय को आपने चेयरमैन बना दिया है और यू० आई० टीज० को भंग कर दिया है। इस परिवर्तन के लिए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन कलेक्टर महोदय क्या काम कर पायेंगे ? कितनी बड़ी 2 जिम्मेदारियां उनके साथ जुड़ी हुई हैं। उनके पास एक साधारण नागरिक की समस्याओं को सुनने का टाईम कहां है ? आज नगर विकास न्यास के लोग इस परेशानी में हैं कि आखिर इसके लिए क्या हो ? आज यू० आई० टी० और म्युनिसिपैलिटीज की जो हालत है वह किसी से छिपी नहीं है। हम यह देखते हैं कि आदर्शनगर का जहां तक प्रश्न है जयपुर के अन्दर, जहां पर रिहेबिलिटेशन भी आता है, यू० आई० टी० भी आती है और म्युनिसिपैलिटी भी आती है। अगर किसी काम के लिए यू० आई० टी० के पास जाते हैं तो वे जबाब देते हैं कि हमारे पास साधन नहीं है। इसका पैसा तो रिहेबिलिटेशन देगा। रिहेबिलिटेशन के पास जाते हैं तो उनके पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है जो उस काम को पूरा करे। आज म्युनिसिपैलिटी के पास में सड़कों की सफाई के मामले को लेकर जाते हैं तो वे कहते हैं कि यह हमारा काम नहीं है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर चालान करने का प्रश्न आया तो म्युनिसिपैलिटी सबसे आगे जाएगी। अगर कहीं पर पैसा इकट्ठा करने का प्रश्न आएगा तो यू० आई० टी० सबसे पहले आगे आएगी। कहीं हाउस टैक्स इकट्ठा करने का प्रश्न आएगा तो म्युनिसिपैलिटी सबसे पहले आगे आएगी, लेकिन आज वहां पर नाली बनाने का प्रश्न है, जो बहुत कम खर्च में बन सकती है वह आदर्शनगर में बनने वाली नहीं है।

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

आखिर कब तक हम बरदास्त करते रहेंगे अतः उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमें इस रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेन्ट से छुटकारा दिलाया जाय, हमको, यू० आई० टी० से छुटकारा दिलाया जाय, और हमको म्युनिसिपैलिटी से छुटकारा दिलाया जाय और इसके बदले में राजस्थान सरकार कोई ऐसा संगठन बनावे जिसके दरवाजे पर जाकर हम अपनी बात रख सकें, जिनके सामने जाकर भीख मांगी जा सके, जहां पर समस्याओं का समाधान हो सके। राज्यपाल महोदय के भाषण में और चुनाव के मौके पर मास्टर प्लान और बड़ी 2 योजनाओं की बातें की गई हैं और यह कहा जाता है कि इन बड़ी 2 बस्तियों में बिजली और पानी पहुंचाए जायेंगे। लेकिन अपने भाषणों में यह बातें कब तक हम कहते रहेंगे, इन पर अमल कब होगा। जयपुर में आज से दस साल पहले श्री देवीशंकरजी तिवाड़ी, यू० आई० टी० के चेयरमेन बने थे। उनके बाद कई चेयरमेन बदल गए। बड़े 2 चेयरमेन आकर चले गए लेकिन देवीशंकरजी तिवाड़ी ने जो प्लान और स्कीम बनाई वही आज तक दस साल के अन्दर चल रही है। आज अखबारों में बड़ी 2 बातें निकलती है कि हाउसिंग बोर्ड और यू० आई०टी० के बड़े 2 प्लान हैं। आज जयपुर के ब्यूटिफिकेशन की बात कही जाती है लेकिन कोई भी ऐसा प्लान या स्कीम नहीं है जिसे यू० आई० टी० ने पूरा किया हो। इसलिए मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, तथा उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से और साफ तौर से कह देना चाहता हूं कि ये बातें एवं घोषित योजनाएं सिर्फ सफेद हाथी के समान हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज जयपुर के सात लाख आदमी इन बातों से परेशान हैं। आज जयपुर राजस्थान का दर्पण है। राजस्थान की राजधानी होने से हर आदमी आता है। हमारे सामने परेशानी पैदा होती है कि जयपुर में मुख्य मंत्रीजी रहते हैं, जयपुर में राज्यपाल महोदय रहते हैं, जयपुर में राजस्थान के सारे मंत्री रहते हैं, जयपुर में राजस्थान भर से चुनकर आये हुए विधायक रहते हैं। सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों की पूरी फौज यहां पर रहती है। उसके बावजूद इस जयपुर का यह बड़ा अभिशाप है कि इसके विकास की बात की कोई सुनने वाला नहीं है। हर कोई जयपुर के नाम पर गुंज लगाने को तयार है लेकिन कोई कार्य करने वाला नहीं है। इसलिये मैं खास तौर से कहना चाहता हूं कि इन सारी समस्याओं को अगर आप सही माने में निपटाने में सरकारी अधिकारियों को सहयोग नहीं देंगे या प्राप्त करेंगे तो राज्य सरकार इस कार्य को वर्षों पूरा नहीं कर सकेगी।

सिटीज के मास्टर प्लान के अन्दर एग्रीकल्चर लैंड के कन्वर्शन की बात भी आती है। बारबार कहा जाता है कि कन्वर्शन किया जा रहा है। इसके बारे में कानून भी बनाया बताया गया। लेकिन आज समस्या इस बात की है कि यू० आई० टी० ने पिछले काफी दिनों से किसी एक प्लाट का भी आवंटन नहीं किया है। अब गरीब आदमी जिनके पास कोई साधन नहीं है, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जिनके पास अपने मकान नहीं हैं, वे

Page No 68

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

क्या करें ? उन्होंने अपनी कोऑपरेटिव सोसायटिज बनाई और कोऑपरेटिव सोसायटिज के माध्यम से मकान बनाए तो आज उनसे पैसा मांगा जा रहा है वह इतना अधिक है कि वह कहां से लावें । उसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कन्वर्शन चार्जेज उनकी आमदनी के अनुसार हों । एक गरीब आदमी की जब पांच सौ रुपये महीने की हैसियत है तो वह कहां से इतना पैसा लाएगा एवं किस प्रकार कहां से इतना पैसा दे सकता है ? किसी पूंजीपति की जमीन अगर कोऑपरेटिव सोसायटी में हो तो उससे निश्चित तौर से ज्यादा रुपया लिया जा सकता है, लेकिन इन गरीब लोगों के पास, मध्यम क्लास के लोगों से इतना पैसा लिया जाता है तो इससे समस्या का निपटारा होने वाला नहीं है । एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूं कि जयपुर के अन्दर, खास तौर से ब्यूटिफिकेशन के लिए पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी । पिछले चार-पांच साल में उस ब्यूटिफिकेशन कमेटी की मीटिंगें कितनी बार हुई हैं यह तो सरकार के रिकार्ड में लिखा हुआ है । ब्यूटिफिकेशन कमेटी में कुछ निर्णय जरूर हुए है लेकिन उनको कार्यान्वित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं और न ही इन निर्णयों को क्रियान्वित करने हेतु किसी को जिम्मेदारी ही सौंपी गई है । ब्यूटीफिकेशन के बारे में बड़ी बड़ी चर्चाएं होती हैं लेकिन इस पर कार्य कुछ भी नहीं होगा । पी०डब्ल्यू०डी० के मिनिस्टर इसके अन्दर हैं, पी० डब्ल्यू०डी० के चीफ इन्जीनियर इसमें हैं और भी कई बड़े बड़े आफिसर इसमें हैं लेकिन आज जयपुर के दरवाजों पर, दीवारों पर, भद्दे प्रकार के पोस्टर लगे हुए आपको देखने को मिल सकते हैं कोई पर्यटक इसको देखे तो क्या वह जयपुर नगर को गुलाबी नगर कह सकता है ? इसका उत्तर तो हमारी सरकार ही दे सकती है जिस पर इस बात की जिम्मेदारी है । इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार इस बात को महसूस करे कि आज इस बात की आवश्यकता है या नहीं है ।

राज्यपाल महोदय ने आपने अभिभाषण में कई बातें कही हैं परन्तु कुछ बातें सही रूप से क्रियान्वित नहीं हो रही हैं । ये निर्णय कागजों में रह जाते हैं । मैं सरकार का उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । आज राजस्थान में कितने बोर्ड बने बोर्ड, हुए हैं ? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, आवासन बोर्ड, एग्रो इन्डस्ट्रीज बोर्ड, मिनरल डवलपमेन्ट कॉरपोरेशन, रोडवेज कॉरपोरेशन, इस तरह से करीब 15 बोर्ड बने हुए हैं ? इन बोर्डस् में परिवर्तन की आवश्यकता है । ये बोर्डस् कब से बने हुए हैं ? किस समय बने थे और कौन कौन लोग उसमें हैं ? उनके सोचने का तरीका, काम करने का तरीका और उनकी नीतियां क्या हैं, इन बातों की ओर भी हमें ध्यान देना होगा । कई सरकारी मशीनरी के लोग इसमें लगे हुए हैं । उनके सोचने का ढंग, काम करने का ढंग, हमारी प्रणाली से, रीती-नीति से मेल नहीं खाता है । अतः मेरा निवेदन है और मैं यह मांग करता हूं, कि इन बोर्डस का पुनर्गठन किया जाना चाहिए । जो आज नये लोग आये हैं, जनता ने जो अपनी भावनाएं व्यक्त की है उन भावनाओं का समावेश, उनका प्रतिनिधित्व, इन बोर्ड के अन्दर होना चाहिये । बोर्ड के अन्दर

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

ऐसे लोग हों जिनकी आस्था प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी की नीतियों से हो और जो उनके कार्यक्रम को सही ढंग से क्रियान्वित कर सके। इस दृष्टिकोण के साथ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये और तभी गरीबी मिटाने का कार्यक्रम पूरा हो सकेगा। आज रोडवेज का प्रश्न इस सदन में आ चुका है। ऐसा ही सारे बोर्ड के अन्दर हो रहा है। हम कहने को कहते हैं कि बोर्ड में मजदूरों का प्रतिनिधित्व होगा, युवकों का प्रतिनिधित्व होगा, लेकिन इस पर अमल नहीं हो रहा है। हमें इनमें ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व देना चाहिये जो समाजवादी विचारधारा रखते हों। ऐसी स्थिति में इन सारे बोर्ड का पुनर्गठन नहीं होता है तो सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन होना मुश्किल है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं खास तौर से एक बात की ओर सरकार का ध्यान आपके माध्यम से दिलाना चाहता हूं। आज राजस्थान का मंत्रिमण्डल बन चुका है, उसके विभागों का बंटवारा हो चुका है। राजस्थान विधान सभा भवन जनता का भवन है। यहां पर अपोजिशन की मेजोरिटी कम आई है और जनता की यह भावना है कि अब राजस्थान सरकार पर अंकुश नहीं रहेगा। परन्तु हम सब जो यहां पर आये हैं वे जनता की बात को सरकार के पास पहुंचाने आये हैं और यह बात हम राजस्थान विधान सभा के माध्यम से सरकार तक पहुंचायेंगे। मेरा सुझाव है कि विधान सभा के सदस्यों की एक एक कमेटी विभागवार बनायी जाये। वित्त विभाग की अलग हो, मेडिकल डिपार्टमेन्ट की अलग से हों। सदन के माननीय सदस्यों की स्टेंडिंग कमेटी बने। जैसे कि पार्लियामेन्ट में बनी हुई है। जब पार्लियामेन्ट में बनी हुई है तो हम विधान सभा के अन्दर क्यों नहीं बना सकते हैं? इस तरह से जो माननीय सदस्य इस सदन के अन्दर आये हैं उनको भी अपनी राय देने का मौका मिलेगा और राजस्थान की जनता भी यह महसूस कर सकेगी कि उनकी बात सरकार तक उचित माध्यम से पहुंच रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। अभिभाषण में ग्रामीण पेयजल की बात कही गई है। पानी की समस्या हल करने के लिये वर्ष 71-72 के अन्दर केवल मात्र 75 योजनाएं ली गई और वर्ष 72-73 के लिये 90 योजनाएं हाथ में लिए जाने का प्रस्ताव है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि केवल 90 योजनाएं मात्र से राजस्थान के सारे गांवों के अन्दर पानी की समस्या हल नहीं हो सकती है। वह कौनसी शताब्दी आयेगी जिसके अन्दर घर घर पानी पहुंच सकेगा? कम से कम राजस्थान की सरकार इस बात का अन्दाज लगाये, आज राजस्थान किस किनारे पर खड़ा है, उसका स्तर किस सीमा तक नीचे उतरता जा रहा है। यह देखने की बात है। हरियाणा, हमारे बराबर का पड़ौसी है। वहां पर जो काम हुआ है उसका नतीजा देश के सामने आया है। वहां पर काम करने वाली मशीनरी है वह हमारे यहां पर भी है। फिर क्या बात है कि हम कोई एचीवमेन्ट नहीं कर पा रहे हैं। आज आवश्यकता है हमारी कमी को, कमजोरी को पकड़ने की। हमारे यहां टेन्डर मंगाये जाते हैं और दो

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

साल बाद उनको खोला जाता है। जब हमारे यहां पर काम करने का यह तरीका है और यदि वह गलत है। इसको बदला जाना चाहिये। राजस्थान सरकार को इस सब पर गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है। बोर्डों के अन्दर कैसे काम हो रहा है। उन्होंने जो कार्यक्रम लिया है और जो योजनाएं वह हाथ में ले रहा है उससे तो लगता है कि ये योजनाएं चलने वाली नहीं है। आज प्रत्येक गांव को बिजली, पानी और सड़क देने की बात हम करते हैं, जो कि कम से कम है और बहुत आवश्यक है। सड़क के बिना हम चल सकते हैं परन्तु पानी के बिना नहीं रह सकते। 90 पेय जल योजनाओं से राजस्थान के ग्रामीणों को पीने का पानी नहीं मिल सकता है। आप चाहते हैं कि सही मायने में बिजली पहुंचाने की आवश्यकता है, पानी पहुंचाने की आवश्यकता है, तो इन सारी योजनाओं को गम्भीरता से लेने की आवश्यकता है। आज जनता की, नागरिकों की पहली आवश्यकता है रोटी की, पानी की और रहने के लिये मकान की। कम से कम समाजवाद की परिभाषा इससे अलग और कुछ नहीं हो सकती। अलग अलग रूप से समाजवाद की परिभाषा बड़े बड़े नेता करते हैं। लेकिन समाजवाद के अन्दर में तो इतनी सी बात समझता हूं कि रहने को मकान हो, पहनने के लिये कपड़ा हो और खाने के लिये नागरिकों को रोटी मिल जाये। इस सारी बात की व्यवस्था यदि होती है तो ही मैं इसे समाजवादी व्यवस्था मान सकता हूं। बाकी की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है और इन सारी बातों को सरकार समय के अन्दर करे यह मेरी ही नहीं सम्पूर्ण सदन एवं राजस्थान के जन जन की मांग है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरे को अभी काफी कुछ कहना है। माननीय सदस्य वृद्धिचंद जी जो शायद अब बोलने वाले हैं इसलिए इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूं कि राज्यपाल महोदय ने कृपा पूर्वक इस सदन में आकर जो अभिभाषण दिया है, और उसके लिये माननीय सदस्य श्री हीरालाल जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, अपनी भावनाओं को इस संदर्भ में व्यक्त करते हुए मैं इस धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धि चंद जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को मैंने गौर से पढ़ा है और श्री हीरालाल जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करते हुए मैं अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

पहले मैं राजस्थान की जनता को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता जिन्होंने कि कांग्रेस को भारी रूप से सफल बनाने के लिये कांग्रेस के सदस्यों को इतनी संख्या में जीता कर भेजा है। इससे कांग्रेस और कांग्रेस सरकार की बड़ी जिम्मेदारी हो गई है राजस्थान प्रान्त के निर्माण की। राजस्थान प्रान्त पिछड़ा हुआ प्रान्त है। उसकी बड़ी समस्याएं हैं परन्तु इन समस्याओं के होते हुए भी हमें इस प्रान्त का निर्माण

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

करना है और यह प्रान्त सीमावर्ती प्रान्त है इसलिये इस प्रान्त के लिये निर्माण करना है, ऐसा निर्माण करना जिससे कि प्रान्त बहुत ही सशक्त हो। कभी भी पाकिस्तान हमला करे तो राजस्थान प्रान्त अपने बहादुर सिपाहियों से पाकिस्तानियों का अच्छी तरह मुकाबला कर सके।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह पढ़ा है कि यह गवर्नमेन्ट समाजवाद लाने के लिये वचनवद्ध है। परन्तु समाजवाद लाने के लिये बड़ी कठिन मेहनत की आवश्यकता होती है। समाजवाद के लिये यह आवश्यक है, जरूरी है कि पहले जो मन्त्रिमण्डल बना था और अब जो मन्त्रिमण्डल बना है उसमें कुछ परिवर्तन हो। मन्त्रि मण्डल में ऐसे सदस्य हों जो समाजवाद के विचारों के हों। ऐसे सदस्य हों जो अपने जीवन में समाजवाद को मानने वाले हों। समाजवाद के बारे में सभी बात करते हैं परन्तु अपने जीवन के अन्दर समाजवाद को कौन अपनाता है, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर यह गवर्नमेन्ट समाजवाद को लाना चाहती है और यह कांग्रेस गवर्नमेन्ट समाजवाद लाने के लिये कृत संकल्प है तो हमारी नेता इन्दिरा गांधी जो चाहती है, जो नीतियां वे अपनाती हैं उसका हमारे यहां पर अमल हो। राजस्थान प्रान्त का जो मन्त्रिमण्डल बने वह बहुत ही ईमानदार व्यक्तियों का हो समाजवादी विचारों के लोगों का हो। सब से पहले यह आवश्यक है। हम सब एम० एल० ए० देख रहे हैं, विरोधी पार्टी के सदस्य देख रहे हैं, जनता भी देख रही है कि यह जो मन्त्रिमण्डल बन रहा है वह किस प्रकार से बन रहा है और अभी जो मंत्रिमंडल का एक्स्पान्शन किया जा रहा है या किया जायेगा, वह किस प्रकार से किया जायेगा? इसके लिए हमारी राजस्थान गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर बरकतुल्ला खां हैं उनके ऊपर बड़ी भारी जिम्मेवारी है। उनको यह देखना है कि आनेस्ट और इन्टेलेक्चुअल्स और समाजवाद की नीति को जो मानते हैं उनको मंत्रिमण्डल में लेना है। उनके ऊपर बहुत दबाव आ सकते हैं, लेकिन उन दबावों का वे ध्यान नहीं रखें। कोई भी किसी प्रकार का एम०एल०ए० दबाव डाले उसको न मानें। कांग्रेस मन्त्रिमण्डल भंग नहीं हो सकता है। इसलिए कोई भी किसी प्रकार का दबाव डाले उनके दबाव में उनको नहीं आना है, और समाजवादी ढंग का मंत्रिमण्डल बनाना है। अगर वह समाजवादी ढंग का मन्त्रिमण्डल बनाते हैं, उस मंत्रि-मण्डल में ईमानदार और योग्य व्यक्तियों का चयन करते हैं तो एक रास्ता प्रशस्त होता है आगे बढ़ने का।

दूसरा प्रश्न यह है कि जो मंत्रिमण्डल का अच्छा चयन होता है, उसके बाद में यह कार्य आता है कि हम इस प्रांत की गरीबी को किस प्रकार से मिटायें, हम समाजवाद को किस प्रकार लायें? इसके लिए अगर हमने सिन्सियरली प्रयास किया, हमने इसके लिए कदम उठाया, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कदम उठाया प्रिविपर्स के बारे में कान्स्टीट्यूशन में एमेंडमेंट बिल लाकर एक्ट बनाया, उससे जनता में विश्वास हुआ, उसी प्रकार से

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

राजस्थान गवर्नमेंट ने अगर कोई कदम उठाया जो प्रगतिशील कदम हुआ तो जनता में विश्वास हो जायगा। पहले जो कदम उठाया गया था भूमि-सुधार के बारे में, सीलिंग के बारे में जो कदम उठाया, वह प्रगतिशील कदम नहीं था। सीलिंग का कानून 1958 के अन्दर बना और 60 से फोर्स में आया और 60 के बाद 63 में नियम बने, 64 के अन्दर फिर लागू करने की कोशिश की, 66 में लागू करने की कोशिश की, और कानून की इस प्रकार शक्ल हुई 70-71 के अन्दर कि जितने भी ट्रान्सफर्स गैरकानूनी किये गये उन सबको रेग्युलेराइज किया गया और इस प्रकार से कानून बनाकर सर्वनाश कर दिया। इस कानून को प्रगतिशील न बनाने में हमारे कांग्रेस के साथियों का भी हाथ था और उन्होंने इस प्रकार की नीतियां अपनाई जिससे जो प्रगतिशील कदम उठाना चाहते थे वह प्रगतिशील कदम नहीं उठा सके, और उसका नतीजा यह हुआ कि जो फीगर्स दिये गये हैं 58½ हजार एकड़ सीलिंग के अन्दर जमीन प्राप्त हुई वह बहुत ही कम है। साढे 58 हजार में से साढे आठ हजार एकड़ जमीन जो है वह भूमिहीन किसानों में वितरित कर दी। यह प्रगतिशील कदम नहीं है।

अब शहरी सम्पति का प्रश्न आता है। हमारे मावली से आने वाले सदस्य ने जो विचार प्रकट कर रहे थे, और जो चिन्ता व्यक्त कर रहे थे मैं भी यही चिन्ता व्यक्त कर रहा हूं कि कानून अगर शहरी सम्पति के बारे में बनाना है तो देरी क्यों करते हैं? तुरन्त बना दें। अगर आप प्रगतिशील कदम उठाना चाहते हैं तो एक महीने के अन्दर अन्दर कानून बना दें और कानून को फोर्स में लाइये और कानून में इस प्रकार का प्रोवीजन हो कि जिन्होंने ट्रांसफर्स ऑफ प्रापर्टी कर ली है 3-4 सालों में जब से कि इसकी बात चल रही है तो उन ट्रान्सफर्स को मान्यता मत दो। उसमें आप यह प्रोविजन कर सकते हैं ताकि इस प्रकार का शहरी संपत्ति का कानून जो बनाने जा रहे हैं उसकी उस प्रकार से दुर्गति न हो जैसी कि भूमि-सुधार के बारे में सीलिंग कानून की दुर्गति हुई। इसलिए जो शहरी सम्पति के बारे में कदम उठाना हैं, उसको जल्दी से जल्दी उठायें। आप कह सकते हैं कि दूसरी स्टेट्स में कानून नहीं बना है और यह युनिफार्म पालिसी होना चाहिए सारे आल इंडिया की, तो मैं यह कहूंगा कि यह युनिफार्म पालिसी में कोई रुकावट नहीं डालता है अगर आप इस प्रकार का कानून बनायेंगे तो। दूसरी स्टेट्स भी आपका अनुकरण करेगी कि इस प्रकार का प्रगतिशील कदम उठाया गया है दूसरी स्टेट्स तो क्या, अगर सेन्ट्रल गवर्नमेंट आपका अनुकरण करेगी तो आपका कदम सराहनीय रहेगा। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वह इसी बजट सेशन के अन्दर अन्दर शहरी सम्पत्ति की सीमा का कानून जल्दी से जल्दी बनायें और बनाकर उसको क्रियान्वयन करने की कोशिश करें।

अब मेरे जिले की खास तौर से जो समस्या है वह अकाल की है और दूसरे जिलों में भी अकाल की समस्या है। बारबार मैं कहता हूं कि अकाल की समस्या के लिए जब तक आप स्थाई हल नहीं निकालेंगे तब तक यह समस्या हमेशा बनी

(श्री वृद्धिचंद जैन)

रहेगी और इस अकाल के लिए हमने 10-15 साल में 175 करोड़ रुपये खर्च कर दिये, परन्तु उसका कोई खास हल नहीं निकला। इतने वर्षों में आपने अकाल के हल के लिए स्थाई योजना नहीं बनाई। कांग्रेस गवर्नमेंट बहुमत में है और इन्दिरा गांधी की नीतियों का पालन करने जा रहे हैं; समाजवाद को अपनाने जा रहे हैं तो इन क्षेत्रों में जो भयंकर अकाल पड़ता है, तो उसके स्थाई हल के लिए अभी ठोस योजना बनायें। अभी जो योजनाएं हैं और जो दो करोड़ रुपया प्रत्येक जिले में दिया जा रहा है और इस तरह की रूरल वर्क्स स्कीमें हैं तो दो करोड़ से उन स्कीम्स में कोई काम होने वाला नहीं है। उनसे कोई अकाल का स्थाई हल होने वाला नहीं है, और जो स्कीम्स दो करोड़ की हैं उनमें अवश्य ही सड़कों के बारे में कुछ कदम उठाये गये हैं। सड़कों का कुछ निर्माण हुआ है, लेकिन रूरल वर्क्स की जितनी भी स्कीम्स बनी हैं अभी तक वे स्कीम्स सेंकशन नहीं हुई हैं। जो स्कीम्स 71-72 में की जानी चाहिए थीं वे अभी तक सेंक्शन नहीं हुई, और 10 लाख से ऊपर की जो स्कीम्स हैं वह अभी तक केन्द्रीय सरकार के पास में सेंक्शन के लिए नहीं भेजी जा रही हैं। इस प्रकार से जो स्कीम्स बनाई जाती है जैसे रूरल वर्क्स के अन्दर जो स्कीम्स के बारे में जिक्र किया गया है उसी प्रकार से क्रेश प्रोग्राम के बारे में जो स्कीम्स बनीं उनमें एक हजार लोगों को रोजगार देना है प्रत्येक जिले में, और वे स्कीम्स हमारे अधिकारी नहीं बना सके हैं, और उस क्रेश प्रोग्राम के अन्दर अभी तक कोई कार्य किसी जिले में नहीं हुआ। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस सरकार को यह चाहिए, मंत्रीमंडल को यह चाहिए कि इसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारीगण है और जो देरी से कार्य कर रहे हैं, जो रेड टेपिज्म चला रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए। और क्रेश प्रोग्राम की स्कीम्स जल्दी से जल्दी क्रियान्वित करना चाहिए।

अब मैं फेमीन के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे राजस्थान प्रान्त में 4½ हजार गांवों में फेमीन है और बाड़मेर जिले के 858 गांवों में से 350 गांवों में अकाल है, परन्तु इस साल कोई अकाल राहत कार्य नहीं खोले गये हैं। क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत कुछ लोगों को मजदूरी दे दी जायगी। क्रेश प्रोग्राम के अन्दर कोई योजना नहीं बनाई है। उनको अगर आप देखें तो 1000 से ज्यादा व्यक्तियों को आप मजदूरी नहीं दे सकते हैं। आपने रूरल वर्क्स के अन्तर्गत स्कीम्स सेंक्शन नहीं की है। अगर उसके अन्तर्गत भी लोगों को मजदूरी पर लगायेंगे तो भी एक हजार से ज्यादा लोगों को मजदूरी पर नहीं लगा सकते। तो रूरल वर्क्स के अन्तर्गत जो स्कीम्स हैं, क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत जो स्कीम्स हैं, उनमें दो हजार से ज्यादा लोगों को नहीं लगा सकते। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) और हमारे क्षेत्र में बाड़मेर जिले की आबादी 8 लाख की है जिसमें से 3 लाख लोग अकाल से प्रभावित हैं। आप क्रेश प्रोग्राम और रूरल वर्क के जरिये से मजदूरी देकर उनको संकट से निकालना चाहते हैं। यह आप निकाल नहीं सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से कोशिश कर आर्थिक सहायता प्राप्त कर और जल्दी से जल्दी अकाल राहत कार्य खोलें। नहीं तो क्या होगा ? विरोधी पार्टियां फायदा उठायेंगी, हड़ताल करेंगी, लोगों में प्रचार करेंगी कि पहले तो मदद दी गई लेकिन अब मदद नहीं दी जा रही है। उस समय विवश होकर अकाल राहत देनी पड़ेगी। इसलिये गवर्नमेन्ट जल्दी से जल्दी अकाल राहत कार्य खोलें। दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि हमारे बाड़मेर जिले में कोई नदी नहीं आती है। एक नर्वदा नहर आने की योजना थी। परन्तु जो खोसला कमेटी बनी उसकी रिकमेण्डेशन यह हुई कि बाड़मेर में नर्वदा नदी की नहर आनी चाहिए। परन्तु जब यह ट्रिब्यूनल में गया तो वहां यह कहा गया कि जहां नर्वदा नदी नहीं निकलती है वहां यह पानी नहीं पहुंचाया जा सकता है। इसलिए उस ट्रिब्यूनल के फैसले के अनुसार बाड़मेर और जालोर जिले में नर्वदा नदी का पानी नहीं पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए आप कानून में परिवर्तन करें। और, अगर कान्सटीट्यूशन में परिवर्तन करने की जरूरत हो तो वह भी करें। तभी यह नर्वदा नदी का पानी बाड़मेर और जालोर जिले में आ सकता है। इसके लिए राज्य सरकार को कोशिश करनी चाहिए। राज्य सरकार ने खोसला कमेटी में अपना केस रिप्रेजेन्ट किया था। परन्तु जब यह कोशिश पूरी नहीं हुई तो सरकार को जो इन्टर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स एक्ट है उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता पर बल देना चाहिये। किसी प्रान्त में नदियां बहती हैं, और एक दूसरे प्रान्त में वह नहीं हैं तो जो दूसरा प्रान्त है, वह कभी विकसित नहीं हो सकता है यह उचित नहीं है। इसलिए यह पब्लिक इन्टरेस्ट में आवश्यक है। इसके लिए जो रद्दोबदल करना है, वह करके, नर्वदा का पानी हमारे क्षेत्र में आना चाहिए।

दूसरे में करप्शन के बारे में निवेदन करूंगा। यह बहुत ही व्याप्त है। पहले एन्टी करप्शन के दफ्तर डिस्ट्रिक्ट में रखे जाते थे। अब जोधपुर में जाना पड़ता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसमें जो लोग होते हैं, वह क्या करते हैं यह बात अलग है लेकिन किसी ऐसे रैंक का ऑफीसर होना चाहिए जो कि कुछ बड़े अधिकारियों को भी पकड़ सके। अगर कोई रेड हैण्डेड रेड करना हो तो वह भी कर सके। इसलिए हर डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी एस० पी० के रैंक का ऑफीसर रखना चाहिए ताकी कोई अधिकारी भी करप्शन करे तो वह उनको भी पकड़ सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और यह कहता हूं कि अपने राष्ट्र को बहुत मजबूत बनाना है। हमने युद्ध के समय में पाकिस्तान का जिस प्रकार से मुकाबला किया है, उसी प्रकार से निर्माण भी करें। निर्माण में सफलता लाकर गरीबी को दूर करें। तभी हम उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री भानुकुमार शास्त्री।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल

(श्री भानुकुमार शास्त्री) महोदय के अभिभाषण पर मैं अपनी सहमति देने में असमर्थ हूं। कारण यह है कि उन्होंने जिन जिन उपलब्धियों और विचारों का उल्लेख किया है, उनमें कई चीजों के साथ मेरी असहमति है। जैसे कि उन्होंने बताया कि चुनाव फेयर हो गये, शान्तिपूर्ण ढंग से हो गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आज की जो यह चुनाव प्रणाली है, आज यह बात सही है कि सत्तावारी दल बहुमत में चुनकर आया है। मैं यहां दो तीन दिन से यह सुन रहा हूं कि यह जीत इन्दिरा गान्धी की जीत है, इन्दिरा गान्धी की नीतियों की जीत है यदि मैं यह कहूं कि पार्टी यदि एक व्यक्ति के आधार पर जीत कर आती है और वह एक व्यक्ति के आधार पर रहे तो यह अधिनायकवाद नहीं तो और क्या है ? यह क्यों नहीं कहते हैं ? ये जो जितने व्यक्ति बैठे हैं ये इन्दिरा गान्धी के ही विविध रूप हैं हम विरोधी दल के नाते पैसों के लिए चन्दा करना पड़ता है लेकिन इनके पास पैसा कहां से आता है। अपार राशि आती है। पूंजीपतियों से नोट लेकर, सेठों से नोट लेकर ये लोग गरीबों से वोट लेते हैं। फिर यह कहते हैं कि इन्दिरा की जीत है यह इन्दिरा की जीत नहीं है यह नोटों की जीत है यह समाज वाद की नीतियों की जीत नहीं है। यह पूंजीपतियों की जीत है, मैं चाहता हूं कि पार्टियां चन्दा करें लेकिन उस चन्दे का हिसाब किताब रखें उसे पब्लिक में डिस्क्लोज करें ताकि पता चले कि किसने क्या दिया है ?

एक माननीय सदस्य : दुकान नहीं लूटते हैं ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : मुझे मालूम है जे० के० सिन्थेटिक्स के यार्न पर कर लगाया था। वह पैसा वसूल नहीं करने दिया गया है। शेरसिंह से वह विभाग छीन लिया गया है। टैक्स नहीं लगाया गया है। दूसरे यह चुनाव प्रणाली में जो काउण्टर फाइल पर हस्ताक्षर किये जाते हैं इसका मैं विरोध करता हूं। इस बारे में बड़ा भ्रामक प्रचार किया गया है। गांव में यह प्रचार किया गया कि इससे यह पता लग जायेगा कि आप ने किस को वोट दिया है। इस प्रचार के कारण अनेक व्यक्ति निष्पक्षता से अपना मतदान नहीं कर सके हैं।

दूसरा आज मुझे यह कहते हुए संकोच नहीं होता है कि कुछ महीनों पहले दिल्ली के अन्दर चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस हुई थी। मैं यह जानना चाहूंगा कि गन्ने का भाव आज भी वही है। लेकिन यह चीनी का भाव कैसे बढ़ गया। चीनी का 3 रुपये से 5 रुपये तक का भाव है इसका क्या कारण है ? यह चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस की रिपोर्ट में दर्ज है। आज चीनी मिल मालिकों ने 200/300 करोड़ रुपया कमाया है। यह स्वाभाविक है। आप ने, सुना है कि उन्हीं से पैसा लेकर चुनाव लड़ा है। आज आप भाषण में कुछ भी कहें आपने अपने घोषणा पत्र में 5 लाख की सीलिंग रखी है 3 लाख का मकान रखा है। कल से लागू करिये, जल्दी से जल्दी लागू करिये सीलिंग। सीलिंग क्या है ? गरीब को रहने के लिए मकान नहीं मिलता है, उन मकानों का, अर्बन प्रापर्टी का सीलिंग करने के लिए पांच लाख तक जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक बात और

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

कहना चाहूंगा, बेरोजगारी दूर करने की बात कही गई है । लेकिन बेरोजगार कितने हैं ? बेरोजगार कौन हैं ? बेरोजगार किसको कहते हैं ? बेरोजगार की क्या परिभाषा है ? यह आज तक तय नहीं है। पहली पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना में आंकड़े देते गये, जब चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप लिखने बैठे तब कहने लगे कि हमारी तीन पंचवर्षीय योजना म दी गई गरीब की डेफीनेशन दोषपूर्ण है, इसलिए वापिस विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए । क्या दो सौ रुपये कमाने वाला गरीब है ? क्या जिसके पास मकान नहीं है वह गरीब है ? जिसके पास धन्धा नहीं है वह गरीब है ? जिसके पास आलीशान मकान है वह गरीब है ? कौन गरीब है—यह आज तक तय नहीं कर पाये हैं कि गरीब कौन है । गरीबी भाषणों से दूर नहीं होगी । गरीबी थोथे नारों से दूर नहीं होगी । समाजवाद के नारे लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी । गरीबी दूर होगी उत्पादन बढ़ाने से । उत्पादन कैसे बढ़ेगा ? उत्पादन बढ़ेगा जब सब लोगों को काम मिलेगा । सब लोगों को काम मिले, भारत के प्रत्येक सक्षम व्यक्ति, जो काम कर सकता है, को काम मिले। ऐसी संवैधानिक आश्वस्ती प्रत्येक नागरिक को दे पायेंगे ? यही भारतीय जनसंघ कहता है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है । आपको गरीबी दूर करनी है तो जब तक सका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया जाता है तब तक नहीं हो सकती है । ऐसी स्थिति में यह कहना कि बेकारी दूर हो जायगी, ऐसा है जो हो नहीं सकता है । आज एक सौ पैंतालीस चुन कर आये हैं, फिर भी अभिभाषण में संख्या लिख कर नहीं बताई है कि राजस्थान में गरीब कितने हैं, ऐसी संख्या अंकित नहीं की गई है । मैं समझता हूं, ऐसा हमारे सामने स्पष्ट उल्लेख किया जाता है तो समाजवाद कहलाता । मुझे आश्चर्य होता है, जो टैक्सेशन यहां हैं, वह संसार के किस देश में इतना टैक्सेशन है । इतना टैक्सेशन कहीं लागू नहीं होगा जो भारत में है, भारत में पच्चीस हजार करोड़ का टैक्स लग चुका है। टैक्सेशन की हवा में, मैं समझता हूं, कांग्रेस को दीपक से शत्रुता हो सकती है, लेकिन चिमनी पर जाकर क्यों नजर टिकी। उस पर टैक्स इसलिए लगा कि उसम तेल जलता है। वह तेल नहीं, घासलेट है जो गरीब अपने घर को रोशन करने के लिए प्रयोग करता है। यह क्या डिस्पैरिटी को मिटाने का रास्ता है ?

राष्ट्रीयकरण का जहां तक सम्बन्ध है, मुझे मालूम है, जिस क्षेत्र से म आया हूं, वहां सारी बसें चलती हैं वह राष्ट्रीयकरण के नाम पर प्राईवेट लोगों के द्वारा चलती हैं। क्यों चलती हैं ? इसलिए कि चुनाव के अन्दर, चुनाव के अवसर पर थैलियां निकाल कर सामने रख देते हैं । यदि आपको राष्ट्रीयकरण करना है तो आप उदयपुर में करिये । इसके साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर में पावर हाउस है वह एक प्राईवेट व्यक्ति भण्डारी कम्पनी चलाता है । उसका राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं करते हैं ? क्यों नहीं उसे देते उदयपुर नगर परिषद् को। नगर परिषद् कांग्रेस की है, वहां काग्रस का प्रेसिडेंट है, कांग्रेस का बहुमत है । आपको यह बेसिक सिद्धान्त तय करना चाहिए पावर हाउस चलाना है

Page No 77

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

तो प्राइवेट कम्पनी उसको क्यों चलाये ? लेकिन ऐसी नीतियां अपनाई जाती हैं और प्राइवेट कम्पनी को पावर हाउस दिया जाता है।

आज बंगला देश के बारे में विचार व्यक्त किये गये। बंगला देश की जीत हमारी जीत है, राजस्थान सीमा पर जो हमारी लड़ाई हुई उस लड़ाई में राजस्थान सरकार और सेना का तालमेल बठा। हमारे दल के नेता ने यह बात कह दी थी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, 1965 के अन्दर भारत-पाक युद्ध सड़कों के अभाव में जीता गया था, अब छोर के अन्दर, मुझे आश्चर्य होता है, राजस्थान सरकार जो बहुमत से चुन कर आई है, पानी की, रोटी की व्यवस्था नहीं कर सकी। हवाई जहाज से पानी के गिलास, प्लास्टिक के गिलास, फेंक करके फेंके गये, जो जवानों को मिले हैं। हवाई जहाज से रोटी और पानी दिया गया। यह व्यवस्था राजस्थान सरकार कर देती तो जो जवानों के मन में ज्वाला थी, उससे तिरंगा झण्डा छोर तक ही नहीं, छोर को पार करने की वह कोशिश करते और हैदराबाद सिन्ध तक वह झण्डा लहराता। मैं उस क्षेत्र में होकर आया हूं। मैं यह सोच कर गया था कि हम हैदराबाद तक पहुंच जायेंगे तो उस समय मैं चित्र ले जाकर दिखाऊंगा कि कितना अच्छा शहर है।

इसके साथ साथ राजस्थान के अन्दर एक विशेष समस्या पैदा हुई है। वह यह है कि इस लड़ाई के पहले भारत-पाक विभाजन हुआ था उस समय जो हमारा कमीशन बैठा था, उसने यह तय कर दिया था कि जिस प्रान्त के अन्दर जिसका बहुमत है वह अपनी इच्छा के अनुसार उस डोमिनियन में मिल जायेगा–भारत में या पाकिस्तान में। लेकिन दुर्भाग्य से सिलहट में यह प्रावधान किया गया कि जिले के हिसाब से बहुमत तय करके निर्धारित कर सकते हैं कि किसमें मिलें। थरपारकर को निर्णय का अधिकार नहीं दिया गया जब कि सिन्ध की असेम्बली को दिया गया, इसलिए थरपारकर में बहुमत हिन्दुओं का होते हुए भी वह पाकिस्तान में चला गया। जब से भारत-पाक विभाजन हुआ तब से थरपारकर की जनता पीड़ित थी। उस अवस्था में जब जब ऐसे अवसर आते हैं, जब परिस्थितियां ऐसी होती हैं, तो वहां के रहने वाले नागरिक हैं, जिनके घर के कुछ व्यक्तियों को जीविका उपार्जन के लिए पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में जाना पड़ता है, और उनके परिवार के लोग थरपारकर में रहते हैं, वह सीमा के पास रहते हैं, इसलिए जब लड़ाई होती है तो आधे वहां रह जाते हैं और आधे यहां रह जाते हैं। कुछ परिवारों के मुझे आंकड़े प्राप्त हुए हैं, फरवरी, 1971 में बाड़मेर में पचास आये, जैसलमेर में 43 आये। 23-2-70 से 2-11-70 तक 1,284 परिवार आ चुके हैं। उनको शिव और चौहटन तहसील, बाड़मेर में बसाया जायेगा–इस प्रकार की योजना थी। मुझे पता लगा कि सरकार ने यह निर्णय किया है कि उनको यहां नहीं बसाया जाय और भारत की नागरिकता नहीं दी जाय। मुझे कहना है, यह शरणार्थी, जो यहां आये हैं, जो भारत के अधिकृत पाक क्षेत्र में रह रहे हैं, वहां रहने के कारण जो सम्पत्ति, औद्योगिक संस्थान और

Page No 78

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

प्रतिष्ठान, और भूमि-जो तीस करोड़ के आस-पास आंकी गई है, उसको वहां पर छोड़कर यहां आये हैं। वह आर्थिक संकट के काल में शरणार्थी बन कर आये हैं, उनको रिहेबिलिटेट करने की समस्या आई है। अभी जब भारत-पाक युद्ध हुआ, उस वक्त यह समझे कि हमारे इन लोगों ने, जो हमारे भाई हैं, जो भारत-पाक अधिकृत क्षेत्र में विद्यमान हैं, उन्होंने हमारी सेना को महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो जो सेना को जिताने में महत्वपूर्ण योगदान दे, उनको रिहेबिलिटेट करने की व्यवस्था नहीं हो, उनके पास करेन्सी नहीं हो और उनको भोजन प्राप्त करने में भी बाधा पड़े और उन परिवारों को ऐसी व्यवस्था में वहां छोड़ दें तो मैं समझता हूं, यह उचित नहीं होगा। हमारे सुरक्षा मंत्री ने कहा था कि हिन्दुस्तान-पाकिस्तान लड़ाई के अन्दर जो भूमि सेना ने जीती है वह वापिस नहीं लौटायेंगे। यही विश्वास हमारी सेना ने, सेना के नौजवानों ने अपने सामन रखा होगा और आपने देखा होगा कि वह अपनी जान की बाजी लगा कर जीतती हुई आगे बढ़ गई। कई माताओं की गोद सूनी हो गई, कई बेघरबार हो गये, कई बच्चे पितृ छाया से वंचित हो गये–एसी परिस्थितियों में उन लोगों की एक मांग है कि वह कुछ और नहीं मांगते हैं, केवल यह मांगते हैं कि जिस भूमि को खून से जीता है, जिस भूमि को खून से लिया है उस भूमि को कम से कम पाकिस्तान को न दिया जाय। इस प्रकार की आश्वस्ती मिल जाती है तो उनका मनोबल ऊंचा होगा। वह सरकार देने में असमर्थ है, दे नहीं रही है। इन्दिरा गांधी, भारत की प्रधान मंत्री इस प्रकार का अपने भाषण में उल्लेख किया करती हैं कि हम पाक की एक इंच भूमि का टुकड़ा भी अपने हाथ में नहीं रखना चाहते हैं। प्रश्न यह है कि नहीं रखना चाहते हैं तो इन लोगों का क्या होगा? अगर इन लोगों को पाकिस्तान के भरोसे छोड़ दिया गया, भुट्टो के हाथ में सौंप दिया तो उनकी क्या दशा होगी–इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। उनका वही होगा जो ईस्ट बंगाल में, पूर्वी बंगाल में लोगों के साथ नृशंसता हुई थी। वहां बच्चों को बन्दूकों की नोक पर उछाल कर मार दिया गया। इसलिए वहां रहने वाले दो लाख व्यक्तियों को उनके भाग्य पर नहीं छोड़ा जा सकता। भारत सरकार के सामने यह सदन अपना मत अभिव्यक्त करे कि इन शरणार्थियों को रिहेबिलिटेट करे, उनको करेंसी दे, इस प्रकार उनको बसाने की सारी व्यवस्थायें करे।

मैं अधिक इस पर कहना नहीं चाहता, न मैं चाहता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय, घण्टी बजायें जिससे मेरे विचारों के प्रवाह में बाधा पड़े और क्योंकि मेरे समय की सीमा समाप्त हो चुकी है इसलिए इन शब्दों के साथ मैं गवर्नर के अभिभाषण का विरोध करते हुए, क्योंकि इन बातों का उसमें उल्लेख नहीं है, मैं अपना भाषण यहीं समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कामरेड रामानन्द अग्रवाल !

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्षजी, इस बार राज्यपाल महोदय का अभिभाषण ऐसे अवसर पर हो रहा है जिसको मैं मानता हूं कि राजस्थान

Page No 79

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(म० प० 3.31 बजे)

(श्री मानकुमार शास्त्री, सभापति, पदासीन)

की राजनीति को राजस्थान की जनता ने नये मोड़ पर लाकर खड़ा किया है सभापतिजी, राजस्थान में देश के अन्य प्रांतों की भांति और भी पहले चार चुनाव हुए हैं विधान सभाओं के। 1967 तक देश में राजनीति की एक दिशा चली जिसके फलस्वरूप हमारे देश में एक आर्थिक संकट, एक राजनैतिक संकट के रूप में प्रगट हुआ जिसके कारण नीतियों के प्रश्न पर सारा देश दो हिस्सों में बंटा। प्रश्न यह उपस्थित हुआ देश के सामने, जब देश में चारों ओर महंगाई से, बेरोजगारी से और अन्य समस्याओं से जनता असंतुष्ट हुई, बड़े बड़े आंदोलन चले, देश के 1967 के चुनावों म राजनैतिक परिणाम कांग्रस के विरोध में कई प्रांतों में निकले तो जो यूनाइटेड कांग्रेस थी, उसके सामने भी और सारे देश के सामने भी यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि य पुराने तरीके, पुरानी नीतियां, जिनके जरिए हम देश में प्रशासन चलाते आए हैं, इसमें एक ठहराव आ गया है, एक क्राइसिज पैदा हो गई है इसमें अब आगे किस दिशा में बढ़ा जाए, ताकि देश में प्रगति हो सके और इस कारण कांग्रेस जैसी संस्था में नीतियों का द्वंद्व हुआ। एक वह लोग थे जो इस बात का समर्थन कर रहे थे कि निहित स्वार्थों को संरक्षण दिया जाए, स्टेट्स को मेन्टेन किया जाय और शासन में अपनी सत्ता कायम करने में दक्षिणपंथी शक्तियों का सहयोग लिया जाए। दूसरा पक्ष यह मानता था कि ये पुरानी नीतियां, यह स्टेटस को नीतियां, यह निहित स्वार्थों को संरक्षण देने की नीतियां, आज इस क्राइसिज के कारण हैं और इसलिए स्टेट्स को नीति से, इस निहित स्वार्थों को संरक्षण देने की नीति से, डिपार्चर करना पड़ेगा। देश की जो प्रगतिशाली शक्तियां हैं, वामपंथी शक्तियां हैं, उनसे मेल करके देश को आगे बढ़ाना पड़ेगा।

यह पुराने इतिहास की बात नहीं है देश में इस प्रश्न पर गंभीरता से जब विचार हो रहा था तो राष्ट्रपति के चुनाव में वह संघर्ष, एक ठोस रूप में, एक कान्क्रीट रूप में, सामने आया और जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो श्री गिरि जो एक निर्दलीय उम्मीदवार थे, कांग्रेस के ऑफीशीयल कैंडीडेट के खिलाफ खड़े थे, देश की तमाम पार्टियां, देश की तमाम जनता दोनों पक्ष—एक जो प्रतीक था प्रगति का, स्टेट्स को तोड़कर देश को आगे ले जाने की नीतियों के समर्थन का एक प्रतीक था जो कि वामपंथी पक्ष और देश में स्टेट्स को तोड़कर चलने वाली शक्तियों को एकताबद्ध करने का और दूसरी तरफ संजी रेड्डी, कांग्रेस के ऑफीशियल उम्मीदवार, जो प्रतीक माना गया निहित स्वार्थों का, दक्षिणपंथी शक्तियों का। यह शुरूआत हुई देश के अंदर ध्रुवीकरण की, एक समान विचारों के लोगों का अलग अलग बटने का और उस संघर्ष में विजय हुई श्री गिरि की, नीतियों के रूप में विजय हुई इस बात की। जो बदलाव चाहते थे स्टेटस को आगे बढ़ाना चाहते थे, वामपंथी शक्तियों से मिलकर आगे बढ़ना चाहते थे और हार हुई नीतियां की जो स्टेट्स मेन्टेन करना चाहते थे और देश के

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

निहित स्वार्थों की रक्षा करना चाहते थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह चुनाव जो अभी हुए हैं, यह उसी शुरूआत के क्रम में जो श्री गिरि के चुनाव में हमारे देश में ध्रुवीकरण नीति की शुरूआत हुई उसी मंजिल में, उसी सफ़र में, बहुत महत्वपूर्ण कदम इस चुनाव में हुआ है। जो देश के अन्दर डिबेट था, बहुत बड़ा विवाद था। पार्टियां कितनी भी हैं, पार्टियां मुख्तलफ मतभेद छोटे छोटे रखते हुए भी हमारे देश में कई पार्टियां हैं आल इंडिया लेविल पर भी। लेकिन मोटे तौर पर विभाजन हमारे देश में दो कैंपों में था। एक कैम्प वह जो यह मानता है कि हमारा देश जो पिछड़ा हुआ देश है, सदियों की गुलामी के बाद जिसने आजादी प्राप्त की है, उसे हम दूसरे देशों के मकाबले में अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं, एक माडर्न नेशन बनाना चाहते हैं और एक सामाजिक न्याय व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं। उन लोगों की मान्यता है कि देश का समाजवाद के आधार पर इस प्रकार निर्माण किया जा सकता है, उनकी यह मान्यता है कि इस समाज में जो निहित स्वार्थ हैं, उनको ऐबालिश करके उन पर अंकुश लगाकर, समाजवादी तरीके से हम इस प्रकार से देश का निर्माण कर सकते हैं। इसके मुकाबले में दूसरी विचारधारा है जो समाजवाद को दुरुस्त नहीं समझती, जो समाजवाद को टोटलीटेरियनज्म समझती है, जो समाजवाद को अधार्मिक समझती है और समाजवाद को अन्डेमोक्रेटिक समझती है और वह यह मानती है कि नहीं, इस तरीके से नहीं, केपीटलिस्ट सिस्टम से, उस पुराने फ्री ट्रेड सिस्टम से, इस तरीके से हर आदमी को, समाज के हर अंग को खुला छोड़ दें, अपने तौर तरीके से, अपने आप एडजस्ट हो जायेंगे फ्री इकोनोमी से, उसको डेमोक्रेसी कहकर वे लोग यह चाहते थे कि इस रास्ते को बदला नहीं जाए। ये दो कैम्प्स हमारे देश में बने हैं, इसमें एक तरफ कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवाद को चाहने वाले और लोग भी हैं जो इस कैम्प को मानने वाले हैं तथा समाजवाद की दिशा पर चलने वाले हैं। दूसरी तरफ स्वतंत्र पार्टी, भारतीय जनसंघ और सिंडीकेट–इस प्रकार के लोग जो असंगठित होंगे, जो किसी पार्टी के भी नहीं होंगे, वे इन नीतियों के परिचालक हैं। यह जो विभाजन देश का हुआ, हमारी मान्यता है, इन चुनावों में जो देश का विवाद था, राजस्थान ने इस चुनाव में इस विवाद पर अपना निर्णय दिया है। राजस्थान में जो जीत हुई है, किन्हीं व्यक्तियों की जीत नहीं, किसी परटीक्यूलर व्यक्ति की जीत नहीं, बल्कि इस देश के अंदर इस सिद्धांत की जीत हुई है कि देश की आम जनता परिवर्तन चाहती है और वह परिवर्तन समाजवाद की ओर चाहती है। यह निर्णय इस बात का हुआ कि इस देश के अन्दर समाज व्यवस्था सेक्युलर आधार पर होनी चाहिये या धर्म के आधार पर। जो लोग टू नेशन थ्योरी में विश्वास रखने वाले हैं या जो लोग हिन्दू राष्ट्र की बात करने वाले हैं, उन लोगों को हमारे इलेक्टोरेट ने रिजेक्ट किया है।

इसके साथ साथ इन चुनावों में यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण था कि हमारी विदेश नीति किस प्रकार की हो। भारत और पाक

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

के इस युद्ध के अन्दर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का नक्शा हमारे देश की जनता को देखने को मिला, उनको इस बात का अनुभव करने का मौका मिला कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। दोस्त और दुश्मन को पहचानने का मौका हमारे देश की जनता को मिला। तो इन चुनावों में यह भी प्रश्न था कि आया हमारी सरकार ने जो नीति अपनाई है, जो दोस्ती समझौता सोवियत यूनियन के साथ बीस साल की संधि का किया है, वह नीति सही है या गलत, अथवा उस नीति को मजबूत किया जाये या नहीं। कुछ लोग कहा करते थे कि सोवियत रूस से मिल कर इन्दिरा गांधी देश को टोटली टेरियनिज्म की ओर लेजाना चाहती है, और उस नीति को कमजोर करना चाहिये और वापिस अमेरिका से अपने सम्बन्ध कायम करने चाहिये।

तो मैं समझता हूं कि इन चुनावों में यह महत्वपूर्ण तीन मुद्दे थे, यह, तीन बड़े सवाल थे, यह तीन बातें थीं जो विवादास्पद थीं। जनता के सामने मेन इश्यु था फॉरेन पॉलिसी का, कि हम समाजवादी देशों के साथ दोस्ती कायम करें या नहीं, जो दोस्ती की संधि सोवियत रूस के साथ की गई, वह सही हुई या गलत, अथवा उसको मजबूत किया जाये या वापिस लिया जाये। दूसरा प्रश्न यह था कि हम देश के अन्दर अर्थ व्यवस्था को बदल कर, अर्थ व्यवस्था में परिवर्तन करें और समाजवाद की तरफ देश को ले जावें अथवा स्टेट्स को कायम रखें। और तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न था कि हम समाज व्यवस्था को सेक्युलरिज्म के आधार पर कायम करें और धर्म निरपेक्षता के आधार पर कायम करें या संकुचित आधार पर, हिन्दू राष्ट्र के (नेरो) स्लोगन पर करें। मैं समझता हूं कि इन चुनावों में जनता का जो वर्डिक्ट है, वह वर्डिक्ट क्लीयर है इन तीनों प्रश्नों पर। और जो थोड़ी सी संख्या में हमारे जनसंघ पार्टी और स्वतन्त्र पार्टी के भाई यहां आये हैं वे जनता के इस वर्डिक्ट का, इस मानस का प्रतीक हैं। जनता ने उनकी राजनीति को रिजेक्ट किया है और वह न केवल राजस्थान में किया है बल्कि हिन्दुस्तान की पूरी राजनीति में किया है।

इतनी ही नहीं, सभापति महोदय, मैं यह भी मानता हूं कि हिन्दुस्तान की जनता ने इस बात को पसन्द किया है कि जो तमाम डेमोक्रेटिक फोर्सेज जो समाजवाद चाहते हैं, जो समाजवाद के लिए कटिबद्ध हैं, वे इकट्ठे हों और उनका इकट्ठा होना जनता ने पसन्द किया है। अभी हमारे जनसंघ के नेता ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच जो चुनाव समझौता हुआ, उस पर कुछ छींटाकशी की। उनकी व्यथा को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जो वह कल्पना करते थे सरकार बनाने की, शायद पोर्टफोलियोज भी बांट दिये थे आपस में, उस कल्पना में उनको निराशा मिली है। इस समझौते को कोसना उनका एक बहुत ही यथार्थवाद का रुख था, वास्तविकता का रुख था। क्योंकि इस समझौते से पहले डेमोक्रेटिक फोर्सेज, प्रोग्रेसिव फोर्सेज, जो कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टीज में थे, उनके अलग अलग होने से, उनका लाभ दक्षिणपन्थी पार्टीज उठाती थीं और उनको चुनाव में लाभ मिलता था। लेकिन अब इस समझौते के बाद उनको यह लाभ नहीं मिला। इसलिये जनसंघ के नेता ने इस प्रकार से सर्कास्टिक

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

शब्दों में इस समझौते को संज्ञा दी कि मुझे आश्चर्य हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने जो यह चुनाव समझौता किया तो यह क्या कोई बहुत बुरी बात की ? ऐसा लगा उनके नेता के कथन से कि चुनाव समझौता करना कोई बहुत बुरी बात है, चुनाव समझौता नहीं करना चाहिये। और सभापति महोदय, जो चुनाव समझौता हुआ और उसके रिजल्ट बाहर आये तो लोगों को मालूम हुआ कि कांग्रेस का और कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठबन्धन हुआ वह ठीक था। क्योंकि इस प्रकार के जो प्रगतिशील नीतियों की विचारधारा की जो पार्टियां होती हैं, उनमें तो गठबन्धन हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं है, और उसके रिजल्ट भी हमेशा आम जनता को राहत देने वाले होंगे और आगे चलने वाले भी होंगे। परन्तु यह बात समझ में मुश्किल से आयेगी कि जनसंघ और स्वतन्त्र पार्टी जिनका पिछले चुनाव में गठबन्धन हुआ, और भी राजनैतिक दलों का गठबन्धन होकर कांग्रेस के खिलाफ, कम्युनिस्टों के खिलाफ एक चौगुटा बना, वह लोकसभा के मध्यावधि चुनावों में बिलकुल असफल रहा और आज इस चुनाव में कांग्रेस का और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठबन्धन हुआ, कुछ नीतियों के आधार पर उसमें जनता ने उसे पसन्द किया। और आज उस समझौते के आधार पर इस जयपुर से जो पहले जनसंघ वाले आते थे, स्वतन्त्र पार्टी वाले आते थे, वो अबकी बार इस समझौते के होने से नहीं आ सके। इसलिये मैं समझता हूं दूसरी पार्टियां वा जो कि साम्प्रदायिक हैं, जो कि विकसित नहीं हैं, वे क्रिटिसाइज करती हैं, उनका करना भी जरूरी है क्योंकि उन्हें बुरी तरह से शिकस्त खानी पड़ी है, न कि सिर्फ राजस्थान में ही बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में। सभापति महोदय, मैं बहुत ही अदब से अर्ज करना चाहता हूं, कि आज उन पार्टियों को पूछो जो कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी की आलोचना करते हैं, उनकी क्रिटिसाज्म करते हैं, उनके गठबन्धन का क्रिटिसिज्म करते हैं, पर अपनी नीतियों की खामियों को नहीं देखते हैं, यह जानते हुए कि मिडटर्मपोल में चौगुटे की नीतियों को जनता ने पसन्द नहीं किया। उसके गठबन्धन को पसन्द नहीं किया इसका कारण है क्योंकि आज जनता क्रान्ति चाहती है, जनता आगे बढ़ना चाहती है, वो उन पार्टियों को नहीं चाहती जो बैकवर्ड हैं या केपिटलिज्म की पिट्ठू हैं। आज जनता समाजवाद को चाहती है, इसलिये उसने दूसरी पार्टीज को रिजेक्ट किया। जनता आज समाजवाद के विकल्प को चाहती है इसलिये सभापति महोदय, उसने दूसरी पार्टीज के गठबन्धन को रिजेक्ट किया और जो लोग यह सोचते थे कि कांग्रेस पार्टी की और कम्युनिस्टों को जनता का समर्थन नहीं मिलेगा वो धोखा खा गये। और कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के गठबन्धन से आज 80 प्रतिशत जनता ने, राजस्थान में, इस हाउस में 80 प्रतिशत सीटों पर आज प्रगतिशील पार्टीज के सदस्य बैठे हुए हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शायद आप भी उधर बैठे हुए महसूस

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

करेंगे कि जनता ने इस समझौते को पसन्द किया और आपने जो गठबन्धन किया था उसे नापसन्द किया। इसका मतलब यह हुआ कि गठबन्धन सिर्फ प्रगतिशील पार्टीज में ही हो सकता है क्योंकि उनमें कुछ न कुछ समानता होती है, आगे बढ़ने की, समाज को ऊंचा उठाने की, हो सकती है उनकी दोनों की नीतियों में थोड़ा फर्क हो, वह डिग्रीज में हो सकता है, परन्तु कई बड़े महत्वपूर्ण सवालों पर दोनों की नीतियों में एकता है। समाजवाद को हासिल करने के लिये, आम जनता को राहत देने के लिये, व गरीबी हटाने के लिये, काफी एकता हो सकती है। और जो भी मतभेद हैं नीतियों में, जैसा कि मैंने कहा कि डिग्रीज का है, और हो सकता है, धीरे धीरे वह कम होता जायेगा। आज इन्हीं प्रगतिशील नीतियों के कारण हमारे भारतवर्ष का दूसरे समाजवादी देशों से समझौता हुआ, एक सन्धि हुई, उससे हमें फायदा मिला, हमारे और कांग्रेस में समझौता हुआ, वह प्रगतिशील पार्टीज की नीतियों को लेकर हुआ। उसमें तीन नीतियां खास थीं। तीन मेन इश्यूज थे जिन्हें लेकर किया गया। एक तो हमारे देश की फोरिन पोलिसी जो कि समाजवाद की ओर बढ़ रही है, समाजवादी देशों से दोस्ती की जाय और की गयी। दूसरे देश में समाजवाद को कायम किया जाय। स्टेटस में चेन्ज जो कि समाजवाद की तरफ ले जाये देश को। इसके अलावा देश म समाजवादी कार्यक्रम को लेकर जनता का स्तर ऊपर उठाया जाय। देश का निर्माण किया जाय। य तीन इश्यूज थे। यही मेन इश्यूज थे। चूंकि ये तीनों इश्यूज कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टीज के समान थ आज कांग्रस की आईडोलोजी समाजवाद लाने की है, कम्युनिस्ट पार्टी समाजवाद में विश्वास करती है। अब रहा कि यह समाजवाद किस प्रकार लाया जाय उसके रास्तों में थोड़ा फर्क हो सकता है। समाजवाद का निर्माण देश में कैसे हो उसके क्रियान्वित करने में थोड़ा मतभेद हो सकता है, आउटलुक के किस्म में फर्क हो सकता है, परन्तु समाजवाद लाना है देश में क्रान्ति की जरूरत है इसलिये तीन मेन इश्यूज पर हम प्रगतिशील पार्टी वाले एक हुए थे, प्रतिक्रियावादी और साम्प्रदायिक पार्टीज के खिलाफ और हम यह समझते हैं कि राजस्थान में इन चुनावों ने हम एक मोड़ पर ला दिया है। पहले यहां जो मोनोपोली केपिटल के प्रतिनिधि एवं सामन्तवाद के प्रतिनिधि के रूप में स्वतन्त्र पार्टी के लोग थे वे मुख्य विरोधी दल के रूप में खड़े होकर यहां यही कहते थे यहां कि जनता के नाम पर कहते थ कि समाजवाद का रास्ता गलत है।

कांग्रेस के भी पुरानी रिजीम के लोग इस रास्ते पर हिम्मत के साथ चलने में झिझकते थे। आगे बढ़ने से कतराते थे। स्वतन्त्र पार्टी के लोगों से समझौता करते थ। उनको कन्सेशन देते थे।

आज जनता ने अपना अन्तिम वर्डिक्ट दे दिया है और राजस्थान जो प्रगतिशील शक्तियों के दुश्मनों का गढ़ रहा, राजस्थान की जनता को समाजवाद की तरफ बढ़ने से रोकने वाले दुश्मनों का केन्द्र था वे दुश्मन नीतियां और विरोधी नीतियां अल्टीमेटली और फाइनल रूप में आज राजस्थान में भी ध्वस्त की जा चुकी हैं और आज इस बात की खुशी है कि इस सदन में यह कहने वाले कि समाजवाद का रास्ता गलत है, पूंजीवाद का रास्ता ही ठीक है, कहने

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

वाले नहीं रहे । सीलिंग कायम करना गलत है यह कहने वाले नहीं रहे । राजाओं का राज कायम रहेगा, प्रीवीपर्सेज और उनके अधिकार बने रहेंगे यह कहने वाले नहीं रहे । सामन्तवाद का वह अन्तिम दुर्ग अन्तिम रूप से ढहा दिया गया है ।

मुझे खुशी इस बात की है कि इन भाईयों ने समय को देखकर जनता के इस निर्णय को मान लिया है और स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ के लोग इन नीतियों के प्रश्न पर जिस तरह का विरोध करते आये हैं, उनकी पार्टी के नेता के यहां इस बार नहीं होते हुए भी, गत सदन में जिस तरह का रुख वे लेते रहे हैं उसमें परिवर्तन आया है और अब ऐसा लगता है कि जनता के वर्डिक्ट को मानकर आज वह भी यह बहस कर रहे हैं कि समाजवाद का स्थान और समाजवाद का नारा तो सही है पर किस प्रकार यह कितना किस रूप में आवेगा इस पर बहस करना चाहते हैं ।

सभापति महोदय, इससे ऐसा स्पष्ट आभास हो गया है कि इस मुख्य और महत्वपूर्ण प्रश्न का तो निर्णय हो गया है कि हमें कौनसा रास्ता अपनाना है, किधर जाना है । इस रास्ते का पता नहीं था पहले । चौराहे पर खड़े थे। आगे बढ़ने से घबराते थे वह रास्ता तो समाजवाद का ही हो सकता है यह तो अन्तिम रूप से तय हो गया है इन चुनावों के जरिये से । अब जो प्रश्न हमारे सामने इस जनता के वर्डिक्ट से उभर कर आया है वह है अब हमें कितने समय में कितनी जल्दी समाजवाद को सही मानों में लागू करें, गरीबी अमीरी के अन्तर को किस तरह से समाप्त करें, बेरोजगारी की समस्या का किस तरह से कितना जल्दी निराकरण हम करें इसका गुरुत्तर भार हमारे पर आ पड़ा है । कांग्रेस पर और हम लोगों पर भी यह बड़ी जिम्मेदारी आई है । खास तौर से हमारे कांग्रेसी मित्र और हम लोग जिन्होंने मिलकर चुनाव लड़े हैं उन पर कि इस तरफ हम किस तेजी से मजबूती के साथ कदम आगे बढ़ावें ।

इस दृष्टि से मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को देखना पसन्द करूंगा। सरकार की नीतियों को इस दृष्टि से परखना चाहता हूं। जहां तक हम में साम्यता है मैं अपनी पार्टी की तरफ से सरकार को और मेरे कांग्रेसी साथियों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इलेक्टोरेट ने मेन्डेट दिया है गरीबी हटाने का, ऊंच नीच के भेद को खतम करने का, अमीर गरीब को समान स्तर पर लाने का, निहित स्वार्थों को समाप्त करने का, भ्रष्टाचार समाप्त करने का, अच्छा प्रशासन देने का और किसान मजदूर को खुशहाल बनाने का और इस सबके लिये समाजवाद के रास्ते पर आगे बढ़ने का, इस ओर सरकार जो भी कदम उठावेगी उसके इस दिशा में उठाये गये हर कदम का, तहेदिल से, मजबूती से समर्थन किया जावेगा, साथ दिया जावेगा। यहां भी दिया जावेगा सदन में और बाहर भी दिया जावेगा इम्पलीमेन्टेशन करने में जो भी सहायता सरकार चाहेगी वह दी जाएगी। कन्धे से कन्धा मिलाकर हम चलेंगे इस दिशा की ओर और इस ओर बढ़ने में जो भी रोड़ा बनकर सामने आवेगा उसे ठोकर मारकर, गिरा कर, कुचल कर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आगे बढ़ने में कांग्रेस का हम बराबर साथ देंगे।

पर अगर इस दिशा में बढ़ते समय सरकार कोई गलती करेगी, तमाम वादों को–जो जनता के साथ किये गये हैं, उनको किसी भी रूप में, किसी भी समय, किसी भी कदम उठाते समय, भुलाकर निहित स्वार्थ वालों से समझौता करने का प्रयत्न अगर किया जायेगा और उस हालत में भी सरकार अगर यह चाहेगी हम उनकी गलतियों को न कहें और वे हमारी गलतियां को न कहें, हमारा ऐसा कोई समझौता नहीं है। इस तरह करना न वे चाहते हैं न हम चाहते हैं। इसलिये अगर सरकार ने जनता के हित में गलत काम किया, गलत कदम उठाया, तो हम उस कदम का भी उसी तरह से डट कर विरोध करेंगे जिस तरह से आज तक हम करते आये हैं। इसके लिये हमें अगर आन्दोलन भी करना पड़ा तो करेंगे, सदन में भी और बाहर भी। कांग्रेस की प्रगतिशील शक्ति के साथ मिलकर जिस तरह से लाल और तिरंगा झंडा साथ साथ चला है उसी तरह से जनता के हित में मजदूर और किसानों के हित में लाल झंडा और तिरंगा झंडा साथ मिलकर समाजवाद की नीतियों को पूरा करने के लिये आगे बढ़ेंगे और आन्दोलन में भी उतरेंगे।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस दृष्टि से जब मैं इस अभिभाषण को देखता हूं तो मुझे कोई उत्साह नहीं हुआ बल्कि निराशा ही हाथ लगी है। सारा का सारा यह अभिभाषण अच्छी इच्छाओं को जरूर व्यक्त करता है पर इसे ठोस रूप में क्रियान्वित करने और इसके लिये टाइम फिक्स्ड प्रोग्राम कहीं मुझे नजर नहीं आ रहा है इसमें उसका संकेत कहीं नहीं है। आज मैं साफ कहना चाहता हूं सभापति महोदय, कि आज देश में ऐसा वातावरण बन चुका है और कोई आदमी यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि समाजवाद बुरा है।

हम कम्युनिस्टों ने वे दिन भी देखे हैं कि जब लोग कहा करते थे कि समाजवाद तो एक भूत है यह एक तरह का टोटेलिटेरियेलिज्म है। ये तो एक तरह के राक्षस होते हैं। होटलों में खाना खिलावेंगे। बहन भाई की शादियां करावेंगे, धर्म कर्म को सबको समाप्त कर देंगे। और सभापति महोदय, हमने इस प्रकार का वातावरण भी देखा है इसके विरुद्ध संघर्ष भी किया है लेकिन आज इतिहास में समाजवाद की वास्तविकता को प्रतिष्ठापित कर दिया है। देश की जनता ने इसे समझ लिया है और उसको पसन्द किया है उसको पकड़ा है इसलिये जो समाजवाद के कट्टर विरोधी रहे हैं, जिनके निहित स्वार्थ हैं, जो समाज की छाती पर बैठे हुए हैं, उसे उठने नहीं दे रहे हैं, शासक वर्ग हैं उनकी भी हिम्मत नहीं कि खुले और सीधे तौर से समाजवाद का विरोध कर सकें। इसलिए इन तत्वों से अब और भी अधिक सम्भल कर चलने की आवश्यकता है। यह तबका चुप नहीं बैठेगा। काम के अपने तरीके बदलेगा, विरोध के तरीके बदलेगा। भीतर घुसकर हम पर वार करेगा। कहेगा कि अभी पूरा वक्त नहीं आया है, इसके लिये थोड़ी प्रतीक्षा और करनी चाहिये, इस तरफ थोड़ा धीरे धीरे चलना

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

चाहिये, अभी जनता का मानस पूरा नहीं बना है। यह कहकर ये विरोध में आयेंगे। आपने देखा पार्लियामेंट में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। राजाओं का प्रिवी-पर्स गया। इस पर जनसंघ के नेता ने यह कह कर तो विरोध नहीं किया कि ऐसा नहीं होना चाहिये, नेशनेलाइजेशन बैंकों का खराब है या राजाओं का प्रिवी-पर्स खतम करना ठीक नहीं है। परन्तु यह कह कर विरोध करने से भी नहीं चूके कि हम तो इसके तरीके के खिलाफ हैं जिस तरीके से इनको समाप्त किया जा रहा है या नेशनेलाइजेशन किया जा रहा है। तरीके और मौके की आड़ लेकर विरोध करने लगे। इससे स्पष्ट है कि उनकी आन्तरिक नीतियां तो इनके खिलाफ थी पर ऊपर से जनता में दिखावा यह करने की कोशिश होगी कि हम इन प्रगतिशील नीतियों के पक्ष म हैं। विरोध में नहीं हैं।

तो मैं बताना चाहता हूं कि आज जो समाजदवाद के सिपाही हैं, सैनिक हैं, उनको बहुत सम्भल कर चलना है। इन निहित स्वार्थ वाले वर्गों से सावधान होकर चलना है और यह स्पष्ट तौर से समझकर चलना है कि वास्तव में समाजवाद का कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। इस रूप में मैं निवेदन करूंगा कि केवल यह घोषणा मात्र करना कि हम यह चाहते हैं, वह चाहते हैं, यही सब तो काफी नहीं होगा। ठोस कदम उठाने होंगे। टाइम फिक्सड् प्रोग्राम की जरूरत है। यह उसी प्रकार की पुरानी वेग बातों को कहना है इसलिये समाजवादी लोगों को टाइम बान्ड प्रोग्राम तय कराना होगा। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम कम्युनिस्ट लोग यह भी मानते हैं कि आज के इकोनोमिक स्टेज में राजस्थान और हिन्दुस्तान में इमीजियेटली समाजवाद की प्री मेच्योर स्टेज है और इसलिये हम समाजवाद की बात इमीजियेटली नहीं कहते हैं। हम कहते हैं यह स्टेज प्री-समाजवाद स्टेज है इसलिये चार बातों को इमीजियेटली करने की जरूरत है–पहली बात साम्राज्यवाद के जो अवशेष हमारी इकोनामी में हैं, कल्चर में हैं, एज्यूकेशन में है, उस साम्राज्यवाद के अवशेषों को खतम कर दीजिये। नं० 2 जो भी सामन्तवाद के अवशेष आपकी न्याय व्यवस्था में है उसको समाप्त कर दीजिये। नं० 3 जो मोनोपोली केपीटल आपकी नीतियों के कारण पनपा है, जो एकाधिकार मिला है, जिसने जकड़बन्दी हमारी इकोनोमी में की है, इसको तोड़ दीजिये। मोनोपोली तहस-नहस कर दीजिये। चौथी बात जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेट-अप है, चाहे वह ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे इलेक्टेड बाड़ी के रूप म हो पंचायत समितियां हो, जिला परिषद हो, म्युनिसिपैलिटीज हों, इनको रियल रूप से डेमोक्रेटाइज कर दीजिये ताकि जनता अपना स्वयं का शासन महसूस कर सके। ये चार काम जरूरी है जो सोसलिज्म से पहले आपको करने होंगे। केवल सोसलिज्म की बात करते हैं। जरासा एक रूट नेशनलाइज कर दिया और लोग समझने लगे नेशनलाईजेशन हो गया, बैंकों का थोड़ा राष्ट्रीयकरण कर दिया और समझ लिया कि नेशनलाइजेशन हो गया। मुझे डर है हम समाजवाद को समझते भी है या नहीं। हर बात को साईन्टिफिक तरीके

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

से पहुंचाना होगा। इन चार तरीकों के काम राजस्थान में करने होंगे। उसी समय हम समाजवाद की भूमि तैयार कर सकेंगे। मुझे अफसोस है हमारे मुख्य मंत्री जी यहां नहीं हैं। उन्होंने जो टीम बनाई है, जो केबिनेट बनाई है। जरूरत इस बात की है कि किसी नाव को चलाने वाला, किसी शिप को चलाने वाला उसमें होना चाहिये, वह मजबूत होना चाहिये दृढ़ होना चाहिये। इस रूप में सभापति महोदय, मुझे कहते हुये खेद होता है यह मंत्रि-मण्डल जो गठित किया गया है वह मुख्य मंत्रीजी ने जिस टैस्ट केस को रखा है कि ऐसे लोग जिनकी आस्था समाजवाद में हो और जो लोग बे-दाग हों—इन दोनों टेस्टों में आपका मंत्रिमण्डल 25 परसेन्ट से ज्यादा नम्बर हासिल नहीं कर सकता है क्योंकि आपके मंत्रिमण्डल में वे लोग बैठे हुये हैं, पब्लिकली कहा है जो लोग इस राजस्थान के अन्दर सिन्डीकेट के नेता थे, जो अन्तरात्मा के आधार पर वोट देने वालों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की बातें करते थे और जो लोग षडयन्त्र रचते रहे और आज भी जिस आउटलुक के हिसाब से यथार्थवादी हैं, वे उनको संरक्षण देने वाले हैं और आज भी एन्टी कम्युनिस्ट हैं, ऐसे लोग आपकी इस केबिनेट में उच्च पदों पर बैठे हुये हैं। मैं समझता हूं उनको यह बात समझ में नहीं आ सकती है। इस प्रकार के व्यक्तियों को रखकर क्या उस नई नीति का निर्माण करेंगे जिसकी जनता उम्मीद करती है ? जिस जमीन का मसला हल करेंगे वह उम्मीद करते हैं, सीलिंग को लागू करेंगे मजबूती से ? अगर आप मंत्रिमण्डल में लैण्डलार्ड के रिप्रजन-टेटिव को रखते हैं—हर वक्त सीलिंग के खिलाफ बी०के०डी० में रह कर हर मिनिट, हर वक्त सीलिंग की मुखालफत करते थे। कोटा महाराजा ने जमीन बेच दी आज उनके रिप्रेजेन्टेटिव जो मंत्रिमण्डल में बैठे हैं यह उम्मीद करते हैं कि सीलिंग को मजबूती से लागू करेंगे ? जिन लोगों के खिलाफ यह आवाज है और जो पी० एस० सी० के चेयरमेन रह चुके हैं और अब मंत्रिमण्डल में आये हैं वे बे-दाग नहीं आये हैं ? ट्रान्सफर आफ लैण्ड बे-तरीके से करवाये गये। उन लोगों को मंत्रिमण्डल में रखे जो खुद मुरब्बेदार हों। अकेले गंगानगर जिले में सीलिंग से ज्यादा लैन्ड, करीब ढाई लाख एकड़ जमीन है। एक बड़े लैन्डलार्ड को आप यहां रखें, आपकी दोस्ती हो सकती है दोस्ती के नाते आप उनको शादी में ले जायें, दौरे में जायें तो साथ में ले जाय, ताश-चौपड़ में साथ-साथ बैठें जायें वह तो समझ में आ सकता है लेकिन मंत्रिमण्डल में जहां ढाई करोड़ जनता का ताल्लुक है, जो आपकी जनता का मेन्डेट लेकर आये हैं, अगर इस प्रकार की नीति चलाई गई तो मैं कहना चाहूंगा आपकी समझ, आपकी छांट, आपके इन्डीव्युअल जजमेंट पर सन्देह होने लगेगा। उन लोगों को आप मंत्रिमण्डल में रखते हैं जो लोग चेयरमैन रह चुके हैं एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन के और उस कारपोरेशन को सम्भाल नहीं सके। तमाम वर्कर्स को निकाल दिया। अपनी जाति के लोगों से भर दिया। ट्रैक्टरों की ब्लेक-मार्केटिंग करते हैं और एक ट्रैक्टर में तो इतना शोर यहां मच गया उनको मंत्रिमण्डल में रखकर इस प्रकार की उम्मीद करें, यह कभी हो सकता है? क्या वे लोग इस प्रकार का शासन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

दे सकेंगे, जिस प्रकार की जनता उम्मीद करती है ? नये लोगों को, नई चेतना वालों को और बे-दाग लोगों को मन्त्रिमण्डल में लेना चाहिये था। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी को उनका प्रिरोगेटिव है, उनको अधिकार है, अपने मन्त्रिमण्डल को चयन करने का। आपके पास 145 सदस्य हैं, बहुत से नये नये नौजवान हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो संघर्ष करते रहे हैं, नई नीतियों को अपनाने के लिये जिनका ब्राड फीलिंग है उनमें से आपको सिलेक्शन करना चाहिये था। मुझे खुशी है आपने सोसलिज्म फोरम से, कहा यदि हम गलती पर जाय तो खुद कांग्रेसजनों को हमें खींचना चाहिये। आज हमारी यह कोशिश है और हम यह कहना चाहते हैं आप जो गलती पर जा रहे हैं, हम सुधारने के लिये मजबूत करना चाहते हैं। आपके ऊपर नाजायज दबाव डालकर फैसला करवाना चाहते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपमें कमजोरी है या आपमें कमजोरी आ जाती है। पब्लिक के प्रति हमारी जिम्मेदारी होने के नाते उस गलती को दुरुस्त करना होगा। राजस्थान की प्रोग्रेसिव ओपीनियन को इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसे आपको चेन्ज करना होगा। आपको ऐसी टीम बनानी होगी जिसमें वास्तव में जनता का विश्वास हो, जनता की आस्था हो और जो बे-दाग हों, जिनका कमिटमेंट केवल आप ही नहीं जानते वरन जनता भी जानती है। केवल प्रशासन से नहीं उनकी अपनी स्वयं की जिन्दगी से जनता जानती है और आज राजस्थान की जनता यह महसूस करती थी। कि स्वच्छ और ईमानदार प्रशासन आयेगा और जनता का भविष्य उनके हाथों में जायेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज जिन लोगों के हाथों में भविष्य है, जो दिशा चार्टेड है उस तरफ बढ़ेंगे।

अब मैं कुछ चन्द बातों का जिक्र करना चाहूंगा जिनके लिए मैं उम्मीद करता था कि इस सदन में, इस अभिभाषण के जरिये, सरकार उनके बारे में नीति का संकेत देगी और कदम उठायेगी। जिक्र किया गया राजाओं के प्रिवी-पर्सेज खतम करने का। इसके साथ ही प्रिवी-पर्सेज खतम होते ही उसके फालो-अप एक्सन के रूप में महत्वपूर्ण बात हमारे सामने थी जो कि इस सदन में पुरानी विधान सभा में भी हमने जगह जगह उठायी। राजाओं से चिढ़ने का प्रश्न नहीं है, प्रश्न यह नहीं है कि किन्हीं व्यक्तियों के खिलाफ हमें नफरत हो गयी है और उनको हम सताना चाहते हैं। प्रश्न यह है कि राजस्थान की 2½ करोड़ जनता के लिए जहां इतनी समस्यायें हैं विकास की और उसके लिए जहां इतने साधनों की जरूरत है वह साधन कहां से उपलब्ध हों। यह गरीबी और अमीरी का फर्क किस तरह से कम हो और इसका कैसे क्या करें ? कौनसे कदम से वह कम हो सकता है इस दृष्टिकोण से मैं संकेत करना चाहूंगा, सभापति महोदय। आज चाहे राजाओं के प्रिवी-पर्सेज खतम हुए हैं, लेकिन जो रूलर्स के पास प्राइवेट प्रापर्टी के रूप में ह्यूज प्रापर्टी है आज उन रूलर्स के डी-रिकग्नाइज होने के बाद मेरी यह मान्यता है कि लीगेली अब श्री भवानी सिंह जी जो इन महलों में रहते हैं इनके मालिक थे एज ए रूलर ऑफ जयपुर, जो

(श्री रमानन्द अग्रवाल)

लिस्ट बनी थी वह भी एज ए रूलर ऑफ जयपुर तथा जो यह लिस्ट थी वह कोवेनेन्ट का पार्ट थी और अब कोवेनेन्ट नहीं रहा। कोवेनेन्ट विधान से निकाल दिया गया, रूलर्स नहीं रहे, कोई लिस्ट नहीं रही। इसलिए भवानी सिंहजी के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जिसके ऊपर आज ये काबिज हुए बैठे हैं, जिसके ऊपर कब्जा किये हुए बैठे हैं इसलिए आज राजस्थान सरकार को इमीडियेटली उस तमाम प्रॉपर्टी को कब्जे में करे जो रूलर्स के पास है, उस लिस्ट के आधार पर, जो स्टेट मिनिस्ट्री ने उनके रूलर्स होने के नाते कोवेनेन्ट के तहत उनकी प्राईवेट प्रॉपर्टी मानी थी तो रूलर्स और कोवेनेन्ट के फाल-अप होते ही वह लिस्ट भी फाल हो गयी और अब वह उनकी प्रॉपर्टी नहीं रही। मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम मैंने कुछ इन्जीनियर्स दोस्तों से सलाह ली और कुछ जानकारी करके जो अनुमान लगाने की कोशिश की है उसके अनुसार कम से कम 100 करोड़ रुपये की इम्मूवेबल प्रॉपर्टी बिल्डिंग्स के रूप में हमारे राजस्थान के इन 20 नरेशों के पास है। मैं नहीं कहता कि उनको सड़क पर भेज दिये जावें, मैं नहीं कहता कि हम उनको होमलेस कर दें। एक ठीक सा मकान उनकी फमिली के लिए और उनके लायक जो कि हम आर्डीनेरी सिटीजन को देना चाहते है, जो एक सीलिंग मुकर्रर करना चाहते हैं उस तरह की अकोमोडेशन उनको देदी जावे तो मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा बचेगा जिसमें हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे आफिसिस, हमारी लाइब्रेरीज, हमारे म्यूजियम, हमारी और चीजें हमारी जनता के काम में ये तमाम बिल्डिंग्स आ सकती हैं। यह 100 करोड़ रुपये का असेट राजस्थान को मिलेगा जिससे कि हम इन बिल्डिंग्स को डवलपमेन्ट के कार्य के अन्दर इस्तेमाल कर सकते हैं। यही नहीं, सभापति महोदय, अगर आप उनकी लिस्टों को देखें तो मालूम होगा कि उसमें हीरे जवाहरात भी हैं। कहीं कहीं किसी राजा के पास सौ सौ और दो दो सौ करोड़ रुपये के जवाहरात हैं। मुझे जोधपुर की राजदादी की लिस्ट देखने का मौका मिला और मैंने उसका एस्टीमेशन कराया जौहरी से तो उनका कहना था कि यह लिस्ट कम से कम 50 करोड़ रुपये की लिस्ट होगी इस तरह अगर यह राजदादी की लिस्ट है तो महारानीजी की लिस्ट क्या होगी और दूसरों की लिस्ट क्या होगी उसका अन्दाजा लगाना मुश्किल है। यह कहां से आया पैसा ? यह सारा का सारा पैसा, यह सारी की सारी प्रापर्टी स्टेट की प्रॉपर्टी है और राजस्थान सरकार को इस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में करना चाहिए। सभापतिजी मुझे यह निवेदन करना है कि आज हालत यह है कि यहां जो प्रोपर्टी इस लिस्ट के अन्दर स्टेट की लिखी हुई है वह प्रोपर्टी भी आज इन रूलर्स के पास हैं। आज चन्द्रमहल को देखिये, इस पर भवानी सिंहजी का कब्जा है। आप लिस्ट को देखिये नेशनल ट्रस्ट के रूप में यह चन्द्रमहल रखा जाना चाहिये। इसको नेशनल ट्रस्ट होना चाहिए था जब कि ये प्रापर्टी इनके कब्जे में है और वे प्राइवेट प्रापर्टी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके ऊपर टैक्स लगाया है, टिकट लगाया है और जनता से लाखों रुपये वसूल किये हैं और आज भी उस पर कब्जा किये हुए बैठे हैं। चन्द्रमहल पर भवानी सिंहजी को कब्जा करने का कोई

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अधिकार नहीं और फिर भी यह सरकार चुपचाप बैठी हुई है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की प्रॉपर्टी हर जगह पर जो क्लियरली उस लिस्ट के अन्दर लिखी हुई है और स्टेट प्रॉपर्टी है आज उनके पास पड़ी हुई है इसको इमीडियेटली कदम उठाकर अपने कब्जे में लेना चाहिये तो इससे वेलुएबल रिसोर्सेस आपको मिल सकते हैं।

जमीन का जहां तक सवाल है मुझे आश्चर्य है कि इसमें कह दिया कि मुकदमा उन्होंने चला दिया इसलिए देरी होगयी लेकिन अब क्या कर रहे हैं? जब मुकदमा चला दिया होगा। हमने सीलिंग के बारे में रिट की हुई है। जो रिट की थी उस समय की थी जब रूलर्स थे। अब नहीं रहे। जब कहते थे कि सीलिंग लागू नहीं होती इसलिए वह रिट रिडनडेन्ट हो गयी। क्या आपने कदम उठाय तथा उनके ऊपर सीलिंग लागू करना था? क्या आपको मालूम नहीं कि वे जमीनें बेच रहे हैं? जयपुर के महाराजा ने प्लॉट्स बनाकर करीब 22।। लाख रुपये की रिहायशी जमीन बेच दी है। कोटा के महाराजा ने मैंने पिछली बार कहा था कि 5,700 बीघा जमीन वहां पर बेची है। जोधपुर के महाराजा ने बेची है। सब जगहों के महाराजा जमीनों को धड़ाधड़ बेच रहे हैं। मुझे खुशी हुई कि पहली बार कांग्रेस राजाओं के खिलाफ लड़ी। जो महाराणा, उदयपुर इस तरह से बने हुए थे कि उनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं है और उन्होंने अपने असर का ऐसा डर दिखाया हुआ था और हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री उनके प्रभाव से बहुत प्रभावित थे और अब वास्तविकता जनता के सामने आई। लेकिन आपने कमजोरी क्यों दिखाई? आपने जैसे उदयपुर का मुकाबला किया, जैसे आपने बीकानेर का मुकाबला किया, जैसे आपने जोधपुर का मुकाबला किया लेकिन फिर भी जनता के विश्वास में कमी रही। आपने कोटा महाराजा से क्यों कोशिश की कि कुछ गठबन्धन हो जाये? आपने बूंदी महाराजा से क्यों कोशिश की कि कुछ गठबन्धन हो जाय? मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपने थोड़ा भ्रम होने दिया। आप प्रभाव में क्यों रहे और मैं कहता हूं कि अगर कोटा महाराजा और बूंदी महाराजा भी मुकाबले में होते तो उनका भी वही हाल होता जो कि महाराणा भगवत सिंहजी का हुआ है। आपने नाहक उनका भ्रम बाकी रख दिया है। आज ऐसी हवा बनाई जा रही है और कुछ इस तरह का मौका दिया जा रहा है कि इन्होंने कांग्रेस की मदद की है इसलिए कांग्रेस का दरवाजा उनके लिए खोल दिया जाये। वह चाहते हैं अन्दर आना क्योंकि 6 हजार बीघा जमीन बेची है और और बेचना चाहते हैं, सीलिंग से बेचना चाहते हैं। आपको मैं यह कहना चाहता हूं कि वही कन्सेशन्स देने की बात और कम्प्रोमाइज करने की बात आती तो आपको इसका मुकाबला करना पड़ेगा और इसका विरोध होगा, इन बैंचेज से विरोध होगा, विरोध होगा आपकी नीतियों का। इसलिए आपको इसमें दुरुस्ती करनी चाहिए।

मैं सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि इसलिए आज सीलिंग लागू करने का सवाल है, यह आज मुख्य

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

समस्या है। राजस्थान में जब गरीबी और अमीरी को कम करने की बात आप कहते हैं, जब ऊंच और नीच को कम करने की बात आप कहते हैं, जब समाजवाद की तरफ बढ़ने की बात आप करते हैं तो ठोस रूप में क्या है वह कदम जिसको आप उठायेंगे? ठोस रूप में यह हो सकता है कि जमीन की समस्या को फौरन हल करेंगे। 11 करोड़ बीघा जमीन बांटने के लायक और 25 साल के बाद 45 लाख बीघा ही आप बांट पाये हैं तो और कितने बरस लगेंगे। युद्ध-स्तर पर बंटवारा हो, एक साल के अन्दर होगा यह काम और पीपुल्स कमेटी बनाकर। लोग कहते हैं कि कब्जा नहीं होता। सीलिंग लागू करने के लिए स्टेट-वाइड कमेटी बनी थी और आपने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटी बनायेंगे उसको फेल कर दिया गया केवल हम सरकार के हाथ में नहीं छोड़ना चाहते हैं। जनता के वर्कर्स अपने हाथ में लेना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि इम्पलीमेन्टेशन होता है और यह याद रखें कि यदि इम्पलीमेन्टेशन नहीं करेंगे तो लाल और तिरंगा झंडा मिलकर किसानों को इकट्ठा करके बड़े बड़े लोगों की जमीनों पर कब्जा करेंगे। (करतलध्वनि) इस तरह से नहीं छोड़ने वाले हैं। इस तरह से इन जमीनों के मसलों को आपको हल करना है।

आज लोग जमींदार बने बैठे हैं, बड़े बड़े फार्म्स बना बैठे हैं। काश्त करने वाला और कोई है। गर्मी में हरिजन हल चला रहा है उसके डंडे मार कर उसको निकाल दिया और फसल ले लो। आज इस तरह के प्रोग्रेसिव फार्म्स बने हुए हैं। टिनेन्सी-लॉ सन् 1959 में लाये थे आज ऐसे एक्ट की जरूरत है जिसमें हर किस्म की बेदखली को बैन कर दिया जाय जिसके अन्दर यह मुनाफाखोरी और बंटायी है उसको बैन कर दिया जाय। जमीन को जोतने वाला, हल चलाने वाला है उसको पूरा हक मिल जाय (करतलध्वनि) हम सोच सकते हैं जो विडोज हैं, उनके लिये। हम सोच सकते हैं जो माइनर्स हैं, हम सोच सकते हैं ऐसे सोशियल एलीमेन्ट्स हैं जिनको रियायत की जरूरत है। पर्सनल कल्टीवेशन इतना जरूरी है कि जो पर्सनली मैनेज कर सके। सेक्रेटेरियेट के मेनेजर्स अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। चाहे अजमेर रोड हो, चाहे टोंक रोड हो और कोई रोड हो, इन प्रोग्रेसिव लोगों के फार्म्स बने हुए हैं। इन फार्म्स का इन्तजाम होना चाहिये। उन पर जो काश्त करने वाले हैं, मेहनत करने वाले मजदूर हैं उनको अधिकार होना चाहिये वरना यह आन्दोलन उठने वाला है, यह एकता हुई है लाल और तिरंगे झंडे की, इस एकता को रख कर कब्जा करेंगे और किसानों को हक दिलायेंगे जो मेहनत करके पैदावार करते हैं।

तीसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इमिजियेट कदम लोगों को रिहायशी मकान की जरूरत है। शहरों में और कस्बों में लोगों ने कुछ झोंपड़ियां बनायी, कोई देहात में भी बैठा है, शहर में भी बैठा है, विकास योजना आ रही है, उससे पट्टा मांगते हैं। अधिकार मांगते हैं। भिवानी सिंहजी से किसी नहीं पूछा कि

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इस कोठी का पट्टा कहां है गरीब लोगों से पूछते हो कि पट्टा कहां है। कानून आना चाहिये कि जो भी आदमी राजस्थान में किसी भी प्राइवेट आदमी की जमीन पर या सरकारी जमीन पर कहीं पर आकर बैठा हुआ है, दूसरा मकान नहीं है उसको बेदखल नहीं किया जावेगा। (करतलध्वनि) दूसरा कानून बनाइये कि उनको ऐसे मकानों पर मालिकाना हक दे दिया जावेगा। इसकी इमीडियेटली जरूरत है। आपने सन् 59 में उस आन्दोलन के आधार पर उस किसान को खातेदार बनाया था, बेदखली से बचाया जो किसान उस पर काबिज थे। आज वह इन्सान हक मांगता है। बुनियादी नसेसिटी में हक मांगता है। जो इन्सान झोंपड़ी में या मकान में बैठा है, सिर छिपाने को, उसको अधिकार है या नहीं चाहे राजा और राजमाता गायत्री देवी की जमीन पर बैठा है, चाहे राजस्थान सरकार की जमीन पर बैठा है, चाहे बिड़लाजी की जमीन पर बैठा है, उस जमीन से उसको निकाला नहीं जावेगा और बेदखल नहीं किया जावेगा। (करतल ध्वनी) उसको परमानेन्ट हक दे दिये जावेंगे इस प्रकार का एक कानून लाकर व्यवस्था की जावेगी।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति : आप कितना समय लेना चाहेंगे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : पांच सात मिनिट म समाप्त कर दूंगा।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लेबर क्लास ने उम्मीद की थी कि आप श्रम निति में बुनियादी परिवर्तन करगे लेकिन इसमें बहुत थोड़ी घोषणा की गयी है। हमने मिनिमम वेजेज को 60 रुपये से हटाकर 85 रुपया कर दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्रमिकों की मांग है उनको मिनिमम लिविंग स्टेन्डर्ड वेज दिये जायं। सरकार ने माथुर कमेटी मुकर्रर की थी। उसने कहा था, 63 में फैसला किया मिनिमम 60 रुपया और जितनी मंहगाई बढ़ेगी उसका सेन्ट परसेन्ट न्युट्रिलाइजेशन किया जावेगा। 63 से 72 तक 81 पोइन्ट मंहगाई बढ़ गयी जिसके हिसाब से 48 रुपया मंहगाई को आपको 60 रुपये में जोड़ना चाहिये। 108 रुपया तो माथुर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार किसी भी वर्कर को प्राप्त करने का हक है और वर्कर्स 125 रुपया मांग रहे हैं। आप घोषणा करते हैं 85 रुपये की। मुख्य मंत्रीजी ने लेबर कान्फ्रेन्स में कहा था अगर ऐसी बात है तो विचार करेंगे। विचार किये बगैर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में रख दिया। यह बात नहीं कही कि पुनर्विचार करके रिवाइज करने वाले हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत बड़े क्षोभ का कारण है वर्किंग क्लास में। वर्किंग क्लास आप से उम्मीद करती थी। वर्किंग क्लास यह कहती है या तो मंहगाई रोकें या रीयल वेज में कमी नहीं होनी चाहिए। दस वर्ष पहले जो मिलता था उतना ही तो मिला है। उसके बाद मंहगाई बढ़ी है और आप उसको कम कर दें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह आपका मिनिमम वेज वास्तविकता से परे है और 125) रुपया होना चाहिये। आपकी हाउसिंग स्कीम है। इन्डस्ट्रियल हाउस बनाये हुए हैं। उनमें मजदूर रहते हैं

Page No 93

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

क्यों नहीं हायर-पर्चेज सिस्टम पर उन क्वार्टर्स को ट्रान्सफर कर दिया जाय? (करतलध्वनि) इन तमाम मजदूरों को मिले। हमारी भी जिन्दगी में एक घोंसले में हम लोग, हमारे बाल बच्चे रहेंगे। यह उम्मीद आप से की जाती है।

मैं आपका ध्यान दिलाऊं। सरकारी आफिसर्स ने अलॉटमेन्ट में गड़बड़ी की। दो लाख के गबन की शिकायत है। इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को भी निगाह में रखें। उस इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को मंगाइये और दोषी अधिकारियों को सजा देनी चाहिये।

जहाँ तक श्रमिकों का मामला है एक महिने का मिनिमम बोनस मजदूरों को दिया जाय। इसके लिये केन्द्रीय मंत्रीजी ने घोषणा की। यद्यपि हम ज्यादा मांग रहे हैं फिर भी केन्द्रीय श्रम मंत्री जी ने कहा कि 8.33 परसेन्ट यानी एक महीने की तनख्वाह। अभी चार परसेन्ट मिलता है। आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने भी चार परसेन्ट बोनस दिया। 8.33 परसेन्ट बोनस नहीं दिया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी सरकार का खुद का कार्पोरेशन है उसको लागू न करे तो प्राइवेट सेक्टर से क्या उम्मीद हो सकती है।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के विकास के लिए वे साधन ढूंढने पड़ेंगे कि जिससे नोन-टैक्स इन्कम बढ़ सकती है। सुझाव आया था कि रोड ट्रान्सपोर्ट को नेशनेलाइज करें। आज केवल आठ परसेंट रूट्स नेशनलाईज्ड हैं जब कि अपने पड़ौसी राज्य गुजरात में 93 परसेंट रूट्स नेशनलाईज्ड हैं और गुजरात के 75 परसेंट विलेजेज सरकार की बसों से कनेक्टेड हैं। रोज बस वहां पर जाती है 75 परसेंट विलेजेज में। आज हम लोग राजस्थान के अन्दर केवल 8 परसेंट पर बैठे हैं। आज आपके कारपोरेशन के पास 105 नई बसें हैं जो खाली पड़ी हुई हैं, उनको रूट्स चाहिये चलने के लिए ताकि वह मुनाफा काम कर दे सके। आज मजदूरों को एक महीने के लिए हड़ताल करनी पड़े अपने अधिकारों के लिए, अपने वेजेज के लिए। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है और उधर एक महीने तक हड़ताल चले। सरकार उन रूट्स को नेशनलाईज्ड क्यों नहीं करने देती। मैं यह कहना चाहूंगा कि पुरानी जो रेजिम थी उसमें कोई उदयपुर का ठेकेदार था, कोई गंगानगर का ठेकेदार बन कर बैठा था, कोई जोधपुर का ठेकेदार था, तो कोई अलवर का ठेकेदार बन बैठा था। आज वह ठेकेदारी, आज वह निहित स्वार्थों को संरक्षण देने वाले या तो चले गए या उनकी हिम्मत नहीं हो सकती कि वे उनको संरक्षण दे सकें। इसलिए आज मैं यह कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि आज रूट्स का नेशनलाईजेशन सेंट परसेंट होना चाहिए। राजस्थान में जितने पक्के रूट्स हैं उनका इमीजियेटली नेशनलाईजेशन किया जाना चाहिए और इससे हमें एक नोन-टैक्स आमदनी होगी। हां यह बात हो सकती है कि इससे जो लोग बेरोजगार हों उनको आल्टरनेटिव साधन दिए जायं इसमें कोई संदेह नहीं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है। कच्चे रूट्स पर फिलहाल एडजस्टमेंट किया जा सकता है लेकिन पक्के रूट्स को तो इमीजियेटली नेशनलाइज्ड किया जाना चाहिए।

अन्त में इन्हीं शब्दों के साथ, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक रास्ता मैंने इंगित किया है। एक रास्ते की ओर हमने इशारा किया है जिसके जरिए यह राजस्थान एडवांस कर सकता है। राजस्थान आगे की तरफ बढ़ सकता है, बेरोजगारी की समस्या को हल कर सकता है। मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान केनाल का नवेश्चन है, इसको एक राष्ट्रीय स्तर पर, एक डिफेंस प्रोजेक्ट के रूप में, सेंट्रल से हम मनवाने का प्रयास करें। इस बात को सदन में बार बार कहा गया है और मैं समझता हूं कि इस बात का एक मैण्डेट दिया गया है जिससे हम लोग यहां आए हैं, तो हम सब लोग मिलकर केन्द्र सरकार पर दबाव डालें कि वह इस राजस्थान केनाल को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के रूप में स्वीकार करे। यदि इस रूप में इस प्रोग्राम को एक टाईम बाउण्ड प्रोग्राम मान कर और एकताबद्ध होकर आगे बढ़ेंगे तो हमारा यह निश्चित यकीन है कि राजस्थान में जो एक स्टेलमेंट आ गया है उसको तोड़ कर आगे बढ़ सकेंगे। राजस्थान में जो एक जड़ता आ गई है, जो एक ठहराव आ गया है, उसमें हम आगे बढ़ सकेंगे और राजस्थान के विकास का रास्ता खुल सकेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्रीमान् वित्त मंत्रीजी सप्लीमेंट्री डिमाण्ड्स पेश करेंगे।

अनुपूरक अनुदानों की मांगों का उपस्थापन

वित्त मंत्री (श्री चन्दनमल वैद) : सभापति महोदय, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांग एवं 1971-72 के विवरण का उपस्थापन करता हूं।

श्री सभापति : श्री पी० के० चौधरी।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): सभापति महोदय, मैं राज्पाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं एक दो बातें यहां रखना चाहता हूं चुनाव के सम्बन्ध में। जनसंघ पार्टी की तरफ से कहा गया था कि चुनाव में हमनें वादा खिलाफी की। यह आक्षेप...

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : ऑन ए पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सभापति महोदय, यह अनुपूरक अनुदानों की मांगें जो प्रस्तुत हुई हैं उस पर आपने मत नहीं लिए हैं। हां या ना नहीं जाना है।

श्री पी० के० चौधरी : अनुमति लेनी चाहिए थी।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : पहले तो मंत्री महोदय को अनुमति लेनी चाहिए थी। बिना अनुमति के यों ही धर दी हैं।

श्री सभापति : अभी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : सभापति महोदय, जनसंघ द्वारा यह कहा जा रहा

(श्री पी० के० चौधरी)

था कि राजनैतिक वादा खिलाफी हुई है और बंगला देश की विजय का फायदा कांग्रेस को मिल गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नोटिफिकेशन इश्यू होने से पहले प्रत्येक राजनैतिक दल के नेताओं से बात कर ली गई थी और मुझे याद पड़ता है कि दो दिन तक नोटिफिकेशन इश्यु होने से इसीलिए रुका रहा कि अटलबिहारी वाजपेयी दिल्ली से बहार गये हुए थे और इसलिए नोटिफिकेशन इश्यु नहीं हो सका। तो यह कहना कि राजनैतिक वादा खिलाफी की गई, बिल्कुल गलत है। दूसरी बात यह कही गई है कि बंगला देश की जीत की वजह से कांग्रेस को इतना भारी बहुमत मिला, यह भी गलत है। इतिहास में इसकी मिसाल है कि जनता ने लड़ाई की जीत का फायदा सरकार को नहीं दिया। आप जानते हैं कि सैकिंड वर्ल्ड वार में चर्चिल ने इंगलैण्ड की जीत की और प्रथम पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया था और दुनियां के सामने विजयी कन्ट्री के रूप में पेश कर दिया था लेकिन उसके इमीडियेटली बाद में जब चुनाव हुआ तो इंगलैंड की जनता ने चर्चिल को पीस टाईम में बदल दिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि इंदिरा गांधी ने जो नीति अपनाई उसके लिए ही कांग्रेस को वोट दिया। इसलिए नहीं दिया कि बंगला देश में कांग्रेस सरकार ने और कांग्रेस की नीति ने और इंदिरा गांधी ने हिम्मत से काम किया और देश को कामयाबी मिली, इसलिए भी जनता ने कांग्रेस को वोट दिया कि पीस टाईम में भी इंदिरा गांधी अच्छी लीडर साबित होंगी वार टाइम ही नहीं, पीस टाइम में भी वह अच्छी लीडर साबित होगी। यह सोचकर वोट दिया। यह कहना गलत है कि बंगला देश की वजह से और हिन्दुस्तान-पाकिस्तान की लड़ाई में हमको विजय मिली है इस वजह से कांग्रेस को वोट मिला, यह कहना गलत है।

दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि जनता ने यह जो वोट दिया है वह वोट इस बात के लिए दिया है कि वह समझती है, हिन्दुस्तान की जनता यह समझती है कि इन्दिरा गांधी जो कहती है वह करके भी बताती है। और इस बात को उन्होंने सिर्फ बंगला देश के मामले में ही साबित नहीं किया है, मध्यावधि चुनावों में कांग्रेस ने जो वादे किए थे, संविधान में संशोधन करने, प्रिवीपर्सेज को खत्म करने के, जनरल इंश्योरेंस को नेशनलाईज्ड करने के और बंगला देश के शरणार्थियों को वापिस भेजने के, ये सारे वायदे जो भी उन्होंने किये थे उनको पूरा किया था। तो इस लिए जनता में एक भरोसा हुआ, एक विश्वास हुआ कि इंदिरा गांधी और कांग्रेस का नेतृत्व जो बात कहता है वह बात करके भी बताता है। और यह भी समझा कि सिर्फ वार लीडर ही नहीं पीस टाईम की लीडर भी अच्छी साबित होंगी। हिन्दुस्तान की जो भी जरूरते हैं उसको पूरा करने के लिए भी कांग्रेस का नेतृत्व ही सक्षम रहेगा। दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जनता ने वोट इस बात के लिए दिया है कि हमने चुनाव मेनीफेस्टों में इस बात को कहा था कि स्टेट में भी

(श्री पी० के० चौधरी)

ऐसी सरकार चाहिए केन्द्र में हमारी जो सरकार है उसके साथ तालमेल मिला कर चल सके और हमने जो वायदे किए थे उन वायदों को पूरा कराने में जो स्टेट गवर्नमेंट है, वह केन्द्र की जो पोलिसी है, जो नीति है, उसको एम्प्लीमेंट कर सकें। इसलिए यह कहना गलत होगा कि बंगला देश की वजह से कांग्रेस को चुनाव में फायदा मिला है। अगर वार-विक्ट्री का फायदा मिलता तो चर्चिल को भी इसका फायदा मिल सकता था। जनता ने कांग्रेस को वोट इसलिए दिया कि जनता को कांग्रेस पर भरोसा है और इसी भरोसे पर वोट दिया है।

और यह कहते हैं कि पैसे के बल पर चुनाव जीते, स्वतंत्रपार्टी के नेता महारावल लक्ष्मणसिंह जी ने कहा कि पैसे के बल पर जीते हैं। जनसंघ के लोगों ने भी कहा कि पैसे के बल पर चुनाव जीते हैं तो यह बात गलत है। पसे के बल पर ही अगर चुनाव जीतते तो मध्यावधि चुनाव म सेठ बिड़ला जीत जाते, जितने सेठ साहूकार हैं, वे चुनाव जीत जाते। तो यह भी कहना गलत है कि पैसे के बल पर चुनाव जीत गए, बल्कि हम समझते हैं कि अबकी बार सबसे कम पैसे का चुनाव हमने लड़ा है। इससे पहले चुनाव में काफी पैसा खर्च होता था, इस चुनाव में पिछले चुनाव से कम खर्चा किया गया है। तो दोनों बातें जो कहते हैं वे गलत हैं और तथ्यों से परे हैं।

दूसरी एक बात यह कही जाती है कि कुछ लोगों ने कहा कि हमारी पार्टी के जो लोग हैं, 145 लोग हैं, वे समाजवादी नहीं है। 45 तो समाजवादी हैं और सो समाजवादी नहीं है। जो लोग पार्टी में है या बाहर हैं तो किसी की शक्ल देखकर यह कह देना कि यह तो समाजवादी है और यह समाजवादी नहीं है, यह बात गलत होगी। आज हमारी पार्टी में कम से कम आधे से ज्यादा लोग, दो तिहाई सदस्य नये हैं और 60-65 सदस्य पुराने हैं। बाकी सारे के सारे लोग नये आये हैं और किसी की शक्ल को देख कर यह कह देना कि वह समाजवादी नहीं है, तो वह गलत होगा। आप कार्यक्रम और पॉलिसी पर बोल सकते हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने जो चुनाव लड़ा है, जीता है, वह हमारी मेनीफेस्टो के आधार पर जीता है और राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है उसको इस निगाह से देखना चाहिये। जैसा कि हमने चुनाव घोषणा पत्र में कहा है, हमारे खास तीन उद्देश्य हैं। पहला गरीबी को मिटाने का है। दूसरा जो डिसपेरिटी है उसको कम करना है और तीसरा था जो इन-जस्टिस है उसको खतम करना है। हमारा चुनाव मेनिफेस्टो है, उसमें हमारा जो आब्जेक्टिव है उसको हम इम्पलेमेन्ट करना चाहते हैं, हमारे प्रोग्राम के जरिये। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इन बातों का संकेत हमें मिलेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अभिभाषण में इसका कोई संकेत नहीं मिलता है। राज्यपाल महोदय अभिभाषण में हमारे सामने जो समस्या है, उसकी गिनती लगाई है कि ये समस्यायें हैं, लेकिन यह महसूस नहीं होता है कि

(श्री पी० के० चौधरी)

राज्य सरकार के 'इट हेज कम इनटू ग्रिप (it has come into grip), इसके ऊपर हम कुछ कदम उठा रहे हैं, इसका एहसास हमको अभिभाषण में नहीं मिलता है यह हम कहना चाहते हैं। अभिभाषण में जो बात कही गयी है, हमेशा कहते आये हैं–हम टाइम बाउण्ड प्रोग्राम चाहते हैं। फलाना कार्म हम करेंगे और वह इतने दिनों में करेंगे। इसको संकेत होना चाहिये। वर्षों से सुनते आ रहे हैं। सीलिंग की बात 59 से चली और आज 72 हो गया। अभी तक यह अमल में नहीं आई है। सबसे जरूरी बात यह है कि हमारा प्रोनाउन्समेंन्ट कुछ भी हो लेकिन जब साथ साथ यह कहते हैं कि यह जो प्रोनाउन्समेन्ट किया, यह बात कही, आश्वासन दिया, यह जो फैसला किया है, इस निर्णय को हम एक साल में, दो साल में, छः महिने में इम्पलीमेन्ट करेंगे तो मैं समझता हूं कि वह प्रोनाउन्समेन्ट पूरा होगा। वरना वह नहीं हो सकता है। समाजवाद की बात सब करते हैं, बिड़लाजी कहते हैं हम समाजवाद लाना चाहिये। लेकिन जब टाइम बाउण्ड प्रोग्राम होगा, हमारा कार्यक्रम तब मालूम होगा कि सही समाजवादी कौन है। आज देश की जनता में बेचैनी है, जो बेरोजगारी है उसको मिटाने के लिये हम तेजी से कदम नहीं उठायेंगे तो जनता अब बरदाश्त नहीं करेगी। यह भी कहना चाहता हूं और हम इस बात को मानते हैं, मैं रामानन्दजी से सहमत हूं कि सिर्फ पार्लियामेन्ट के जरिये, विधान सभा के जरिये, नौकरशाही और लेजिस्लेटिव मशीनरी के जरिये हम समाजवाद इस देश में नहीं ला सकते हैं। जब तक हम मासेज को एप्रोच नहीं करेंगे, उसको मोबीलाइज नहीं करेंगे, आन्दोलन के जरिये, समाजवादी कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पायेंगे। गवर्नमेन्ट मशीनरी को प्रेस्चराइज करके काम को इम्पलीमेन्ट कराने के लिये मासेज को मोबीलाइज करना पड़ेगा और जल्दी ही करना पड़ेगा।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय ने पैरा तीन में कहा है ग्रामीण जनता को आवास सुविधा दी जायेगी। पिछले साल भी राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह बात कही थी कि गांवों के भूमिहीन लोगों को आबादी के प्लाट दिये जायेंगे। अब भी कह रहे हैं। लेकिन मैं चेलेन्ज के साथ कहना चाहता हूं कि आज तक सारे राजस्थान में लेण्डलेस को रेजीडेन्शल प्लॉट्स नहीं मिला हुआ है। यह सही है और मैं अपने एरिया की बात निवेदन करना चाहता हूं। हमने आम भूमिहीनों को प्लाट्स देने के लिये पंचायत से प्रस्ताव करके भेजा है लेकिन पंचायत को परमीशन नहीं मिलती है कलेक्टर के ऑफिस से उनको आबादी में कन्वर्ट करने के लिये। हरिजनों को बसाने के लिये परमीशन चाहिये। सिवाय चक की जमीन है। नोटिस देते हैं, मकान तुड़वा देते हैं। यह अफसोस की बात है! सरकार उनको प्लाट्स देना चाहती है, सरकार उनको आवासीय भूमि देने की बात करती है। गांवों में सिवाय चक की भूमि कम है जिसको कि अलॉट कर सके। लेण्डलेस लोग जो गांवों में रहते है, उनको छप्पर बनाने के लिये जमीन देते हैं, तो जमीन एग्रीकल्चर की आपको

(श्री पी० के० चौधरी)

एक्वायर करनी पड़ेगी, काश्त को जमीन एक्वायर करके देना होगा। घोषणा कर देते हैं, क्रियान्विति नहीं होती है। वहां पर गोचर भूमि है तो उसका प्रावधान किया जाना चाहिये। मेरा निवेदन करना यह है कि यह जो अनाउन्समेन्ट किया गया है कि ग्रामीण जनता को आवास हेतु प्लॉट देन का कार्यक्रम तेजी से लागू किया जा रहा है, तो कम से कम इस साल गावों को कितने भूमि रखने के लिये देंगे, बजट में इसके लिये कितना प्रावधान किया है, यह कम से कम हमें बताया जाना चाहिये। कलक्टर के पास पंचायतों के कितने प्रस्ताव आये हैं और कितनी मन्जूरी हो गई है और कितने पेंडिंग पड़े हैं, यह कम से कम बताया जाना चाहिये। इन बातों के ऊपर कार्यवाही होना चाहिये। यह हमारी शिकायत है कि फैसला करते हैं, निर्णय करते हैं और उसको इम्प्लीमेन्ट नहीं करते हैं। लालफीताशाही के कारण यह सब हो रहा है (समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)………

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपका समय समाप्त हो चुका है। दस मिनिट था, 12 मिनिट हो चुके हैं। और भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री पी० के० चौधरी : मुझे दस मिनट और चाहिये। कृपा करके इतना समय और दें।

श्री सभापति : तीन मिनिट में समाप्त करें माननीय सदस्य।

(म० प० 4.48 बजे)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री पी० के० चौधरी: तीसरी बात यह है, उपाध्यक्ष महोदय कि अभिभाषण के पैरा 6 में यह कहा गया है कि 31 दिसम्बर, 70 से पहले पहले चाहे गोचर की भूमि हो, सिवाय चक की भूमि हो, जहां पर भी मकान बने हैं उनको अब रेगुलराइज किया जा रहा है। मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह घोषणा मात्र ही रह गई है। मेरी कान्स्टीटूएन्सी में एक रेनवाल करबा है, पक्के मकान बने हुए हैं, रेकार्ड में गोचर है। मन्त्री महोदय से कह रहा हूं कि रेगुलराइज करें—आज तक यह नहीं हुआ है। मेरा निवेदन है कि इससे ताजा मिसाल और क्या हो सकती है। आपने घोषणा कर दी। हम चाहते हैं कि कम से कम रिपोर्ट कलक्टर से ली जावे कि उसने अब तक कितने मकान रेगुलराज किये हैं। वित्त मन्त्री बैठे हैं वे कोई इसका कोटा निर्धारित कर दें इस क्वार्टर में इतने होने चाहिये जैसे कि वसूली के लिये कोटा क्वार्टर-वाइज निर्धारित करते हैं। तो यह होना चाहिये कि कितने मकान रेगुलराइज किये गये। कन्स्ट्रक्शन किया तो उसकी रिपोर्ट लेनी चाहिये। 6 महिने के अन्दर रिपोर्ट आये। यह लिख दें कि 30 तारीख के पहले पहले जितने मकान बने थे वह रेगुलराइज कर दिये गये। तहसीलदार आकर नोटिस देता है। तो मेरा निवेदन है कि इन बातों की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं। यहां पर अजमेरी गेट पर लोग रहते हैं वे करीब सौ साल से रहते हैं और उसमें 35 मकान हैं एक मंजिल के, तीन सौ मकान कच्चे हैं, वे सौ साल से रह रहे हैं उनको अब नोटिस दिया गया है कि क्यों न आपकी जमीन को एक्वायर

(श्री पी० के० चौधरी)

कर लिया जाये । यहां पर बाजार बनाया जावेगा । इसके विरोध में मैंने मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन किया है । मैं यह कह देना चाहता हूं कि यह जो लोग रहते हैं वहां पर सौ सालों से उनको हटाकर वहां पर बाजार रखना चाहते हैं तो इसको हम बरदाश्त नहीं करेंगे । यह कोई समाजवाद की नीति है ? समाजवाद गरीबों को बसाने के लिए है उनको हटाने के लिए नहीं है । इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो उनको नोटिसेज दिये गये हैं उनको स्टे किया जाय । 100 साल से वे जिन शर्तों पर वहां पर रह रहे हैं उनको उन्हीं शर्तों पर पट्टे दिये जांय । उनको हटायेंगे तो हम इसका विरोध करेंगे, इसके खिलाफ हम आन्दोलन करेंगे और जनता आन्दोलन करेगी । वहां पर दो हजार आदमी रहते हैं । वह जमीन उनको बसाने के लिए है न कि उस पर दुकानें बनाने के लिए । प्रोनाउन्समेंट होते हैं और वास्तविकता जो है उसमें फर्क आता है तो उसका दर्द होता है उसको हमें हटाना है ।

दूसरी बात मैं विद्युतिकरण के संबंध में कहना चाहूंगा । राज्यपाल महोदय ने पैरा 12 में कहा है कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाईन्स का काफी प्रसार हो गया है और कोई 288 मेगावाट पावर का जनरेशन हुआ है । तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि इतना तो उत्पादन हुआ है लेकिन आज 6 महीने से नये कनेक्शन एग्रीकलचर के लिए क्यों नहीं दिये जा रहे हैं ? उन पर क्यों रोक लगी हुई है । 6 महीने से कोई नये कनेक्शन नहीं देते हो, जबकि सप्लाई की कोई कमी नहीं है, पावर की कोई कमी नहीं है । वह इस बात के लिए नहीं देते हैं कि जो कनेक्शन देने का सिस्टम है वह इनएडीक्वेट है, इन्सफिशियेन्ट है । ट्रांसमिशन लाईन जो है उसके जैसे 2 कनेक्शन बढ़ते हैं. एग्रीकलचर के कनेक्शन बढ़ते हैं उसके साथ में उसको स्ट्रेन्थन नहीं किया गया है इसकी वजह से सप्लाई काफी होते हुए भी, ट्रांसमिशन लाईन काफी होते हुए भी, 6 महीने से नये कनेक्शन देने पर बान है, एग्रीकलचर के लिए कुओं को कनेक्शन क्यों नहीं देते हैं । मैं यह मानकर चलता हूं कि जहां पर ट्रांसमिशन लाईन कमजोर है तो उस लाइन को स्ट्रेन्थन करके कम से कम यह होना चाहिए कि 4, 5, 6 महीने से यह बन्द है उसको चालू करना चाहिए ।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि ट्रांसफार्मर के जलने की वजह से और लोगों के मीटर जलने की वजह से अनाज कम हुआ और गांव से लोग आते थे कि जो पिलाई का समय था उसमें फसल की पिलाई नहीं हो सकी, तो मैं कहना चाहता हूं कि पावर सप्लाई की स्कीम हम लेते हैं और एन्जिन लगाने के बाद वह लोग अपने बैल बेच देते हैं, चड़स बच देते हैं जो कि उनके सिंचाई के साधन हैं और बिजली का फेल्योर हो जाता है आपकी ट्रांसमिशन लाइन की वजह से, आपके वाल्टेज की वजह से और ट्रांसफार्मर्स जल जाते हैं और उनकी फसल जल जाती है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है ? आप कोई कम्पन्सेशन देते हैं ? आप एक बिल का पेमेन्ट नहीं करते है तो कनेक्शन काट देते हैं, लेकिन फसल जल जाती है

(श्री पी० के० चौधरी)

और सप्लाई नहीं दे पाते हैं और इस वजह से जल जाती है तो उस फसल का नुकसान किसको देना चाहिये ? सरकार को देना चाहिए। यह एक बात उठने वाली है। आपकी सप्लाई की वजह से, आपके वोल्टेज के डिफेक्ट की वजह से जो मोटरें जल जाती हैं और आप पावर सप्लाई नहीं करते हैं इस वजह से फसल का नुकसान होता है वह सरकार को भुगतना चाहिए और किसान को नहीं भुगतना चाहिए। किसान उठेगा इसके लिए।

दूसरी एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पॉवर कनेक्शन में इतनी ढिलाई है कि हर बात के लिए उनको पैसा चाहिए। इन बातों पर कन्ट्रोल होना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कह देना चाहता हूं कि मीटर के लिए 250 रुपये जमा करा लिये जाते हैं लेकिन जो मीटर जल जाते हैं उनको सरकार वापस नहीं करती है। जब मीटर का आप पैसा लेते हो तो मीटर उनको वापस मिल जाने चाहियें। आपके पास मीटर नहीं हैं तो अलग मीटर लगाया जाता है तो जितना रीडिंग आता है वह लिया जाना चाहिये, लेकिन एवरेज रीडिंग आफ दी लास्ट लिया जाता है। कोई रूल आपका नहीं है। हमने आपके इन्जीनियर से बात कही कि कोई रूल नहीं है तो इसका मतलब नहीं है कि काश्तकार को लूटो, मेक्जीमम रीडिंग लो। 300 जैसे फेस रीडिंग आया तो उसको मानकर काश्तकार से चार्ज किया जाता है। जिनके 200 या 250 आते हैं उनसे भी 300 का ले लिया जाता है। इस प्रकार से बिजली के मामले में काश्तकार को असन्तोष है, उसको दूर करना चाहिये।

दूसरा, मिनिमम वेजेज के लिए 85 रु० तय किया है। आज कोई लेबर नहीं मिलता है 85 रुपये में। चार रुपये रोज से कम में कोई लेबर नहीं मिलता है तो वह रिडन्डेन्ट है। यह जो मिनिमम वेजेज बतलाये हैं इसमें कोई लेबर नहीं मिलता है। चार रुपये से कम के अन्दर कोई लेबर नहीं मिलता है तो इसका मतलब क्या होता है ? कोई मतलब नहीं होता है। मिनिमम वेजेज फिक्स करें तो कम से कम रिएलिटी को देखकर और जो मार्केट रेट अनस्किल्ड लेबर का है उसको देखते हुए इसका रेट फिक्स करना चाहिए।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि सदन का समय एक घन्टे के लिए और बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य क्या इससे सहमत हैं?

(स्वीकृति)

सदन का समय आप सबों की सहमति से एक घन्टे के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री पी० के० चौधरी : राज्यपाल महोदय ने इसमें कहा है कि हरिजनों को मकान बनाने के लिए कर्जा दिया जा रहा है। (समय-समाप्ति-सूचक घन्टी) "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को भवन निर्माण हेतु बिना ब्याज के ऋण दिया जा रहा है।" मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस साल कोई भी ऋण नहीं दिया गया है भवन-निर्माण के लिए और न बजट में एक पाई है। इस प्रकार से इसमें ऐसा कहा जाता है जो कि वास्तविकता से परे

Page No 101

(श्री पी० के० चौधरी)

है। हरिजन हमारे पास आते हैं। वह 10 साल से आते हैं और दरख्वास्तें लेकर आते हैं और हमको तंग करते हैं एक पैसे का कर्जा मन्जूर नहीं हुआ और इसमें कर्जा देने का जिक्र है। वह गलत है। हम पूछते हैं तो सरकार कहती है कि फण्ड नहीं है। एक तरफ तो पैसा प्रोवाइड नहीं किया गया और कहा जाता है कि कर्जा दिया जा रहा है। हरिजन हमारे पास सुबह शाम आते हैं। और कहते हैं कि आज 25 तारीख हो गई आखरी दिन हो गये कुछ मिल जाय तो मिल जाय।

मैं कहना चाहता हूं कि जो अधिकारी महोदय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण तैयार करते हैं उनको देखना चाहिए कि गलत बात अभिभाषण में नहीं आना चाहिए। जब कोई कर्जा नहीं दिया जा रहा है, कोई ग्राण्ट नहीं है तो बिना ब्याज के कर्जा दिया जा रहा है वह गलत है। मैं कहता हूं कि उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए।

एक माननीय सदस्य (कांग्रेस): कर्जे की बात तो दूर, गान्धी शताब्दी में जो प्लॉट हरिजनों को मिले थे वह भी छीन लिए।

श्री पी० के० चौधरी: अनएम्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वह हमारी सबसे विकट प्रॉब्लम है। हमारा जो इलेक्शन मेनिफ़ेस्टो है उसमें इस बात का जिक्र किया गया था. पेज 13 पर कहा था :—

"Unemployment has become a Scourge. A massive integrated programme for land and village development will be organised to provide employment for millions particularly landless labour"

इसका कोई इन्डीकेशन हमारे गवर्नर के अभिभाषण में नहीं मिलता है। इसमें यह भी कहा था कि डिस्पेरिटी को दूर करने के लिए सस्ते भावों में नाज मिलेगा और इसके बारे में सबसे पहले इन्तजाम करेंगे। यह भी हमने हमारे मेनिफ़ेस्टो में कहा था। मेरा निवेदन यह है कि गवर्नर महोदय के अभिभाषण में, मेनिफेस्टो में जो बातें कहीं थीं और जिन बातों को कहकर हमने वोट लिये हैं, उनका कोई इन्डीकेशन इसमें करना था वह नहीं किया, इस बात का मुझे अफ़सोस है।

इन्हीं शब्दों के साथ गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का जो प्रस्ताव है उसका समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री झावरमल। विभाजन संख्या-50 ...

एक माननीय सदस्य: शायद हैं नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री शंकरलाल, पाली।

श्री शंकरलाल (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पांचवीं विधान सभा के प्रथम सत्र में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं इस बात का उल्लेख करूंगा कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि सरकार गरीबी मिटाने और समाजवाद लाने के लिये वचन बद्ध है। वचन बद्ध सरकार है किन्तु जो इन्दिरा गान्धीजी ने नारा दिया है, उसको निभाने के लिए क्या कहते हैं ?

(श्री शंकरलाल)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि बेरोजगारी और गरीबी दोनों का चोली दामन का साथ है। बेरोजगार को अगर रोजी मिल जाती है तो उसकी गरीबी दूर हो जाती है। इसके लिए राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में क्या कहा गया है और, उस सम्बन्ध में मेरे क्या सुझाव हैं बे मैं निवेदन करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी को मिटाने के लिए कहा गया है। जो यह प्रत्येक जिले में हजार ग्रामीणों को रोजगार देने के लिए कहा गया है, क्या यह काफी है? इस प्रकार से यह बेरोजगारी कितने सालों में मिट सकेगी? मैं समझता हूं कि यह कतई पर्याप्त नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर हमको गरीबी मिटानी है तो गांवों में जो छोटे छोटे धन्धे करने वाले लोग हैं, चाहे वह बढ़ई हों, चाहे लुहार हों, या चमार हों, जो भी छोटे छोटे उद्योग करने वाले हैं, उनको रोजगार किस प्रकार से मुहय्या कराया जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने से किसानों को ऋण मिलने लगा है। किसानों के लिए रास्ता खुल गया है कि वह खुद के काम करने के लिए कर्जा लें। उपाध्यक्ष महोदय, हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि राष्ट्रीयकरण होने के पश्चात् इन बैंकों का पैसा भूमिहीन किसान काम में ले सकेंगे। लेकिन वह किसान पैसा नहीं ले पाये हैं। इसका कारण यह है कि बैंकों से पैसा प्राप्त करने के लिए जो दिक्कतें होती हैं और वहां पर जो लालफीताशाही है, वह एक ज्वलन्त उदाहरण है। बैंकों का पैसा जो उधार के रूप में लेने की बात है, जिससे कि वह अपना रोजगार चला सकें। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का फल गांवों और शहरों दोनों को मिलना चाहिए। लेकिन इसके द्वारा जो कदम सरकार को उठाना चाहिए, उनका इस अभिभाषण में कोई संकेत नहीं है। इसका क्या रास्ता है? हम किस प्रकार से बैंकों के राष्ट्रीयकरण का फायदा गावों में पहुंचा सकते हैं? किस प्रकार शहरों में पहुँचा सकते हैं? उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि बैंकों से पूर्ण लाभ मिल सके इसके लिए हमें 72 में स्पेशल मशीनरी कायम करनी पड़ेगी। आज बैंकों से पैसा लेने के लिए लोगों को उनके एजेण्टों के पास जाना पड़ता है। वे लोग नहीं जानते हैं कि कैसे पैसा मिलता है। उनको पैसा कैसे मिल सकता है? इस बारे में मेरा सुझाव है कि पंचायत समितियों के पास क्या काम है, उन्हे क्यों नहीं इस प्रकार का काम सौंपें? किसान को बैंकों से ऋण मिलना चाहिए यह काम ग्राम पंचायतें करें। यह उनकी जिम्मेदारी होगी कि किस प्रकार से तहसीलदार से तस्दीक होगी। फार्म किस प्रकार भरें जायें, किसको किस प्रकार का ऋण मिल सकता है, अगर ऐसा हो जाता है तो मैं समझता हूं कि काफी समस्या हल हो जाती है। किसान स्वयं उसके पास जाकर कह सकता है कि हमको चाहिए उसको कर्जा दिलाने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की होनी चाहिए। इसी प्रकार से छोटे छोटे धन्धे करने वाले जो लोग शहरों में हैं तो उनके लिए म्युनिसिपेलटी को जिम्मेदारी सौंपी जाये। उसके लिए एक कमेटी बनायी जानी चाहिए कि किस प्रकार से उनको बैंक से ऋण दिलाया जाये। किस प्रकार से वह पैसा लें? इस की जिम्मेदारी

(श्री शंकरलाल)

शहरों में म्युनिसिपेलिटी की होनी चाहिए। गांवों में पंचायत समितियों की होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक भूमिहीनों की बात कही गई है, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में, उसमें यह बताया गया है कि सीलिंग में हमने जमीनें ली हैं। राज्य सरकार ने अब तक 57,964 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की है। और 8,546 एकड़ भूमि भूमिहीन लोगों को वितरित की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, क्या सरकार बतायेगी कि 57,964 एकड़ भूमि प्राप्त हुई और केवल 8,546 एकड़ भूमि वितरित हुई है? एक तरफ तो लोगों के पास जमीन नहीं है और दूसरी तरफ सरकार के पास अवाप्त भूमि पड़ी हुई है।

दूसरा, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जो यह कहा गया है कि एस० डी० ओज० को लिख दिया गया है। लेकिन आज उनको देखा जाय तो पता चलेगा कि वह आदेश केवल कागज में पैन्डिंग पड़े हुये हैं। सीलिंग के मामले पैन्डिंग पड़े हुए हैं। एस० डी० ओज० सीलिंग का कानून दफनाना चाहता है। उस भूमि को लेकर किसानों में वितरित नहीं करना चाहते हैं। कौन ऐसा है, जो यह देखे कि वह क्रियान्वित हो रहा है या नहीं? राजस्थान सरकार ने एक लेण्ड रिफॉर्म के लिए हाई पॉवर कमेटी बनाई। दुर्भाग्य से उस कमेटी की एक ही बैठक हुई। उसके बाद एक भी बैठक नहीं हुई। मैं भी उस कमेटी का एक सदस्य हूं। कमेटी की मीटिंग नहीं होती है। फिर आप किस प्रकार से वचन-बद्ध है समाजवाद लाने के लिए? वास्तव में आप वचनबद्ध हैं तो उनको जमीन दीजिये। दूसरी तरफ यह जो बात कही गई है कि 1 जनवरी, 71 तक के जितने भी अवैध कब्जे हैं, वह विनियमित कर दिये जायेंगे। इसकी ओट में उनके कब्जे भी विनियमित हो जायेंगे जिनके पास पहले से जमीन है। इस प्रकार के आदेश 68-69 में भी हुये थे, और अब 71 तक की बात की कही गई है। कहीं है कि हम अनओथोराइज्ड जमीन को विनियमित करना चाहते हैं। इसके लिए यह होना चाहिए कि कब्जा उनका विनियमित किया जाय, जो भूमिहीन हैं और इसके अलावा जिन्होंने एलॉटमेंट के लिए दरख्वास्त दे रखी है। यह बात सही है कि एलॉटमेंट के लिए दरख्वास्त करते हैं तहसील में तो समय पर एलॉटमेंट होता नहीं है-ऐसे भूमिहीन जितने हैं वह भूमि पर कब्जा करें, उस पर काश्त करें-वह कब्जा विनियमित किया जाय। जो दरख्वास्त नहीं देते हैं और जो भूमि पर कब्जा करके बैठ जाते हैं और पटवारी से मिलकर कब्जा कर लेते हैं, भले ही उनका पुराना कब्जा है, उनका यदि विनियमित कर देंगे तो इससे भूमिहीनों को फायदा नहीं पहुंचेगा और उनके हक को छीनेंगे जो भूमिहीन हैं और जिन्हें भूमि मिलती। आज भूमिहीन के बजाय होशियार आदमी अपने को भूमिहीन बतला कर जमीन पर कब्जा करके तहसील से विनियमित करा लेता है। इससे बचने का क्या तरीका है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। सरकार यह देखे कि विनियमित उनका किया जाय जो भूमिहीन हैं, या जो एलॉटमेंट के लिए दरख्वास्त करें। इसके लिए 1 जनवरी, 71 तक ही नहीं, मैं भविष्य के लिए कहना चाहूंगा

(श्री शंकरलाल) :

कि भविष्य में जो भूमिहीन जमीन एलाटमेंट के लिए दरख्वास्त करता है, उसको काश्त के समय के पहले उसकी दरख्वास्त पर फैसला करके, सरकार को और तहसीलदार को चाहिए कि या तो उसे भूमि का एलाटमेंट कर दे या इन्कार कर दे। लेकिन उसकी दरख्वास्त पर फैसला होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो 1 जनवरी, 71 हो चाहे 1 जनवरी, 72 तक हो भूमिहीन का अधिकार है उस पर कब्जा करने का और काश्त करने का। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, कुछ उद्देश्य होना चाहिए, कुछ ऐम होना चाहिए कि किस आदमी का विनियमित करें। यदि ऐसा करेंगे तो इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनको फायदा पहुंचाना चाहते हैं।

दूसरी बात समाजवाद की दृष्टि से कही गई, 31 दिसम्बर, 70 तक जिन्होंने बाड़े बना दिए, पांच सौ वर्ग गज के, उनका विनियमित किया जाय। समझ में नहीं आता, इसमें 31 दिसम्बर, 70 कहा गया है और उसमें 1 जनवरी, 71 कहा गया है। उसमें 1 जनवरी, 71 कहा है तो 31 दिसम्बर, 70 की जगह भी वही कह सकते हैं। न मालूम राजस्व अधिकारियों ने यह बात क्यों कही है ? फिर भी इन बाड़ों का विनियमन होना चाहिए जिस पर दूसरे रहने वाले का मकान नहीं है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मैं कुछ आवश्यक बातें कहना चाहता हूं, क्षमा करें, इसमें अधिक समय) लगेगा। मैंने भूमिका बनाने में समय नष्ट नहीं किया है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, दूसरी बात सामने आती है। भूमि के सीलिंग के बाद में शहरी सम्पत्ति की सीलिंग की बात कही जाती है। काफी समय से कही जाती है और इस सत्र में कानून, बिल, सदन के सामने लाने की घोषणा सरकार ने की है। मैंने पहले निवेदन किया था, पहले तो इस सदन के द्वारा एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए क्योंकि सीलिंग का कानून एक राज्य लागू करे तो करे लेकिन जब तक समूचे देश के अन्दर सीलिंग का कानून नहीं होगा तब तक राजस्थान में रहने वाले अपनी सम्पत्ति दूसरी जगह ले जायेंगे, बेच देंगे। इसलिए कम से कम यह बात प्रस्ताव के द्वारा कहनी चाहिए और केन्द्रीय सरकार से कहना चाहिए कि सीलिंग का कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए। इसके अलावा, पूरे देश में यदि लागू नहीं हो और राजस्थान में लागू करते हैं तो उसके पहले कोई ट्रांसफर नहीं हो—इसकी व्यवस्था करनी चाहिए, आर्डिनेन्स निकालना चाहिए या सदन जब चल रहा है तो कोई बिल लायें और उसके द्वारा जो ट्रांसफर हों उनको रोकें। वरना इसकी वही दशा होने वाली है जो भूमि के सीलिंग की हुई। शहरी सम्पत्ति पर सीलिंग करना चाहते हैं, निश्चित नियत से करना चाहते हैं तो ट्रांसफर्स को रोकने के लिए तुरन्त व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरे काम बाद के हैं सबसे पहला काम यह है कि ट्रांसफर को रोकने के लिए आपको व्यवस्था करनी चाहिए, इसी विधान सभा के सत्र में करनी चाहिए जिससे शहरी संपत्ति का जो ट्रांसफर नहीं हो और बंटवारा नहीं हो।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, नौकरियों के विषय में कहा गया, न्यूनतम 80 से 100

Page No 105

(श्री शंकरलाल)

रुपये वेतन की बात कही गई। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, इस प्रकार का विधान पास करें, जिस प्रकार की कांग्रेस की नीतियां हैं और जिस प्रकार कांग्रेस के नेताओं ने और महात्मा गांधी ने कहा था कि हम को ज्यादा तनख्वाह और कम तनख्वाह की सीमा बांधनी पड़ेगी। राजस्थान के अन्दर आज बड़े बड़े ऑफिसर को ढाई हजार, तीन हजार तनख्वाह मिले, चाहे वह जज हो, चाहे राज्यपाल हो, उन्हें चार पांच हजार की तनख्वाह मिले और दूसरी तरफ डेढ़ सौ। आप सोचें इस प्रकार की व्यवस्था समाजवादी सरकार के अन्दर नहीं हो सकती है। इसके अन्दर हमको कम से कम तीन सौ रुपये की तनख्वाह मुकर्रर करनी पड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा एक हजार। इससे ज्यादा तनख्वाह नहीं देनी होगी। लाइये इस प्रकार का कानून, रखिए इस प्रकार का संशोधन राजस्थान के लिए एक हजार से ज्यादा तनख्वाह पाने वाले कोई नहीं होगा और तीन सौ से कम तनख्वाह पाने वाला नहीं होगा। कम से कम ऐसा कांग्रेस सरकार लाये कानून जिसके लिए वह वचनबद्ध है, हम भी वचनबद्ध हैं। हम चाहते हैं कि इस प्रकार का कानून लाया जाय और एक उदाहरण पेश किया जाय हिन्दुस्तान के सामने।

पंचायतों के लिए कहा गया कि जल्दी से जल्दी चुनाव कराना चाहते हैं, दूसरी तरफ भाषण में कहा, उच्चस्तरीय कमेटी कायम की गई है, राज्य में पंचायतों के स्वरूप व सीमा आदि के सुधार व पुनर्गठन हेतु। जब एक तरफ उच्चस्तरीय कमेटी की बात कर रहे हैं तो फिर चुनाव कैसे करा रहे हैं, जल्दी चुनाव कराने का महत्व क्या है जब तक कि कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हो? अगर आप कमेटी की सिफारिशों के अनुसार यह करना चाहते हैं तो जल्दी से वह रिपोर्ट मंगा कर करना चाहिए। यह विरोधाभास है, जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में है।

मैं केवल दो बातें और कहना चाहूंगा एक मेरे पाली जिले की है और दूसरी पेयजल की। राजस्थान के अन्दर माननीय सदस्य ने कहा, पेयजल की कठिनाई है। राजस्थान में ऐसी कठिनाई है कि डेढ़ दो मील से पानी लाना पड़ता है। पाली के अन्दर सूंटाणा है, जैसलमेर के और बाड़मेर के गांव हैं। पहले विधान सभा में एक प्रस्ताव पास हुआ था, जिसके जरिये से सदन ने यह स्वीकार किया था कि राजस्थान के अन्दर ग्रामीण पेयजल की समस्या के निवारण के लिए एक बोर्ड की स्थापना की जाय। राजस्थान में पेय जल की समस्या के निवारण के लिए बोर्ड की स्थापना की जाय। यह स्वीकार करने के बाद क्या किया राजस्थान सरकार ने? इसका कोई जिक्र राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि विधान सभा ने जो प्रस्ताव पास किया वह रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। अगर ऐसा नहीं है तो इस बोर्ड की की स्थापना जाय और पेय जल की समस्या के निवारण के लिए कदम उठाये जायं, तभी काम चलेगा। (समय-समाप्ति सूचक घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, केवल एक बात और कहना चाहूंगा, राजस्थान में सोलह जिलों के लिए कहा है कि वह इंडस्ट्रियली बैकवर्ड हैं, इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सोलह जिले लिये गये हैं। मुझे पता नहीं

(श्री शंकरलाल)

पाली क्यों नहीं लिया? इन्डस्ट्रियेलाइजेशन के लिए पाली जिले को लेना बहुत जरूरी है। आज जवाई बांध से जोधपुर तक पीने का पानी जाता है। यह जो पेय-जल जवाई बांध से जोधपुर जाता है, इसके लिए बीच में नहर हैं, उनमें पानी वेस्ट होता है, बहुत सा लॉस होता है। मैं कहना चाहता हूं, चाहे क्रेश योजना हो चाहे रूरल वर्क्स प्रोग्राम, उसके अन्दर इजरायल की तरह से ऐसा किया जाय कि जो नहर बनी हुई है, उसमें पक्की पाइप लाइन डाल दी जाय। उसमें खर्च हो सकता है, लेकिन जो पानी का दुरुपयोग होता है, पानी का लॉस होता है, क्योंकि पानी की कीमत है फेमीन इलाके के अन्दर, इससे पानी का लॉस बचेगा। मैं इस योजना को सामने रखता हूं कि जवाई बांध से जोधपुर तक पक्की पाइप लाइन डाल कर पानी ले जाया जाय ताकि एक बूंद भी पानी खराब नहीं हो...

श्री परसराम मदेरणा : नहर के अन्दर पाइप लाइन डालने से क्या मतलब है?

श्री शंकरलाल : नहर के अन्दर लॉसेज होते हैं, उसको बचाने के लिए...

श्री परसराम मदेरणा : अन्दर डालें या बाहर डालें।

श्री शंकरलाल : उसके अन्दर डालें या बाहर डालें-यह इंजीनियर्स का काम है आप देखें, अन्दर ठीक होगी या बाहर। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो पानी का लॉस होता है उससे बचने के लिए आप यह क्यों नहीं करते हैं।

राजस्थान नहर की बात मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि और बहुत से लोगों ने कहा है। इसको राष्ट्रीय महत्व की योजना समझ कर पूरा करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं। सैनिकों के लिए बहुत बातें कही गई हैं। मैं माननीय सदस्यों से आपकी मार्फत कहना चाहता हूं कि जिन जिन कॉन्स्टीट्यूएंसी के जिन जिन क्षेत्र में जितने सैनिक परिवार रहते हैं, उनके पास पहुंचने का काम हम अपने जिम्मे लें। उनके पास पहुंचें, कोई सैनिक लड़ाई में काम आये या नहीं, जो फौजी परिवार हैं उनकी क्या दिक्कतें हैं, जमीन की, रहने के लिए पुख्ता मकान की, बच्चों की शिक्षा की, चिकित्सा आदि की ओर इसकी व्यवस्था हम करायें। जिन जिन निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर से जो विधान सभा सदस्य आये हैं, वह किसी दल के हों, वह अपने क्षेत्र के अन्दर रहने वाले सैनिक परिवारों के घरों पर जायं और जाकर देखें और उनको कहें कि यह हमारी जिम्मेदारी है उनके परिवार की देख रेख की। वह जो सुझाव दें वह सरकार माने।

मैं समय की कमी के कारण और अधिक नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन सदन के समक्ष एक बात जरूर कहना चाहूंगा। जनसंघ के नेता महोदय ने पाली कि मिल के बारे में कहा। मैं उसका उत्तर न दूं तो वे कहेंगे कि पाली मिल ने एक कांग्रेसी विधायक का समर्थन किया। मैं कहना चाहता हूं कि यह सही नहीं है। कांग्रेसी विधायक का पाली मिल ने नहीं, पाली के मजदूरों ने समर्थन किया, चाहे इन्टक के हों, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के हों। पांच हजार वहां रहने वाले

(श्री शंकरलाल)

मजदूरों से पाली मिल के सामने कांग्रेसी विधायक ने कहा था, उस समय कहा था और आज भी कहना चाहता हूं कि बोनस एक्ट है उसमें परिवर्तन होना चाहिए। मैं कम्युनिस्ट भाइयों से कहूंगा और दूसरों से भी कहूंगा कि मिल में मजदूर काम करते हैं, उनके लिए बीस पर्सेन्ट बोनस तय किया हुआ है, जबकि यह पच्चीस पर्सेन्ट होना चाहिए। मैं कहता हूं कि पच्चीस पर्सेन्ट बोनस प्रजातंत्र में होना चाहिए और विधान सभा से इसका कानून पास होना चाहिए। आज मजदूरों की हालत देखिए। मिल में मजदूर काम करें, उनको बाहों के बल से उत्पादन बढ़े, रात दिन काम करें, उनकी हालत क्या है? आप केवल मिल मालिकों की बात करते हैं। कांग्रेस जीतती है गरीबों के वोटों पर, मजदूरों के वोटों पर, किसानों के वोटों पर, इन्दिरा गांधी की नीतियां बताकर।

जनसंघ के नेता ने जिस समय मुख्य मंत्री के बारे में कहा, वह नहीं थे। मुख्यमंत्री के लिए कहा कि उन्होंने जाकर तिजारा से चुनाव क्यों लड़ा? वह लड़ सकते हैं। मैंने पहले जैतारण से लड़ा, बाद में पाली से लड़ा, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कि अगर मुख्य मंत्री जोधपुर से चुनाव लड़ते तो गुमानमल लोढा इस विधान सभा में नहीं आते। यह उनके लिए सौभाग्य की बात रही कि आज मुख्य मंत्री जोधपुर से चुनाव नहीं लड़े, अगर लड़ते तो गुमानमल लोढा विधानसभा में नहीं आते . . .

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह कैसे कहते हो?

श्री शंकरलाल : जब पहले भी मुख्य मंत्री और गुमानमल लड़े थे तो गुमानमल हारे थे।

श्री उपाध्यक्ष : समय समाप्त हो चुका है।

श्री शंकरलाल : आपका आदेश शिरोधार्य करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष, मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर विचार व्यक्त करने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले तो मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों का स्वागत करता हूं क्योंकि किस्मत से हवा-महल क्षेत्र में विधान सभा भवन स्थित है और यदि 5 वर्ष में किसी भी प्रकार की कमी रही– जल संकट, विद्युत संकट रहने से किसी प्रकार की कमी रहे तो मेरे आप अतिथि हैं, मैं सदैव आपकी सेवा करता रहूंगा, उनके कष्टों का निवारण करता रहूंगा।

सौभाग्य से, अध्यक्ष महोदय, जो चुने गए हैं वह भी मेरे मतदाता हैं हवामहल कॉन्सटीट्यूअन्सी से मैं उनका भी स्वागत करता हूं। अब मैं माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं। मैं और दलीलों में नहीं पड़ना चाहता या किसी पार्टी विशेष की आलोचना करूं। जयपुर शहर अपना है इसलिए कि 184 सदस्य हैं, वह यहां पर जयपुर शहर में आए हैं,

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

5 वर्ष का समय उनको बिताना है, जयपुर शहर की जो जन समस्यायें हैं, मैं समझता हूं वे भी उनसे प्रभावित होंगे। इसलिए किसी भी दल का माननीय सदस्य हो, हरेक का पुनीत कर्तव्य है कि जयपुर शहर, जहां पर विधान सभा का भवन है, उस शहर को उन्नत करने का, मैं समझता हूं, 184 विधायकों का परम कर्तव्य है और मेरी मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति उसका विरोध नहीं करेगा।

आज हम एक बात की आलोचना जरूर करेंगे। पर हाल ही में जब कांग्रेस के लोग बहुमत से जीतकर आए तो उन्होंने सबसे पहले अपना राजतिलक करवाया। फिर गाय-बछड़े के चिन्ह की शोभायात्रा निकाली। जब आप राजा-महाराजाओं की आलोचना करते हैं तो मैं कांग्रेसी साथियों से कहना चाहता हूं कि उनको राजतिलक नहीं कराना चहिए था। आप तो राजा-महाराजाओं की पद्धति पर चलने की बात करने जा रहे हैं।

उसके बाद निवेदन है कि मुख्य मंत्री ने कहा कि जयपुर शहर से हम विजयी हुए हैं, कांग्रेस के तीन सदस्य जीतकर आए हैं, अब जयपुर शहर का विकास करेंगे। मैं समझता हूं कि चाहे किसी की भी सरकार हो—यहां पर मुस्लिम बादशाह भी हुए हैं—अल्लाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, जिसको पागल बादशाह कहते हैं, उन्होंने भी जनता की भलाई के कार्य किए। जन विकास करना उनका कर्तव्य है। समाजवाद की नीतियों पर चलने वाली सरकार कहे कि क्योंकि हम जीतकर नहीं आए इसलिए जयपुर शहर का विकास नहीं किया, अब क्योंकि जीतकर आए तो विकास करेंगे, यह उचित नहीं है। मुख्य मंत्री ने एक वर्ष का समय जयपुर शहर के विकास के लिए दिया है। कोई बात नहीं। एक साल के समय में मुख्य मंत्री यदि जयपुर शहर की जन समस्याओं का निपटारा करें तो मेरा दल भी सहयोग करेगा। एक वर्ष का समय है, 4 वर्ष का समय फिर भी हमारे पास है। मुख्य मंत्री समाजवाद लाने, बेकारी मिटाने के लिए, मीठे मीठे वायदे जैसे सरकार करती रही है, उसी प्रकार के वायदे मुख्य मंत्री करेंगे तो जनता ने जो विधान सभा में मुझे चुनकर भेजा है, मैं जयपुर शहर की समस्याओं के हल कराने के लिए लड़ूंगा और बाहर इस विधान सभा के सामने प्रदर्शन, भूख हड़ताल और धरना देने से नहीं चूकूंगा। मैं मुख्य मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि जयपुर शहर के विकास की आपने बात की है लेकिन आज तक जयपुर शहर के विकास कार्य की जिम्मेदारी सरकार पर है। राज्य सरकार ने 4,21,663) 1961 की जनगणना के आधार पर नगर परिषद् को दिए, 25 प्रतिशत नगर परिषद् को मिलाने के आधार पर जयपुर में स्थान स्थान पर सड़कें बनायेंगे, गटर लाइन डाले जायेंगे। नगरपरिषद् 1.40 लाख इस रकम में मिलाए 4,21,663) में तब जाकर विकास कार्य करेंगे।

मैं मुख्य मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने 1961 से जयपुर नगर परिषद् को जमीन बेचने पर पाबंदी लगा रखी है। दूसरी

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

बात, 25 प्रतिशत जमीन बेचकर मिलायें तभी जाकर 4.21 लाख का उपयोग कर सकते हैं। एक ओर पाबंदी, दूसरी ओर विकास कार्य की बात करें। मैं समझता हूं 31 मार्च तक पैसा खर्च हो जाना चाहिए। अब कुछ दिन बाकी हैं। इसलिए मुख्यमंत्री से कहूंगा कि विकास कार्य के नाम पर, जमीन बचने के नाम पर, इस पैसे के खर्च पर लगी रोक को बंद करें और नगर परिषद् को अधिकार दें कि वह 31 मार्च के बाद भी इस पैसे को खर्च कर सकती है।

राज्य सरकार ने साढ़े चार लाख दिए और कहा कि डेढ़ लाख और मिलाओ। जमीन बेचकर पैदा करो। ठीक उसी प्रकार के आदेश कि 1961 के बाद जमीन बचना बंद करो। नगर परिषद् ने साढ़े चार लाख विकास कार्यों के लिए रखे और राज्य सरकार के पास बजट गया लेकिन भेदभाव की नीति के आधार पर चलने वाली राज्य सरकार, 1961 से जमीन पर रोक लगाने वाली इस सरकार ने जयपुर शहर का विकास नहीं किया। जयपुर शहर की हालत खराब हुई, सड़कों में गड्ढे हुए। 13 लाख तब खर्च कर सकते है जब 7.40 लाख की जमीन बेच सकें। न तो इतनी जमीन शहर की चहारदीवारी में बेचने के लिए है। जो कुछ बेचने के लिए है, उस पर राज्य सरकार ने 1961 से बेचने पर रोक लगा रखी है। इसलिये मुख्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि आपने जो नगरपालिका जयपुर को 13 लाख रुपये खर्च करने की स्वीकृति प्रदान की, उधर नगरपरिषद् पर यह रोक लगादी और साथ ही यह शर्त भी लगादी कि इसमें से कुछ रुपये नगरपालिका को अपनी आय में से लगाने होंगे चूंकि जब, उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिका को आपने जमीन बेचने का जो अधिकार उसे था वह आपने छीन लिया तो फिर वह रुपये कहां से लाये? चूंकि नगरपालिका, जयपुर को अपनी आय से जो रुपये लगाने चाहिये वह नहीं लगा सकी। उसका नतीजा यह हुआ कि वह रुपये 13 लाख जो स्वीकृत हुए थे वह भी मिल नहीं पाये। ऐसी स्थिति में यह कांग्रेस सरकार जयपुर के विकास के लिये क्या कार्य करेगी जो एक तरफ 13 लाख रुपये संक्शन करती है और दूसरी तरफ उस पर रोक लगा देती है? आप कहते हैं जयपुर का विकास होना चाहिये। यह कैसे होगा? इसलिये मैं मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह जो रोक लगायी गयी है 13 लाख रुपये के ऊपर वह हटा कर तुरन्त नगरपालिका को दी जाय।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, वह यह है कि पहले नगरपालिका, जयपुर को मनोरंजन कर, जो कि सिनेमा हाल में दर्शकों पर लगता है, उसमें एक रुपये में से 6 पैसे टैक्स लगता था। उसमें से नगरपरिषद् को मिलते थे। सरकार का जो एन्टरटेनमेन्ट टैक्स एक्ट, 1957 है उसमें यह प्रॉविजन था। परन्तु वह भी आज नगरपरिषद् को मिलना बन्द हो गया है। जो पहले एक रुपये पर सिर्फ 6 पैसा ही था वह बढ़ते बढ़ते राज्य सरकार ने एक रुपये पर 65 पैसे एन्टरटेनमेन्ट टैक्स कर दिया है। अगर एक रुपये में से 6 पैसा भी राज्य सरकार देवे तो आज जयपुर में छः सिनेमा

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

हॉल हैं उससे करीब 75 रुपये एक दिन के एक शो के हिसाब से 2,250 रुपये प्रतिदिन हो सकता है और सालभर के करीब 8 लाख रुपये के हो सकते हैं ? उसमें से चार पर्सेन्ट अगर कर्मचारी के वेतन के काट लें तो भी करीब 7 लाख 68 हजार रुपये की आय नगरपरिषद् को हो सकती है। इसके अलावा और भी मनोरन्जन के कार्यक्रम हो सकते हैं जिनसे नगरपरिषद् को आय हो सकती है जैसे गेम्स हैं, कुश्तियां हैं। ये जो पहले नगरपरिषद् को आय होती थी गेम्स और कुश्तियों वगैरह से वह भी सरकार ने मनोरन्जन कर को 1955 में अन्य मनोरन्जन कर के तहत अपने हाथ में ले लिया और नगरपरिषद् को जो पैसा मिलता था वह बन्द हो गया। आज जयपुर शहर में सिनेमाओं से राज्य सरकार को 30 लाख रुपये की आय होती है उसमें से अकेले जेम सिनेमा से 67 हजार रुपये प्रतिमाह आमद होती है, अतः मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि मनोरन्जन कर की जो भी राशि प्राप्त होती है उसमें कुछ प्रतिशत नगरपरिषद् को दिया जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, अभी जब नगरपरिषदों के अध्यक्षों का सम्मेलन हुआ था तो उसमें यह तय किया गया था--सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास हुआ था कि मनोरन्जन कर नगरपरिषदों को दिया जाना चाहिये। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार पिछले सालों की जो बकाया है उसे नगरपरिषद् को देने की कृपा करें। बड़े दुख की बात है कि राज्य सरकार जो कि एक रुपये में से 6 पैसा देती उसके हिसाब से 8 लाख रुपये नगरपरिषद् को नहीं दिये। मैं मुख्य मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वह ये रुपये नगरपरिषद् को जल्दी दिलाने की व्यवस्था करें। उपाध्यक्ष महोदय, मनोरन्जन एक्ट में यह धारा होनी चाहिये उसके अनुसार राज्य सरकार को चाहिये कि जो कुछ भी आय इस मनोरन्जन कर के रूप में प्राप्त हो, उसमें से कुछ हिस्सा नगरपरिषद् को दिया जाय।

इसके अलाव मैं एक बात आपसे और अर्ज करना चाहता हूं वह यह कि जो नजूल प्रोपर्टी जिसे पी०डब्ल्यू०डी० अपने काम ले रही है, उस पर भवन बनाये जा रहे हैं और उसमें चेन्जेज किये जा रहे हैं, उसका फायदा राज्य सरकार का पी० डब्ल्यू० डी० डिपार्टमेन्ट उठा रहा है उसे वह नहीं मिलना चाहिये। क्योंकि नजूल प्रॉपर्टी जो है उस पर नगरपरिषद् का हक होता है, उसपर जो आय हो, वह नगरपरिषद् को होनी चाहिये। आज यह सवाई मानसिंह टाउन हॉल हुए, यह रविन्द्र मंच हुए, यह रामप्रकाश सिनेमा वगैरह सभी नजूल प्रॉपर्टी हैं, उस सब की जो भी आय हो वह नगरपरिषद् को मिलनी चाहिये। सवाई मानसिंह टाउन हॉल के बारे में यह क्लियर है कि उसमें कोई आल्टरेशन नहीं होगा, चूंकि पहले यह तय हुआ था कि जब नया विधान सभा भवन बन जायेगा तब यह नगरपरिषद् के पास चला जायेगा पर आज, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति है कि इस विधान सभा भवन पर लाखों रुपये लगा दिये गये हैं और कोई नया विधान सभा भवन अब बनेगा नहीं इस प्रकार राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी भी अपने पास रखली है। मेरा निवेदन है इस बारे में कि जो भी

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

नजूल प्रॉपर्टी है उसे नगरपरिषद् को दी जानी चाहिये और इससे जो भी लाभ हो वह नगरपरिषद् को प्राप्त होना चाहिये। इससे नगरपरिषद् को काफी आय होगी। लेकिन चूंकि आज जयपुर में नगरपरिषद् ओपोजीशन की पार्टी के हाथों में है इसलिये आज जयपुर का विकास नहीं हो रहा है और न ही नगरपरिषद् जयपुर को कोई एड भी दी जाती है । आज अगर नई विधान सभा बन जाती तो यह सवाई मानसिंह टाउन हाल नगरपरिषद् को उसके ऑफिस के लिये मिलता । यह तहसील का कार्यालय जो है वह जयपुर की नगरपरिषद् को मिलता और इससे नगरपरिषद् की आय होती । पर चूंकि नगरपरिषद् के बारे में मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूं इसलिये कह रहा हूं कि जब तक ओपोजीशन की मेजोरिटी नगरपरिषद् में आती रहेगी तब तक राज्य सरकार का यह सौतेला व्यवहार जयपुर नगरपरिषद् के साथ चलता रहेगा। यह कहां तक उचित है? इसलिये मेरा निवेदन है मुख्यमन्त्री महोदय से कि राज्य सरकार को हमेशा न्याय से काम करना चाहिये । राज्य सरकार ने वैसे तो नगरपरिषद् को खर्चा करने के पावर्स दिये हैं पर उसमें उन्होंने रोक लगादी है कि अगर चालीस हजार से कोई खर्चा ज्यादा करना है तो राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करनी जरूरी है। मेरा यह निवेदन है कि इसमें भी संशोधन किया जाय।

इसके अलावा एक बात मैं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं वह है जयपुर के अस्पतालों के बारे में आज वहां न तो डॉक्टरों की व्यवस्था है और न ही वहां पूरी तरह से आपको रोगियों के लिये दवा मिलेगी । अस्पतालों में आज यह स्थिति है कि कहीं तो न डॉक्टर और कहीं अगर डॉक्टर हैं तो जयपुर के अस्पतालों में आपको दवाईयां नहीं मिलेगी । कहीं रोगी को देखने के बाद पट्टी भी आपको नहीं मिलेगी । आज राज्य सरकार इतने रुपये खर्च कर रही है परन्तु जयपुर में अस्पतालों की हालत बहुत ही बिगड़ी हुई है । उसे तुरन्त सुधारने की आवश्यकता है।

आज, उपाध्यक्ष महोदय, बच्चों के पढ़ने को स्कूलें नहीं हैं । स्कूलें हैं तो वहां पर प्रॉपर बैठने का इन्तजाम नहीं है । आज आपको जयपुर में स्कूलें वहां मिलेगी जहां कि पहले घोड़े के बांधने के तबेले थे । आज वहां पर बच्चे बैठ रहे हैं । यह राज्य सरकार की शिक्षा की प्रगति के लिये कार्यवाही है । मेरा निवेदन है राज्य सरकार से कि वह दूसरी स्कूलें बनाये, ताकी जो पहले कभी तबेले थे चाहे एसेम्बली भवन के पास हो, चाहे वे पांचबत्ती के पास हो । इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा में कई बार जयपुर के शहर के लिये पीने के पानी की समस्या के लिये सवाल उठ चुके हैं । राज्य सरकार ने आश्वासन भी दिया पर आज तक पीने के पानी की समस्या का कोई हल नहीं हो पा रहा है जो कि तुरन्त होना चाहिये । राज्य सरकार ने पहले कहा था कि दिसम्बर तक करदी जायेगी पर अभी तक नहीं हुआ है । इसके अलावा राज्य सरकार ने जयपुर में पेय जल की समस्या के समाधान के लिये यह कहा था कि बनास नदी से पानी यहां ले आया जायेगा । और उसके लिये 13 करोड़ रुपये की सेंक्शन की गयी थी पर अब वह योजना पूरी नहीं हो पायी है और अब ऐसा सुना है कि वह शायद

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

प्रावधान किया हुआ 13 करोड़ रुपये का अब नहीं रहा है और बनास योजना का कार्य अभी तक चल नहीं पाया है। इसलिये मैं मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह जल्दी से जल्दी जो आश्वासन सदन में दिया गया था पेयजल की समस्या के हल के लिये, उसे पूरा करें। आज बिजली का भी उपाध्यक्ष महोदय, यही हाल है। बिजली की कच्ची बस्तियों में और जयपुर की दूसरी जगहों पर स्थिति बहुत खराब है। कच्ची बस्तियों में पीने के पानी की पूरी समस्या है साथ ही बिजली की व्यवस्था नहीं है। वो भी पूरी जल्दी से जल्दी राज्य सरकार को करनी चाहिये। इसके अलावा राज्य सरकार ने जो आश्वासन, दिया था, जो आश्वासन मुख्य मन्त्री श्री बरकतुल्ला खां साहब ने दिया था कच्ची बस्ती वाले लोगों को, कि जिन लोगों के पास कच्ची बस्ती पर 31-8-71 के पहले पहले के कब्जे हैं उन्हें उस जमीन का पट्टा, उसका कब्जा, उन्हें दे दिया जायेगा परन्तु अभी तक इस बारे मे कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आपने 31 दिसम्बर तक लोगों को पट्टा देने की बात कही थी वह उन्हें अभी तक नहीं मिला है आज उन कच्ची बस्तियों में जो लोग रह रहे हैं वहां कोई विकास नहीं हो रहा है और वे लोग नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके बच्चों के लिये पढने को स्कूल नहीं, उनके यहां अन्धेरा है बिजली नहीं, उनके पानी पीने की व्यवस्था नहीं न उनके लिये अस्पताल हैं और नहीं वहां पर सड़कें है, अतः मैं राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो लोगों को पट्टे मिलने चाहियें थे उनके कब्जे की जमीनों के वे उन्हें तुरन्त मिलें और वहां के रहने वाले लोगों की जो समस्यायें हैं उनका जल्दी से जल्दी निराकरण किया जाय। आज राज्यपाल के भाषण में आपने घोषणा की है कि इतने प्रतिशत कच्ची बस्ती के लोगों के सड़कें, अस्पताल, और बिजली आदी के लिये खर्च करने की व्यवस्था की गयी है, मैं कहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जो कब्जे जमीनों के दिये गये हैं-वे गरीबों को नहीं दिये गये हैं वे सभी पैसे वालों ने जमीन हड़प ली हैं और उन्हें रेग्यूलेराईज कर दिया है पर बेचारे गरीब जो वहां नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनके लिये कुछ भी राजस्थान सरकार ने नहीं किया है। सस्ता न्याय दिलाने के लिये हाई कोर्ट की बेन्च यहां आनी चाहिये। सरकार इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाए। सौभाग्य से आज मुख्यमंत्री भी इस बार तिजारे से जीतकर आये हैं। तिजारा पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है और वहां के लोग भी सस्ता न्याय चाहते हैं तो अब वे जोधपुर की जनता के प्रति ही उत्तरदायी नहीं हैं, तिजारा की जनता के प्रति भी उनका उत्तरदायित्व है। जबतक जोधपुर के थे तब तक जयपुर में नहीं लाना चाहते होंगे, पर अब क्यों नहीं चाहेंगे ?

हरिजनों के लिये कहा गया कि एक रुपये में हरिजनों को उन जमीनों का पट्टा दे दिया जावेगा जिन पर चालीस साल से वे रह रहे हैं और चालीस साल से कम समय से जो रह रहे हैं उनको एक रुपया प्रति वर्ग गज के हिसाब से 200 गज तक के भूखंड दिये जावेंगे। पर आज इस पर अमल नहीं हो रहा है। राजस्थान के हरिजन इससे दुखी और त्रस्त हैं। तोपखाना

Page No 113

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

देश से आज हरिजनों को हटाया जा रहा है। इस तरह की कार्यवाही उचित नहीं है।

हरिजनों के आवास के लिये क्वार्टरों के निर्माण हेतु 9 लाख रुपया यू०आई०टी० ने योजना में रक्खे पर कुछ नहीं हुआ।

राज्यपाल महोदय ने जयपुर में कारखाने स्थापित करने की बात का उल्लेख नहीं किया। सेन्ट्रल प्रोजेक्ट स्कीम के तहत कारखाने जयपुर में स्थापित किये जाने चाहियें ताकि गरीब लोगों को रोजगार और धन्धा मिल सके। जयपुर में सभी मालदार नहीं बसते। गरीबों को काम देना है। बेरोजगारी मिटानी है तो जयपुर में सेन्ट्रल प्रोजेक्ट स्कीम के अन्तर्गत कारखाने स्थापित करने चाहिये।

जयपुर में आज कोई सेन्ट्रल लाइब्रेरी भी नहीं है। इसकी बहुत जरूरत है। ट्रक स्टेण्ड और अनाज मण्डी की स्कीम जरूर है पर बहुत धीमी गति से काम हो रहा है। लगता है कुछ निहित स्वार्थ बीच में आ रहे हैं। सरकार को मजबूती से इस दिशा में काम करना चाहिये।

लोहा मण्डी भी एक निश्चित स्थान पर बसाई जानी जरूरी है। यातायात के बढ़ने से आज नगर के बीच में इसके व्यापारियों को काफी कठिनाइयां हो रही हैं।

उदयपुर में कार्पोरेशन बन सकता है, जयपुर में वही नगर परिषद् चलेगी। जैसे चौमू की नगर परिषद है वैसे जयपुर की है। तो मेरा यह सुझाव है कि नगर परिषद् के स्थान पर जयपुर में भी नगर निगम बनना चाहिये।

मूर्तिकला यहां का बहुत पुराना व्यापार है। काफी लोग इसमें लगे हुए हैं। इनकी कठिनाइयों को भी हल किया जाना चाहिये। इनके मुख्य व्यापार स्थल खजाने वालों के रास्ते की सड़कों की भी बड़ी दुर्दशा है। इन लोगों को अपना व्यापार स्वतंत्र रूप से चलाने के लिये और प्रगति करने के लिये बैंकों से लोन आदि की सुविधाएं मिलनी चाहिये। गोदाम की सहूलियतें उनको दी जावें।

राजस्थान सरकार ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय भरोसा दिलाया था कि इनसे रिक्शा, तांगा, ठेलागाड़ी वालों को भी राहत मिलेगी, सहायता मिलेगी, ऋण आदि मिल सकेगा अब। पर आज किसी रिक्शा वाले को, तांगा वाले को, धोबी और और मोची को लोन नहीं मिल सका है। उनको आज भी वेही कठिनाइयां होती हैं, वे बिचारे जमानत कहां से दे सकते हैं? तो यह सारी घोषणा सरकार की थोथी है।

इसी तरह से राज्य कर्मचारी आन्दोलन करते हैं, तो आप उनको गिरफ्तार करते हैं। पहले कहते हैं कि हम उनकी मांगें पूरी करेंगे। मांगें पूरी करने का समय आता है तो गिरफ्तार करते हैं, दमन करते हैं। मांगें मानते भी हैं तो चार में से एक मान ली, तीन के लिये लटका दिया। फिर वे आन्दोलन करते हैं, गिरफ्तार होते हैं। सरकार समझती होगी कि आन्दोलन होने से गिरफ्तारियां चलने से, कर्मचारियों के परेशान रहने से, उनकी वाहवाही होती रहेगी। तो यह गलत समझना है उनका। आखिर जब आन्दोलन

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

तीव्र होता है तो आप मानते हैं। वाजिब बात को भी आप बिना आन्दोलन के, बिना काफी नुकसान हुए, नहीं मानते हैं।

हरिजन राणावत वेतन आयोग की सिफारिशों को अपने पर भी लागू करने की मांग कर रहे हैं। तो आपको इस वाजिब मांग को बिना किसी आन्दोलन को मान लेना चाहिये। किसी भी वर्ग की वाजिब मांग अगर है तो उसको तुरन्त बिना उसे अपनी इज्जत का सवाल बनाये मान लेना चाहिये। पर इस सरकार ने तो यह नीति ही बनाली लगती है कि बिना आन्दोलन के वह कुछ भी नहीं मानने वाली है चाहे बात वाजिब ही क्यों न हो। तो यह सरकार की नीति गलत है।

सहकारी बाजार वाले आज आन्दोलन कर रहे हैं। कृषि भूमि आवंटन की दर्ख्वास्तें सरकार के पास बीस वर्षों से पड़ी हैं। 83 लाख एकड़ भूमि भी एवेलेबल है। अगर प्रारम्भ में ही इस जमीन को देते चले जाते तो कितनी उपज आज तक बढ़ गई होती और लोग कितने खुशहाल हो गये होते। पर हर साल सरकार अपने निहित स्वार्थों की खातिर कानून बनाती जावेगी, उसमें अमेण्डमेन्ट करती जावेगी। यह सब भी केवल लोगों को बहलाने के लिये होगा, वास्तव में भूमि बांटी नहीं जावेगी उनको। निहित स्वार्थ वाले लोग बाजी मार ले जाते रहे हैं ऐसे कानूनों की आड़ में भी। उन्होंने सरकारी जमीन पर अपने ही निहित स्वार्थ वालों से शह पाकर नाजायज कब्जा कर लिया, सरकार ने उस अतिक्रमण को रेगुलेराइज कर दिया। इस तरह से रेगुलेराइज भी उन बड़े बड़े आदमियों के जबरन कब्जे हो गये, गरीब यहां भी रह गये। वे कैसे हिम्मत कर सकते थे ?

जमीन सरकार हरिजन और जनजाति के लोगों को बांटती है, अलॉट कर देती है पीछे बहुत जगह पर वे भी हैरान हैं, कब्जे उनको भी नहीं मिलते। सरकार निष्क्रिय होकर बैठे रहती है कानों में तेल डालकर। हरिजन रोते रहते हैं। उनकी कोई सुनवाई नहीं।

पंचायतों के चुनाव भी सरकार टालती रहती है। निश्चित तारीखें इसकी भी तै की जानी चाहिये।

सैनिक जो वीरगति प्राप्त कर गये या जो अपंग हो गये उनको और उनके परिवारजनों को राहत देने की बात जमीन आदि अलाट करने की बात, सरकार ने 62 में भी की पर उस पर अमल नहीं किया। जमीनें उनके परिवारजनों को नहीं मिलीं। आज फिर सरकार उसी तरह से ऐलान कर रही है। पिछले अनुभव के आधार पर जनरल मानिकशा को यहां तक कहने के लिये मजबूर होना पड़ा है इस बार कि इस बारे में लाल फीताशाही नहीं चलेगी। तो ऐसा लगता है इस सरकार पर सैनिकों को भी भरोसा नहीं रह गया है।

युद्ध-समाप्ति के बाद उनको इस तरह से भूल जाना और अपने वादों को नहीं निभाना, भूल जाना, युद्ध के बाद उनको कुछ नहीं पूछना, इससे बढ़कर सरकार के लिये लज्जा की और क्या बात हो सकती है।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

इस बारे में सरकार सक्रिय बने, यह बहुत महत्व का प्रश्न है। केवल कागजी कार्यवाही करके ही वह चुप नहीं बैठी रहे। लगातार उनसे सम्पर्क रहे, उनके परिवारजनों से सरकार पूछताछ करती रहे, उनके दुखदर्द सुनती रहे, कुछ इस तरह की निरन्तर चलने वाली व्यवस्था करें।

युद्ध के दौरान भी अगर सरकार कुछ करती, युद्ध स्थल पर पीने का पानी पहुंचाने की व्यवस्था भी अगर यह सरकार ईमानदारी से कर पाती, ट्यूब वेल जो इसी परपज के लिये बनाये गये थे, उनको भी चालू रख पाती, तो आज जो सिन्ध की तरफ हमारी सेना खोखरापार तक ही पहुंच कर नहीं रुक जाती, बल्कि सीधे सिन्ध हैदराबाद तक पहुंच जाती। सरकार ने युद्ध के नाम पर सड़कें बनाईं, ट्यूब वेल बनाये। पर बोर्डर पर बनाये गये थे सारे ट्यूब वेल बनने के साथ ही खराब हो गये, आज भी खराब पड़े हैं। पानी उनमें आता नहीं, सारा पैसा भ्रष्टाचार में चला गया। पानी जब उन ट्यूबवेलों से समय पर हमारे सैनिकों को नहीं पहुंच पाया तो सैनिक हमारा प्यासा मरा और आगे बढ़ने से मजबूर हो गया। वरना आज नक्शा और होता।

श्री परसराम मदेरणा : मैं माननीय सदस्य से इस बारे में जानकारी चाहूंगा कि वे जो खोखरापार की बात कह रहे हैं कि वहां पानी नहीं पहुंच पाया, ट्यूब वेल खराब पड़े थे तो कौन से ट्यूब वेल बन्द पड़े थे। जिनको चालू करना चाहिये था ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं आपको इसकी पूरी सूची दे दूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : आपके पास कोई सूची नहीं है। यह बिलकुल निराधार बात आप कह रहे हैं और सदन को गुमराह कर रहे हैं केवल।

पानी की जो व्यवस्था राजस्थान के प्रशासन को करनी चाहिये थी उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं रही। मैं स्वयं बाड़मेर में था। वहां के एडमिनिस्ट्रेशन का उस समय स्वयं इन्चार्ज था। जनरलों के साथ मेरा निकट का सम्पर्क था। पानी की कोई शिकायत कभी नहीं रही।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ट्यूब वेल आपने जो उस इलाके में इस परपज के लिये बनाये थे वे सारे बनने के साथ ही बन्द पड़े रहे। उनकी व्यवस्था आप करें नहीं रुके। सारा पैसा आप के ठेकेदार खा गये। ट्यूब वेल से एक से भी पानी नहीं मिल सका। मुझे पूरी जानकारी है। जिस समय आप चाहेंगे मैं आपको इसकी पूरी सूची दे दूंगा। बल्कि यहां तक हुआ कि जरूरत काफी होने पर हवाई जहाज से पानी ले जाकर उनको देना पड़ा।

श्री परसराम मदेरणा : आप सूची दे दें मुझे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सिन्ध से आज जो हिन्दू शरणार्थी आये हैं उनको आप वापिस वहां भेजना चाह रहे हैं। अब वे पाकिस्तान में कहां जावेंगे। मैं निवेदन करूं यहां बंगला देश जैसी स्थिति नहीं है। ये हमारे भाई बन्धु हैं, हिन्दू हैं, और आपने उनको वापस वहां भेज

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

दिया तो पाकिस्तान के शासक उनमें से एक को भी जिन्दा नहीं छोड़ेंगे ।

आगे में निवेदन करना चाहूंगा यह हमारे देश का भाग्य है कि पाकिस्तान के हवाबाजों द्वारा डाले गये बम हमारे एरोड्रोमों पर नहीं पड़े और भी निर्दिष्ट स्थानों पर नहीं पड़े पर फिर भी जिस तरह से वे डाले गये हैं यह निश्चित है कि उनके यहां बसे-छिपे कोई जासूसों के इशारों पर वे डाले गये हों । राज्य सरकार ने भी इसकी खोजबीन की है और काफी गिरफ्तारियां भी की हैं, जिनमें कांग्रेस के बहुत अधिक लोग हैं। सरकार ने सेना के दबाव से उनको गिरफ्तार तो किया है डी०आई०आर० के बहुत समय पर । पर अब युद्ध के बाद उनको छोड़ दिया गया है क्योंकि सरकार को डर है कि इससे उनके लोग बदनाम होंगे, वे स्वयं बदनाम होंगे, उनकी संस्था बदनाम होगी । सरकार उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती । पर इस प्रकार से जो देश के गद्दार लोग, देश के दुश्मन, शत्रु की फौज को इशारा देकर अपने देश का नुकसान करते हैं वह एक जघन्य देशद्रोह का अपराध है । वह सर्वथा अक्षम्य अपराध है । उनपर तो सरकार को देशद्रोह का मुकद्दमा चलाना चाहिये था, कोर्ट मार्शल तक किया जाना चाहिये था । पर यह सरकार कैसे हिम्मत करती, इन 53 में से 43 तो कांग्रेसी हो थे खुद । यह सरकार इतनी निकम्मी देशद्रोहियों की साथी और निर्दयी है कि सात मार्च, 67 के निर्मम गोलीकाण्ड में घायल लोगों पर मुकद्दमें चलाते नहीं संकोच करती, पर गोलीकाण्ड के दोषी लोगों को बचावेगी । उनपर मुकद्दमा चलाने की हिम्मत नहीं करेगी । बेरी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद भी नहीं करेगी । गंगानगर के किसानों पर मुकद्दमा चलाने की जरूर फुर्ती करेगी हिण्डौन में अस्पताल की मांग करने वालों पर तुरन्त मुकद्दमे चलावेगी । इन पर मुकद्दमें चलने में सरकार को शर्म नहीं आती, पर देशद्रोहियों पर कांग्रेसियों पर मुकदमें चलाने में संकोच करेगी, शर्म आती है इसको । 65 में नाथ द्वारा में लोग गिरफ्तार हुए उनपर मुकद्दमें चलाने में देरी नहीं की।

राजपाल महोदय ने अपने भाषण में कहीं पर भी भ्रष्टाचार को रोकने की बात का उल्लेख तक नहीं किया ।

चीनी के भाव बढ़े हैं, गुड़ के भाव बढ़े हैं । यह सब किसी व्यापार में व्यापारियों को घाटा लगता हो इस कारण नहीं बढ़े, पर इस कारण बढ़े हैं कि आज इस कांग्रेस की सरकार ने इस चीनी से ये सारे चुनाव लड़े हैं । चीनी के कारखानेदारों से चुनाव में इस कांग्रेस ने अनाप-शनाप पैसा लिया है और इन लुटेरों को जनता को लूटने की खुली छूट देदी है ताकि ये चन्दे के घाटे को ही पूरा न करलें, बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों तक भी अपना घर भरलें ।

3 दिसम्बर को भारत-पाक युद्ध प्रारम्भ हुआ । उसी दिन से जयपुर शहर में बजने वाला साइरन भी खराब हो गया। बन्द करना चाहिये था फैक्ट्रियों को, पर उनको नहीं किया । लड़ाई बन्द हो गई 17 दिसम्बर को तो ऐलान किया कि फैक्ट्रियों के साइरन नहीं बजेंगे ।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

3 दिसम्बर को लड़ाई प्रारम्भ हुई, 17 को समाप्त हो गई, पर सरकार ने आदेश निकाला अब खाइयां खोदी जावेंगी। यह विचित्र स्थिति है इस सरकार की और इस सरकार के लाल फीताशाही अफसरों के कारनामों की।

हमारे मुख्य मन्त्रीजी बाड़मेर नहीं गये, जैसलमेर से ही वापिस आगये। एक भूल जरूर हो गई। हम यहां स्टेशन पर थे जो प्लेन होगा उन्होंने हाथ हिलाया:–पाकिस्तान के प्लेन का अभिवादन किया और पाकिस्तान के प्लेन ने बमबारी की और राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी उस बमबारी से बाल बाल बच गये। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस साम्प्रदायिक लड़ाई के दौरान में वे बाड़मेर नहीं गये जैसलमेर से ही वापिस आगये।

उपाध्यक्षजी, मैंने जयपुर शहर की समस्या की ओर सदन का ध्यान दिलाया है। राज्यपाल महोदय ने जो अपने अभिभाषण में कमी रखी है, उसकी ओर भी सदन का ध्यान दिलाया है। अब मैं माननीय सदस्यों का अभिवादन करते हुये जयपुर शहर का विकास करने में जो 183 सदस्य जीतकर आये हैं, वे सब और 184वां मैं इस तरह कुल 184 सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि जयपुर शहर के विकास की ओर सरकार का ध्यान दिलायें। जयपुर शहर की जो मुख्य समस्यायें हैं, पानी की समस्या, गटर लाइन डालने की समस्या, सड़कों के निर्माण की समस्या, समुचित बिजली आदि की व्यवस्था, ट्रक स्टेण्ड की समस्या और इस जयपुर शहर को सुन्दर बनाने के लिये मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की वह घोषणा थोथी न रह जाय, उन घोषणाओं को पूरा करें उनके साथ मैं समझता हूं हमारा सहयोग रहेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अन्त में राज्यपाल महोदय के भाषण में जो कमियां हैं और जो कमियां रखी हैं उसका मैं विरोध करते हुये अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : समय हो चुका है। और सदन की कार्यवाही दिनांक 28 मार्च, 1972 के प्रात: 11-00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 5-52 बजे सायं, दिनांक 28 मार्च, 1972 के प्रात: 11-00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

———

शुद्धि-पत्र

(शनिवार, दिनांक 25 मार्च, 1972)

स्कम्भ संख्या		पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1		2	3	4
4		6	श्री पी० के० चौधरी	पी० के० चौधरी
5	अन्तिम से	10	म	में
6	,,	5	शीघ्र	शीघ्र
9		4	प्रतिदवेन	प्रतिवेदन
12		8	इन्क्यवारी	इन्क्वायरी
13		4	उनको को कब	उनको कब
20		6	गड़गड़	गड़बड़
27		13	दिलाने	दिखाने
39	अन्तिम से	3	शद	शब्द
47	,,	9	इा	इस
49		2	शान्त	शान्ति
62	अन्तिम से	6	कांस	कांग्रेस
66	,,	15	या रोज	या तीन रोज
67	,,	12	अग्रत्तर	अग्रेत्तर
69		3	पर्यिशन	पर्शियन
71		9	वढी	बड़ी
77		4	भषण	भाषण
86	अन्तिम से	14	पसा	पैसा
104		1	या	क्या
108		19	इना	इन
128		17	निपटान	निपटाने
136		17	कितने वोर्ड वने वोर्ड	कितने वोर्ड बने
145	अन्तिम से	16	निमाण	निर्माण
159	,,	5	टोटली टेरि यनज्म	टोटेलिटेरियेनिज्म
162	,,	9	वास्तविक्ता	वास्तविकता

1	2		3	4
171	अन्तिम से	1	बान्ड	बाउन्ड
173	शीर्षक		अभिभापणण	अभिभाषण
173		20	पब्लिकली कहा है	जिन्होंने पब्लिकली कहा है
174	अन्तिम से	15	आपको	आप
182	,,	8	ीसरी	तीसरी
187	अन्तिम से	7	साप्लीमट्री	सप्लीमेन्ट्री
193		10	इसको	इसका
194	अन्तिम से	9	ेटिस दते	नोटिस देते
194	,,	6	ममि	भूमि
194	,,	1	ए ीकलचर	एग्रीकलचर
198	,,	9	बच	बैच
209	,,	17	कानन	कानून